

हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पटानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरंभ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

02.12.2025/1100/RKS/YK-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ।

प्रश्न संख्या: 2267 (स्थगित)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सत्ता में आने से पहले इन्होंने नौजवानों को रोजगार देने की बड़ी-बड़ी बातें की थी। जब गारंटियों की बात आई तो 10 गारंटियों में एक गारंटी यह भी थी कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी और पांच साल में पांच लाख नौकरियां दी जाएंगी। हमने पिछली बार जब यह प्रश्न पूछा था तो मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमने सरकारी नौकरियां देने की बात नहीं की है। आपका जो गारंटी डॉक्यूमेंट था हमने उसे ले लिया और अध्यक्ष महोदय ने उसे आसन से पढ़कर सुनाया। आज उसी संदर्भ में यह स्थगित प्रश्न लगा है। आपने पिछले सत्र में भी यही कहा था कि सूचना एकत्रित की जा रही है और अब भी आप यही कह रहे हैं। तीन साल का कार्यकाल बहुत लम्बा होता है लेकिन इसके बावजूद भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। आपके मंत्रियों ने अभी तक लगभग 34 हजार नौकरियां देने का जिक्र किया है। 15 अगस्त को मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि हमने बेरोजगारों को लगभग 23 हजार नौकरियां दी हैं। आपके इन आंकड़ों में 11 हजार का फर्क है।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आपका कंसर्न आ गया है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह विषय प्रदेश के नौजवानों से जुड़ा हुआ है। हम आपके माध्यम से यह जानकारी हासिल करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि गत दो वर्षों में सरकार ने हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को कितनी नौकरियां दी हैं? प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि ' (क), (ख) तथा (ग) सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है।' इस सत्र के तीन दिन बाकी बचे हैं इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इसी सत्र के अंत तक यह सूचना एकत्रित कर दी जाएगी? यह हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। नौजवानों ने यह सोचकर वर्तमान सरकार को सत्ता में लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि उन्हें पक्की नौकरी मिलेगी। आपके नेताओं ने यह घोषणा की थी कि नौजवानों को 58 साल वाली पक्की व पेंशन वाली नौकरी

दी जाएगी। आज मुख्य मंत्री जी इस प्रश्न का जवाब दें कि यह सूचना कब तक एकत्रित की जाएगी?

02.12.2025/1100/RKS/YK-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सूचना जल्द ही एकत्रित कर दी जाएगी। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : अगला प्रश्न 2337, मुख्य मंत्री जी ने यह कहा दिया कि I cannot force him to reply since he has said that I will be supplying the information shortly, very quickly, apart from that what I can said. ...(Interruption) I cannot force. ...(Interruption) I cannot force, he said it इन्होंने कह दिया कि बहुत जल्द सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठाकुर साहब अब अगला प्रश्न ले लेते हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

02.12.2025/1105/बी.एस./वाई. के.-1

प्रश्न संख्या: 2267 क्रमागत... अध्यक्ष जारी.....

Hon'ble Member Shri Randhir Sharma Ji, it is not a new thing. यह कोई नई चीज नहीं है। पहले भी सरकारों में ऐसा होता रहा है। आप तो पुराने सदस्य हैं आप सब कुछ जानते हैं। मुझे भी यह वर्ष 1985 से देखने में आ रहा है, it is not a new thing.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार की यह व्यवस्था चली आ रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। हम इस व्यवस्था में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे और सूचना जल्द-से-जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। इस सत्र के तो 2-3 दिन रह गए हैं परंतु अगले वर्ष के जो 2-3 सत्र आएंगे उसमें सूचना उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

Speaker : He will try, in any case, if not possible then in the next Session you will get the information. This is what he has assured the Hon'ble House.

02.12.2025/1105/बी.एस./वाई. के.-2

प्रश्न संख्या: 2337

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, सूचना उपलब्ध करवाई गई है, परंतु मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत से मामले हैं जो उच्चतम न्यायालय ने एडवर्स या सरकार के खिलाफ फैसले दिए हैं और प्रदेश सरकार उन तमाम केसिज को ले करके सर्वोच्चतम न्यायालय में गई है। कृपया, आप मुझे यह जानकारी दें कि ऐसे कितने मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में सरकार लड़ रही है? केस वाइज और केस के नाम सहित इनकी सूचना दें और जो आपके अधिवक्ता हैं जिन्हें सरकार ने हायर किया है उनके अलावा आप अन्य कितने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हायर किया है? तथा उच्चतम न्यायालय में ऐसे वरिष्ठ अधिवक्ता को एक-एक पेशी पर केस के हिसाब से कुल कितनी-कितनी धनराशि दी गई है? इस संबंध में अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूरी जानकारी चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह सप्लीमेंट्री अराइज नहीं होता है।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री तो उसके बाद ही पूछा जाता है।

अध्यक्ष : नहीं, पूछा तो जाता है, but that must arise from the question itself. This is additional information which you are seeking. Anyway, I will request the Hon'ble Chief Minister.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, कृपया, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो पूछ रहा हूं ये रिलेवंट है।

Speaker : Which is very relevant but it is an additional information not supplementary information.

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, वही सप्लीमेंट्री होता है।

अध्यक्ष : नहीं, सप्लिमेंट्री होता है arising from a question.

02.12.2025/1105/बी.एस./वाई. के.-3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने सही कहा कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उस प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है परंतु जो अतिरिक्त सूचना माननीय सदस्य ने मांगी है उस संबंध में 1-2 सूचनाएं जो मेरे ध्यान में हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं और जो केस वाइज सूचना चाही है उसे आने वाले समय में जब अलग से प्रश्न पूछेंगे उसमें दे दी जाएगी।

प्रदेश की संपदा से जुड़े हुए जितने भी केसिज थे जिसमें प्रतिकूल निर्णय आए थे चाहे वह वाइल्ड फ्लावर हॉल से संबंधित निर्णय था, हमने 23 साल बाद वाइल्ड फ्लावर हॉल का केस जीता जिसमें सरकार को कम-से-कम 300 करोड़ रुपये ट्रेजरी में आने वाला है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जी,

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

01.12.2025.1110 डी0टी0-ए0जी0.-1

प्रश्न संख्या 2337 जारी..

मुख्य मंत्री जारी :

श्री पी0 चिदंबरम जी, श्री मनोज सिंघवी जी और श्री रस्तोगी जी ये चार, जो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से हैं, वे इस मामले में हिमाचल प्रदेश की पैरवी करेंगे। क्योंकि यह प्रदेश के हितों से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए हमने सोचा कि देश के नामी अधिवक्ताओं को प्रदेश की ओर से खड़ा किया जाए। यह प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रदेश हित में देश के नामी वकिलों को खड़ा किया जा रहा है।

दूसरा मामला जी0एस0डब्ल्यू से संबंधित था जिसमें हमारे पानी के शेयर को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने का था, उसमें प्रदेश उच्च न्यायालय द्वार स्टे लगाया गया था, लेकिन स्टे हट जाने के उपरांत इस मामले में सरकार के फेवर में फैसला आया। इस मामले में भी हमने देश के नामी अधिवक्ताओं को चुना। हमने यह नहीं देखा कि कौन सा अधिवक्ता किस पार्टी का समर्थन करता है। वैसे तो सब जानते ही होंगे कि रस्तोगी जी तो केंद्र में भाजपा शासन काल के दौरान सोलिसीटर जनरल भी रहे हैं, हमने उन्हें भी इस

मामले के लिए हायर किया। क्योंकि हमने प्रदेश के इंटरस्ट को पहले रखा ताकि प्रदेश की संपदा को बचाया जा सके। यही कारण है कि जे0एस0डब्ल्यू में दो से अढ़ाई सौ करोड़ रुपये का फायदा हमें हो रहा है।

इसके अतिरिक्त अन्य केसिज जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसके संबंध में श्री विपिन सिंह परमार जी द्वारा पूछा गया जो मेरे ध्यान में ही है, उसमें बी0बी0एम0बी0 का केस है, शानन प्रोजेक्ट के केस चल रहे हैं, वाटर सैस के केस चल रहे हैं-यानी जो भी प्रदेश की संपदा से जुड़े केसिज हैं, वो चल रहे हैं। बाकि जो केसिज कर्मचारियों से संबंधित हैं, ऐसे केसिज जिन केसिज में सरकार को जरूरत होती है कि ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेज किया जाए, तो सरकार करती है। वैसे हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मामलों में जो फैसला हुआ होता है उन फैसलों को हम मेरिट के आधार पर केबिनेट के सामने रखते हैं और केबिनेट उस पर फैसला करती है और केबिनेट द्वारा लिए गये फैसले से हम माननीय उच्च न्यायालय को भी अवगत करवाते हैं।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष।

01.12.2025.1110 डी0टी0-ए0जी0.-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, एक बार फिर से माननीय मुख्य मंत्री की ओर से इस सदन को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री ओबराय ग्रुप्स ऑफ होटल्स के साथ लिटिगेशन का भी जिक्र कर रहे हैं जो वर्तमान सरकार के समय से ही नहीं बल्कि हमारी सरकार के समय से भी पहले चल रही थी। इसमें इतना हुआ कि इसका फैसला वर्तमान सरकार के समय में आया। माननीय मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि इस मामले की पैरवी के लिए सरकार ने देश के वरिष्ठम अधिवक्ता हायर किये। माननीय मुख्य मंत्री जिन वरिष्ठम अधिवक्ताओं का जिक्र कर रहे हैं उनमें से एक श्री मनु सिंघवी जी भी हैं और ये तो ओबराय ग्रुप की पैरवी कर रहे थे। जे0एस0डब्ल्यू के मामले में भी वे हिमाचल सरकार के विरोध में खड़े थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य मंत्री ने सरकार बचाने के लिए जब सी0पी0एस0 से संबंधित मामला उच्च न्यायालय में और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में गया तो इस मामले में कौन-कौन से वकील हायर किये गये थे और इन वकीलों को कितनी राशि बतौर फीस सरकार ने दी है?

क्योंकि जो जानकारी इस सदन में दी जा रही है यह अधूरी जानकारी है। क्योंकि हमारी जानकारी के अनुसार इन वकीलों को एक पेशी के लिए करोड़ों रुपये की राशि बतौर फीस दी गई है जबकि इसमें प्रदेश का कोई हित नहीं था सिर्फ सी0पी0एस0 को बचाने के लिए यह किया गया था। मुख्य मंत्री के अनुसार वह प्रदेश हित में हो सकता है लेकिन प्रदेश की जनता के हिसाब से वह प्रदेश हित में नहीं है। इसलिए यह जानकारी भी मुख्य मंत्री दें और जो तथ्य हैं उन तथ्यों को छुपाने की कोशिश न करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहूंगा कि ये कंप्यूज क्यों रहते हैं? जो इन्होंने बोला मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में किन वकीलों को हायर किया गया-मैंने उसके उत्तर में चार वकीलों के नाम लिए जोकि मेन वकील हैं। उनमें श्री मनु सिंघवी जी का भी नाम है। इसमें भी कोई दोराय नहीं है कि लोकतंत्र बचाने के लिए हमने श्री मनु सिंघवी जी को हायर किया। ...(व्यवधान)

Speaker: The Hon'ble Chief Minister wants to say is that ये नामी वकील कुछ मामलों में सरकार के विरुद्ध भी खड़े हुए

01.12.2025.1110 डी0टी0-ए0जी0.-3

हैं लेकिन सरकार ने कुछ मामलों में इनको हायर भी किया है। He is referring that he has represented the State in many cases.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष स्वभाव से बड़े शांत थे लेकिन मुझे लगता है कि इस सीट में बैठकर नेता प्रतिपक्ष कंप्यूज हो गये हैं। यह इसलिए कंप्यूज हो गये हैं क्योंकि इन्हें यह नहीं सुना कि मैंने पहले यह बार-बार कहा कि मेरे पास कुछ अतिरिक्त जानकारी है जो मैं इस सदन में दे रहा हूं और जो प्रदेश की संपदा को बचाने से जुड़ी थी। इन्होंने पूछा की कितने वकील हायर किये? मैंने सभी वकील जो हायर किए गये हैं, उनके नाम बता दिए। उसमें से कुछ पक्ष के थे कुछ विपक्ष के थे।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

02.12.2025/1115/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 2337.....जारी मुख्य मंत्री.....जारी

लोकतंत्र को बचाने के लिए श्री मनु सिंघवी को हायर किया और ऑबरोय व जी०एस०डब्ल्यू० के केस के लिए श्री कपिल सिब्बल जी को हायर किया। इसके अलावा कुछ केसिज़ के लिए श्री पी० चिदम्बरम व श्री रस्तोगी जी आदि को भी हायर कर रहे हैं। इनके अलावा जो भी स्पेशलिस्ट वकील होते हैं, उन्हें लीज़, शानन आदि मामलों के लिए हायर किया जा रहा है। मुझे यकीन है कि जल्दी ही हमारे फेवर में फैसला आएगा। अभी तक तो इन केसों को सुना ही नहीं जाता था। वर्ष 2011 में बी०बी०एम०बी० वाले मामले में 7.1 प्रतिशत का निर्णय सरकार की फेवर में हुआ था और 14 साल बाद भी हम उसका ऐरियर नहीं ले पा रहे हैं। हमारी सरकार उसके लिए भी लड़ाई लड़ रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष जी को कहना चाहता हूँ कि आप कंप्यूज मत होइए और तनाव में मत रहिए। माननीय सदस्य, श्री विपिन सिंह परमार अगली बार और भी कोई सवाल पूछेंगे तो इन्हें पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। ...(व्यवधान) सी०पी०एस० वाले मामले में हमारी ओर से श्री मनु सिंघवी जी लड़े थे। हमें लोकतंत्र बचाना था और वे उसके स्पेशलिस्ट हैं।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : उन्हें पैसे कितने दिए हैं?

मुख्य मंत्री : पैसे का पूरा ब्यौरा सरकार के अकाउंट में होता है और उसके संदर्भ में अगली बार पूछ लेना।...(व्यवधान) आप बैठ तो जाइए। अभी मैं बोल रहा हूँ।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरकार की ट्रेजरी से जो भी पैसा दिया जाता है वह सारा ब्लैक एण्ड व्हाइट में होता है। इस सवाल में उनकी फीस से संबंधित कोई बात नहीं पूछी गई थी, अगली बार उनकी फीस का ब्यौरा भी इस माननीय सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब तो मुख्य मंत्री जी ने बोल दिया है कि The fees which has been given to these lawyers will be placed on the Table of the House. ...(interruption)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यदि हमारे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिलेंगे तो प्रश्नकाल का क्या औचित्य है?... (व्यवधान)

02.12.2025/1115/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : इन्होंने उत्तर दे तो दिया है। आप जो अतिरिक्त जानकारी चाह रहे हैं, उसके लिए he has assured that I will be supplying the information. Let me peruse the record. ... (interruption)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सारे अधिकारिगण यहीं पर बैठे हुए हैं और मुख्य मंत्री जी इनसे पूछ कर जानकारी दे सकते हैं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, ऐसा नहीं होता है।... (व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी सूचनाएं देना ही नहीं चाहते।... (व्यवधान)

Speaker : He will be giving it. इन्होंने हाऊस में कहा है।... (व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सी0पी0एस0 के मामले में चार वकील किए गए थे और मेरी जानकारी के अनुसार एक-एक पेशी के लिए दो-दो करोड़ रुपये दिए गए हैं।... (व्यवधान) एडवोकेट रस्तोगी को ही 55 लाख रुपये दिए गए हैं।... (व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी को थोड़ा शांत रहना चाहिए और अपने स्वभाव जैसा बर्ताव करना चाहिए।... (व्यवधान) आप गुस्सा मत कीजिए और थोड़ा शांत रहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने यदि किसी को दो करोड़ रुपये दिए, एक करोड़ रुपये दिए या 10 लाख रुपये दिए, यह सब सूचना अगले सत्र में माननीय सदन के सभा पटल पर रख देंगे।... (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी को सब पता है लेकिन अभी मेरी जानकारी में ये आंकड़े नहीं हैं।... (व्यवधान) जब माननीय सदस्य सूचना मांगेंगे तो उन्हें सारी सूचना दे दी जाएगी।... (व्यवधान) नेता प्रतिपक्ष जी कंप्यूज़ क्यों हो रहे हैं? ट्रेजरी से जब भी कोई पैसा दिया जाता है तो वह ब्लैक एण्ड व्हाइट में दिया जाता है और उसमें

ए0जी0 द्वारा ऑडिट भी किया जाता है। इसलिए उसमें से कोई भी गलत पैसा नहीं दिया जाता। जब आप अगली बार इससे संबंधित सवाल पूछेंगे तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। ...(व्यवधान) आप इतना गुस्सा क्यों होते हैं? जितने भी पैसे दिए गए होंगे, वह पूरी जानकारी आपके प्रश्न के उत्तर में आ जाएगी।

02.12.2025/1115/ए.जी.-एन.जी./3

Speaker : This is part of the record.

प्रश्न संख्या : 3098 (स्थगित)

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न निगमों, बोर्डों व सोसाइटियों के अंतर्गत दिए गए रोजगार से संबंधित है। इसमें दो बातें बड़ी क्लीयर हैं कि या तो सरकार के द्वारा बहुत ज्यादा नौकरियां दी गई हैं या बिल्कुल भी नहीं दी गई हैं और दोनों ही सूरत में उत्तर देना बहुत आसान होता है। लेकिन यह 'सूचना एकत्रित की जा रही है' वाला प्रश्न ही नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार ने यदि बहुत ज्यादा नौकरियां दी हैं तब भी इनके पास पूरा हिसाब होना चाहिए और यदि बिल्कुल भी नौकरियां नहीं दी हैं तब भी उसका पूरा हिसाब होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इसके लिए कोई तर्कसंगत जवाब दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आऊटसोर्स में बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है और दैनिक वेतनभोगी पर भी बहुत लोगों को रोजगार दिया गया है। अभी कुछ विभागों में साक्षात्कार चले हुए हैं और कई लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं। इस सारी सूचना को एकत्रित करके जल्दी ही माननीय सदन को अवगत करवा दिया जाएगा।

अगला प्रश्न.....श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

02.12.2025/1120/ए0एस0-पी0बी0/1

प्रश्न संख्या: 3667

श्री संजय अवस्थी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के संदर्भ में जो उत्तर आया है उसके अनुसार कंधर-बाग्गा-दिल्ली बस सेवा की आय का विश्लेषण करने पर आय कम होने के कारण

यह बस सेवा चण्डीगढ़ से आगे बंद कर दी गई है। यह बस सेवा मेरे पूरे ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र को कवर करती है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से यह एक ही बस दिल्ली के लिए चलती थी जिसे चण्डीगढ़ से आगे बंद कर दिया गया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में आय कम होने के कारण नहीं दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पिछली बार अत्यधिक वर्षा के कारण सड़कों को काफ़ी नुकसान हुआ है जिससे लोगों ने तीन-चार महीने तक दिल्ली आना-जाना बंद कर दिया था। मेरे क्षेत्र के लोगों को इस बस सेवा के माध्यम से दिल्ली आने-जाने के लिए सुविधा मिलती थी। प्रश्न के उत्तर में यह भी नहीं बताया गया है कि आय में कमी के लिए कितने समय अर्थात् कितने वित्तीय वर्ष का आंकलन किया गया है? मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि Himachal is a welfare State और हमें कई जगह भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कुछ फैसले रेवेन्यू जनरेशन के नज़रिए से नहीं लेने चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इस बस को चण्डीगढ़ से दिल्ली के लिए दोबारा चलाया जाए ताकि हमारे लोगों को इसकी सुविधा मिल सके, धन्यवाद।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, कंधर-बाग्गा-दिल्ली बस सेवा जो अर्की विधान सभा क्षेत्र में चलती थी वर्तमान में यह चण्डीगढ़ तक अपनी सेवाएं दे रही है। जैसे स्वयं माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी ने सदन में बात रखी है कि बस सेवा को चण्डीगढ़ से आगे बंद करने का प्रमुख कारण आय कम होना है। एच0आर0टी0सी0 द्वारा तय किए गए आय के स्तर के अनुसार इस रूट को नॉन-वाएबल रूट की श्रेणी में लिया गया है। इसके साथ माननीय सदस्य ने जो वेलफेयर स्टेट की बात कही है, उसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि एच0आर0टी0सी0 प्रदेश में अधिकतर रूटों पर बसें इसी सोच के साथ ही चला रहा है। लेकिन यह भी एक fact of the matter है कि एच0आर0टी0सी0 का लॉस लगभग 2200 करोड़ रुपये हो चुका है जोकि accumulated loss है। इसके अलावा

02.12.2025/1120/ए0एस0-पी0बी0/2

एच0आर0टी0सी0 की भिन्न श्रेणियों की लगभग 1300 करोड़ रुपये की देनदारियां हैं, चाहे

वह कर्मचारियों के वेतन की बात हो या किसी अन्य श्रेणी की हो। एच0आर0टी0सी0 में लगभग 70 करोड़ रुपये का monthly shortfall आता है और उसी का एकम्यूलेशन ही लगभग 2200 करोड़ रुपये के आस-पास आ चुका है। माननीय सदस्य ने चण्डीगढ़ से आगे इस बस सेवा को चलाने की बात कही है लेकिन चण्डीगढ़ से दिल्ली के लिए हर दो-तीन मिनट में बसें जाती रहती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि एच0आर0टी0सी0 की वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार चण्डीगढ़ से दिल्ली वाला बस रूट नहीं चलेगा, धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to supplement the Hon'ble Education Minister.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री संजय अवस्थी जी ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मंत्री जी ने पूरी तरह से दे दिया है कि कंधर-बाग्गा से चण्डीगढ़ तक बस चल रही है। मेरा मानना है कि पूरे एच0आर0टी0सी0 में रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है फिर चाहे वह स्टाफ पैटर्न को रेशनलाइज़ करने की बात हो। एच0आर0टी0सी0 की तीन हजार बसें होने के बावजूद भी तकरीबन हर महीने 70 करोड़ रुपये देना पड़ता है और सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में एच0आर0टी0सी0 को हर वर्ष 750 करोड़ रुपये ग्रांट के रूप में दिया जाता है। यह ग्रांट हमारे समय से शुरू नहीं हुई है बल्कि पिछली सरकार के समय से एच0आर0टी0सी0 को ग्रांट देते आए हैं। सरकार हर साल जनता का 750 करोड़ रुपये एच0आर0टी0सी0 को कॉरपोरेशन को दी जाने वाली सब्सिडी के आधार पर देती हैं। मेरा मानना है कि लोकल एरिया को कटेर करके यदि हम बस को चण्डीगढ़ तक स्टॉप कर रहे हैं और उसके बाद हिमाचल

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.12.2025/1125/A.S./A.P./01

प्रश्न संख्या 3667 जारी

मुख्य मंत्री जारी

बस का हम स्टॉपेज कर रहे हैं। उसके बाद हिमाचल और अन्य राज्यों की बसें भी जा रही हैं। उन बसों का फायदा भी लोग उठा सकेंगे। आपके पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो सिर्फ बसें चंडीगढ़ नहीं जा रही हैं, और चंडीगढ़ के बाद काफी सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आने वाले समय में हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा कि एच0आर0टी0सी0 में आए दिन जैसे टी0ए0 और डी0ए0 को लेकर जिस तरह पेंशनरों की स्ट्राइक होती है। जैसे ही हम नेशनलाइजेशन करेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम रूट्स को भी प्राइवेट करना चाहते हैं जिससे प्राइवेट रूट्स सब्सिडी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ताकि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की कमी न हो और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बसों की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। जिन-जिन आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में हिमाचल की बसें चलती हैं, उनके लिए हम प्राइवेट बसें और एच0आर0टी0सी0 के साथ मिलकर योजना पर कार्य जारी रखे हुए हैं, जिसे आने वाले दिनों में देखा जाएगा।

प्रश्न संख्या : 3668

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर आई है, उसके भाग -(क) में कहा गया है कि एन0आई0सी0 द्वारा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। मेरा प्रश्न है कि एन0आई0सी0 को सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए कब कहा गया था और एन0आई0सी0 द्वारा सॉफ्टवेयर कब तक तैयार किया जाएगा? इसी प्रश्न के भाग- (ख) में सेवानिवृत्त गृह रक्षकों के शेष एरियर का भुगतान, वित्तीय स्थिति ठीक होने पर कब तक कर दिया जाएगा। क्या सरकार द्वारा इनके भुगतान के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे ही कैबिनेट ने 700 होमगार्ड पदों की स्वीकृति दी, उसके बाद सॉफ्टवेयर तैयार करने की दिशा में उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं शीघ्र ही बैठक करूंगा ताकि यह तय किया जा सके कि सॉफ्टवेयर

02.12.2025/1125/A.S./A.P./02

कब तक तैयार होगा। इस संबंध में मैं माननीय सदन को अवगत करवा दूंगा। इसके अलावा, जो गृह रक्षकों की भुगतान राशि है, वह प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार होते ही सभी गृह रक्षकों को दे दी जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह निक्का जी।

श्री रणवीर सिंह निक्का : अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह रक्षक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वे बड़ी संख्या में मुझसे मिलने आए। उनके एरियर की किस्त इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई, शादी और इलाज आदि के लिए उन्हें पैसे की जरूरत होती है। इसके अलावा, ये सेवानिवृत्त लोग कहते हैं कि उनकी आयु लगभग 70 से 75 वर्ष हो गई है और वे अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, शायद चार से पांच वर्ष और उनका कहना है कि हमारे जीते जी हमें हमारा एरियर भुगतान मिलना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा का खर्च, शादी और अपना इलाज कर सकें। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि जो लोग अब 75 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं उन पर आप कृपा करें। यही बात मैं इस सदन में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : वैसे तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया है कि as and when the financial position will improve, their pending arrears will be paid.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारे गृह रक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी निभाते हैं। वे हमेशा पुलिस की तरह कर्तव्य और निष्ठा से अपने काम का दायित्व निभाते हैं। सरकार निश्चित रूप से इनके बारे में गंभीर है। हमारी वित्तीय स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से काफी सुधार हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। चाहे विधायक हों, पेंशनर्स हों या गृह रक्षक, सरकार सबके बारे में गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा हम अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मेरा मानना है कि 75 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए हमने पहले ही निर्देश दिए हैं कि उनके एरियर का भुगतान उन्हें कर दिया जाएगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी....

02.12.2025/1130/AT/DC/01

प्रश्न संख्या 3668 जारी

मुख्य मंत्री जारी...

75 साल से ऊपर वालों को तो हमने पहले ही दिशा-निर्देश दे दिए हैं कि उनके एरियर हम दे देंगे। इसमें अगर होमगार्ड के लोग रहे होंगे तो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक उनको भी देने की पूरी कोशिश करेंगे।

प्रश्न संख्या- 3669

श्री दीप राज: अध्यक्ष महोदय, मैंने मुख्य मंत्री जी से पूछा था कि पूर्व में करुणामूलक के आधार पर जो रोजगार प्राप्त हुए हैं उन मृतक परिवारों के समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय सीमा पहले 7-3-2019 में 2 लाख 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार रखी गई थी। अभी 8-10-2025 को इसे बढ़ाकर 3 लाख रुपये प्रति परिवार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, 31-10-2024 तक वित्त विभाग से उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे 2524 अस्वीकृत मामले हैं जिनका ब्यौरा मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की केस की रिपोर्ट थी उसकी 16-01-2019 को पारित आदेश अनुसार ही वित्त विभाग द्वारा 22-8-2012 को नवीनतम दिशा-निर्देश के अनुरूप कार्य किया गया। तो ये 2524 मामले क्यों इस से बाहर कर दिए गए और अध्यक्ष महोदय, यह जजमेंट 16-01-2019 को आई है, आय सीमा 7-3-2019 में और 8-10-2025 में बढ़ाई गई है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जो बचे हुए करुणामूल हैं, जिनके परिवारों ने अपना पूरा जीवन प्रदेश की सेवा में लगा दिया, आज उन परिवारों के सदस्यों को सचिवालय में भी घुसने नहीं दिया जाता। व्यवस्था पतन की इस सरकार में ऐसा हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि एक लाख नौकरियां तो नहीं लेकिन करुणामूलक आधार पर इन लोगों को कब तक नौकरी दी जाएगी? 2524 केस तो आपने हटा दिए, इसके अलावा और जिन्होंने आवेदन किया है, उनकी समय-सीमा कब तक निर्धारित करेंगे?

02.12.2025/1130/AT/DC/02

अध्यक्ष: उनका अभिप्राय यह है कि इनकम क्राइटेरिया रिवाइज होने के बावजूद इनके केस क्यों रिजेक्ट हुए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019 में सिर्फ क्लास-IV कर्मचारियों को नौकरी दी जाती थी। कोर्ट में केस सब-ज्यूडिस था, कुछ ऑब्जर्वेशनज आई, जिसकी रिट पिटीशन का हमने हवाला भी दिया है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक लाख नौकरियां दी नहीं जाती। जब आपकी सरकार थी उस समय करुणामूलक के आधार पर केवल क्लास-IV को ही नौकरी दी जाती थी। उसमें हमने आय-सीमा भी बढ़ाई है। आय-सीमा बढ़ाने के बाद हमने कहा कि मार्च और दिसंबर तक जितने भी आय-सीमा के आधार पर केस आएंगे, पहले उनको कंसिडर किया जाएगा, उनके लिए पोस्टें क्रिएट की जाएंगी। उसी आधार पर हमने नीतिगत फैसला लिया। हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जिसमें क्लास-III की भर्ती भी शामिल की गई है। पहले की पॉलिसी में सिर्फ क्लास-IV की ही भर्ती शामिल थी। समय के अनुसार जैसे-जैसे पोस्ट क्रिएट होती जाती है, करुणामूलक के आधार पर हम निर्णय लेते रहते हैं। अभी हमने आय सीमा अढ़ाई लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये की है।

श्री आशीष बुटेल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आय-सीमा को कई सालों बाद 3 लाख रुपये तक बढ़ाया है। साथ ही वीडोज़ और ऑफ़न को प्राथमिकता देने की बात इस पॉलिसी में की गई है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्टुअल और डेली-वेजेज़ कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को भी इसमें शामिल किया गया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से पुरानी आय-सीमा के आधार पर कुछ लोग हट गए थे क्या उन्हें नई आय-सीमा में शामिल करते हुए दोबारा से फ्रेश आवेदन नहीं लिए जा सकते, क्या इस पर सरकार कुछ विचार करेगी? दूसरा, इसमें बताया गया है कि कॉन्ट्रैक्टुअल और डेली-वेजेज़ आश्रितों को जो नौकरी कंपैशनेट ग्राउंड पर मिलेगी, वह तब मिलेगी जब मल्टी-टार्स्क वर्कर्स की पॉलिसी (क्लास-D एम्पलाइज) फ्रेम हो जाएगी। यह पॉलिसी कब तक बनेगी? तीसरा, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है वहां लगभग 83

केस ऐसे हैं और सबसे पुराना केस वर्ष 1988 का है। वहां कई सालों से किसी तरह की भी भर्ती कम्पैशनेट ग्राउंड पर नहीं हुई है। एम0डी0द्वारा जारी.....

02-12-2025/1135/DC/MD/1

प्रश्न संख्या 3669---क्रमागत

श्री आशीष बुटेल---जारी

मेरी जानकारी के अनुसार वहां लगभग 83 मामले लंबित हैं, जिनमें सबसे पुराना मामला वर्ष 1988 का है। कई वर्षों से कम्पैशनेट ग्राउंड पर कोई भी भर्ती नहीं हुई है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी हमें यह आश्वासन देंगे कि वहां जो अनेक पद रिक्त पड़े हैं, उनके विरुद्ध कम्पैशनेट ग्राउंड पर भर्ती की जाएगी?

Speaker: Hon'ble Member wants universities to be included in it. अब माननीय मुख्य मंत्री जी इस चर्चा में भाग लेंगे। इसमें 3 से 4 पार्ट हैं, इन्होंने बहुत डिटेल जानकारी मांगी है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पॉलिसी समय-समय पर बदलती रहती है it is a continuous process. आगे आने वाले समय में भी पॉलिसी में बदलाव आते रहते हैं। एक बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात, वर्ष 1988 का जो मामला है, वह कहीं ओवरएज तो नहीं हो गया है, क्योंकि हमें अभी तीन वर्ष हो रहे हैं, लेकिन उस मामले को लगभग 37-38 वर्ष हो चुके होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि वर्ष 1988 का लास्ट केस अब नियम में नहीं होगा। वह तो 37 वर्ष का उसी समय हो गया होगा। अगर वह ओवरएज हो गया होगा तो इस स्थिति में यह अध्ययन करना आवश्यक होगा कि वह मामला वर्तमान पॉलिसी के दायरे में आता है या नहीं। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने डेली-वेज़ कर्मचारियों का मुद्दा उठाया है। हम डेली-वेज़ कर्मचारियों को भी कम्पैशनेट ग्राउंड पर विचारार्थ लेते हैं, और जिला न्यायालय से आगे जो डेली वेजिज पर लगा होता है उसको हम लगाने की प्रक्रिया करुणामूलक पॉलिसी के तहत कंसीडर करने पर विचार रखते हैं।

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जो 2524 स्वीकृत मामले किए ह, इनमें कई ऐसे होंगे जो आयु सीमा से बाहर हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी प्रार्थी होंगे जो आयु सीमा के भीतर आते हैं। क्या उन्हें विचारार्थ शामिल किया जाएगा? इसके अतिरिक्त, सभी लंबित मामलों का निस्तारण किस समय-सीमा में किया जाएगा? अध्यक्ष महोदय, क्या यह स्पष्ट किया जा सकता है कि एक वर्ष, डेढ़ वर्ष या अधिकतम कितने समय में यह प्रक्रिया पूरी होगी, इसमें एक टाइम लिमिट बता दी जाए ताकि हमारे योग्य प्रार्थी

02-12-2025/1135/DC/MD/2

बार-बार सचिवालय का घेराव न करें और न ही सड़कों पर बैठकर विरोध करने की स्थिति में आएँ?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दीप राज जी कह रहे हैं कि वह बार बार सड़कों में न बैठे, वह हमसे हमेशा मिलते रहते हैं। आपसे ज्यादा हमें उनकी चिंता है तभी अढ़ाई लाख से 3 लाख किया। दूसरा आपने प्रश्न उठाया कि जो ओवरएज हो गए जो करुणामूलक पॉलिसी है उसमें पी0ए0 और पेंशन का भी प्रावधान है। उनको पेंशन भी मिलती है जोकि ओवरएज हो जाते हैं उनकी विधवा को पूरी पेंशन मिलती है जोकि नियमों के अनुसार होती है। जो कंसीडर करने वाले केस होते हैं उनको केस वाइज केस कंसीडर करते रहते हैं। कई जगह कैबिनेट स्थिति को देखकर भी ओवर रूल करती है तो पॉलिसी में बदलाव निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। यह कितने समय में होगा, जैसे-जैसे वैकेंसी आती-जाती है उन वैकेंसी को उन्हें निर्धारित नियमों के तहत भरने का प्रयास किया जाता है।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी ने भी यह प्रश्न उठाया था कि आपने आय सीमा बढ़ाई है, परंतु इससे पहले अनेक ऐसे मामले थे जो अढ़ाई लाख रुपये की पूर्व आय सीमा को पार कर जाने के कारण अस्वीकार कर दिए गए थे, जबकि उनकी वास्तविक आय तीन लाख रुपये से कम है। आय सीमा पार होने के कारण वे मामले रिजेक्ट हो गए लेकिन अब विभाग उन्हें दोबारा विचार में नहीं ले रहा। क्या सरकार ऐसे मामलों में, जहां पात्र जो करुणामूलक आधार पर नौकरी चाहते हैं, उन्हें दोबारा

आवेदन करने का मौका देगी, ताकि आय सीमा में बढ़ोतरी का लाभ उन्हें भी मिल सके जिनके आवेदन पहले अस्वीकृत हो चुके हैं।

Speaker: The question is very specific कि आपने जो आय बढ़ाई है।...(Interruption). There is an anomaly here that is supposed to be corrected.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि, वर्तमान समय में हमारी पॉलिसी के अनुसार तीन लाख की आय सीमा वाले वे सभी आवेदक, जिनके मामले अभी तक अस्वीकृत नहीं हुए हैं, उन्हें आवेदन करने का अवसर दिया गया है। इसमें ऑरफन और विडो के मामलों को प्राथमिकता दी जाती है। इस प्राथमिकता के आधार पर

02-12-2025/1135/DC/MD/3

आने वाले समय में, यदि आवश्यकता महसूस होती है तो केस-वाइज़ अध्ययन के आधार पर उपयुक्त बदलाव भी किए जा सकते हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं है।

श्रीमती के०एस० द्वारा जारी---

02.12.2025/1140/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या : 3669 जारी ...

अध्यक्ष : ये कह रहे हैं कि जो आपने इन्कम क्राइटेरिया बढ़ा दिया, जो केस रिजेक्ट हो गए, will the Government reconsider those cases in view of the revised policy? That is the issue.

मुख्य मंत्री : वही तो मैं भी कह रहा हूँ। अभी जो पॉलिसी के तहत है, दिसम्बर तक, उसी के तहत लेंगे। उसके बाद जो रिजैक्टिड केसिज़ हैं, पॉलिसी में कब बदलाव करना है, वह

सरकार का नीतिगत फैसला होता है, वही मैं कह रहा हूँ। अभी जो फ्रेश केसिज़ आ रहे हैं, सरकार उनको कंसीडर कर रही है।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने जो प्रति परिवार 3 लाख रुपये इन्कम की, उसमें प्रति व्यक्ति इन्कम कितनी की गई है? मान लो दो परिवार के आदमी हैं। क्या उनकी इन्कम दोनों परिवारों की 3 लाख रुपये कंसीडर करेंगे या नहीं, क्योंकि इन्कम क्राइटेरिया प्रति व्यक्ति 62,500 है? अगर एक परिवार के दो व्यक्ति हैं, उनकी इन्कम तीन लाख बनती है परंतु आप उनकी 1.25 लाख रुपये इन्कम काउंट करते हैं। क्या एक परिवार की इन्कम 3 लाख मानेंगे या वही क्राइटेरिया टोटल 62,500 रुपया प्रति व्यक्ति रखेंगे?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने कहा कि 62,500 है, उसको हम प्रति परिवार 3 लाख रुपया मानते हैं।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि नीतिगत, तो मैं इनसे इस प्रश्न के माध्यम से यही अपील कर रहा हूँ कि नीतिगत फैसले में बदलाव करके जो पात्र लोग हैं, जिनके मामले रिजेक्ट हैं, उनको या तो खुद सरकार कंसीडर करें या उनसे दोबारा अप्लाई करवाकर उनको भी मौका दिया जाए। दूसरे, जो आय सीमा देखी जाती है, उसमें जैसे जमीन की जो आय देखी जाती है, पटवारी नॉर्मज़ के आधार पर जितनी जमीन है, उसकी आय लिख कर दे देते हैं। वह चाहे उसमें फसल पैदा कर रहा है या नहीं कर रहा है, इन्कम हो नहीं रही है, उसके बावजूद भी उसकी इन्कम नॉर्मज़ के हिसाब से भर दी जाती है। दूसरा, जो कर्मचारी की डैथ के बाद उसके परिवार को पेंशन

02.12.2025/1140/केएस/एचके/2

मिलती है, उसको भी आय में देखा जाता है। क्या सरकार जब करुणामूलक लोगों के लिए फैसला लेना है, इतना ध्यान रखेगी कि जो मौके पर जमीन से आय है, पटवारी उसको लिखे। दूसरे, पेंशन को आय सीमा से बाहर रखे, क्या सरकार ऐसा नीतिगत फैसला लेने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न राजनीतिक ज्यादा हो गया है और करुणा- मूलक वालों के साथ जो करुणा होनी चाहिए वह कम नज़र आ रही है। पिछली सरकार ने तो कुछ किया नहीं। अब हम एक स्टेज बढ़े हैं और दूसरी स्टेज के बारे में जैसे ही सरकार के नीतिगत बदलाव आते हैं, आने वाले समय में सरकार इन बातों का विचार भी रखेगी। पहले जितनी पोस्टें क्रिएट की गई हैं, दिसम्बर तक जो अभी अप्लाई करेंगे पहले हम उनको कंसीडर करेंगे और उसके बाद जो रिजैक्टिड केसिज़ हैं, समय, परिस्थितियों और नियमों के अनुसार हमने जो फैसला करना होगा, आने वाले समय में हम उस पर विचार करेंगे।
...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ऐसा है कि इस प्रश्न पर पहले ही लगभग 20 मिनट तक चर्चा हो गई है।
...(व्यवधान) जय राम ठाकुर जी, अभी बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। आप इसे नियम-61 में रिसॉर्ट करो। I will give you a chance. Half-an-hour discussion on this point. Half-an-hour discussion under Rule-61. Both Shri Deep Raj ji and Shri Ashish Butail Ji, in half-an-hour everybody can debate. ...
...(व्यवधान) अभी तक का मैक्सिमम टाइम आपको ही गया है। आधे घंटे में शायद 15-20 मिनट आप लोगों ने ही लिए हैं।
...(व्यवधान) ठीक है, जय राम जी, आप बोलिए।

अगले वक्ता अवकाश की बारी में..

02.12.2025/1145/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 3669-----क्रमागत

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने स्वभाव के अनुरूप बहुत शांति से बैठा था। परंतु जब ये गलत सूचना देते हैं तो मेरा यह धर्म बनता है कि उस गलती को दुरुस्त करूं और अभी मैं उस गलती को ठीक करने के लिए ही खड़ा हुआ हूं।

माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि करुणामूलक के लिए तो आपने कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अगर करुणामूलक आधार पर नौकरियां

मिली हैं तो वह भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा मिली हैं।
...(व्यवधान) नहीं, मैं अनुपूरक प्रश्न ही पूछ रहा हूँ।

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताएंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार में करुणामूलक आधार पर नौकरी हासिल करने के लिए एज क्राइटीरिया क्या था? ...(व्यवधान) आप नहीं देंगे, यह मुझे भी पता है। ...(व्यवधान) आप यह भी बताइए कि इन्कम क्राइटीरिया में बढ़ोतरी कब हुई? ...(व्यवधान) ठीक है, आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उसको बढ़ाइए। इसके अतिरिक्त आप यह भी बताइए कि आपने अपने तीन वर्षों के कार्यकाल में करुणामूलक आधार पर कितनी नौकरियां दीं और भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में करुणामूलक आधार पर कितनी दी थी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न करुणामूलक की पॉलिसी से संबंधित है। अब अतीत को सामने लाने के लिए आप नये तरीके से प्रश्न कीजिए, मैं इसका जवाब तब दूंगा। अभी मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

प्रश्न समाप्त

02.12.2025/1145/av/hk/2

प्रश्न संख्या : 3670

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो माननीय मंत्री से प्रश्न किया था उसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि गद्दीधार-करसोग-करोल बस काफी लंबे समय से बंद कर दी गई थी। यह धर्मपुर, सरकाघाट, बल्ह, नाचन और करसोग यानी 5 विधान सभा क्षेत्रों को जोड़ने वाली बस काफी लंबे समय से बंद रही। मैंने इस बारे में एक बार नहीं अपितु अनेकों बार माननीय मंत्री से बात की है और इस बार मैंने इस संदर्भ में प्रश्न भी लगाया। मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बस सेवा को फिर से शुरू किया है।

दूसरा, मैंने मंत्री जी से यह पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के अंदर आपकी कुल कितनी बसें चलती हैं? जिसके उत्तर में उन्होंने बताया है कि वर्तमान में हिमाचल पथ

परिवहन निगम में कुल 2945 संचालन हेतु उपलब्ध बसिज के अतिरिक्त 107 बसिज ऐसी हैं जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है यानी 107 बसें ऐसी हैं जो अपने किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह भी बताया है कि 171 बसें रूट्स पर नहीं चल रही हैं।

मैंने मंत्री जी से यह भी पूछा था कि आप मण्डलवार पूरा ब्यौरा दें कि आपकी कितनी-कितनी बसें चलती हैं? जिसके उत्तर में इन्होंने बताया है कि सुन्दरनगर में कुल 98 बसों का बेड़ा है जिसमें से 92 बसें चलती हैं।

टी सी द्वारा जारी

02.12.2025/1150/टी0सी0वी0/वाई0के0/-1

प्रश्न संख्या : 3670... क्रमागत श्री विनोद कुमार जारी

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो जानकारी दी है वह गलत है। मैं कुछ दिन पहले आर0एम0 सुंदरनगर से मिलकर आया हूं क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र की बहुत-सारी बसें ऐसी थीं जो नहीं चल रही थी। उन्होंने कहा कि हमें कुल 98 बसें चाहिए और उनमें से वर्तमान में केवल 80 बसें ही सुन्दरनगर डिवीजन में हैं। उन 80 बसों में से भी चालीस बसें ऐसी है जो अपने किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं और जो किलोमीटर पूरे कर चुकी बसें हैं उनमें से अधिकतर बसें आए दिन खराब होती रहती है जिसके कारण रूट पर बसें नहीं भेजी जा रही है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो बसें किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं अगर इनके खराब होने के कारण कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी बसें अपने किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं और बार-बार खराब हो रही है उन बसों को डिस्मेंटल करने के लिए भेज दिया जाए और उनके स्थान पर नई बसें क्रय करें।

दूसरा, मैं यह भी देख रहा था कि मण्डलीय कार्यशाला तारा देवी में आपने बसों का स्वीकृत बेड़ा 29 बताया है जबकि वहां 44 बसें हैं। इसी तरह से परमाणू में स्वीकृत बसों की संख्या 33 है जबकि वहां 36 बसें हैं। क्या मंत्री जी यह सुनिश्चित करेंगे कि जहां बेड़े में

अधिक बसें हैं वहां से बसों को सुंदरनगर या अन्य डिवीजनों के अंदर भेजने का प्रावधान करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की बसों की अपनी महत्वता है और ये इनके डिवीजन सुन्दरनगर से लगभग 5 विधान सभा क्षेत्रों को कवर करती हैं। इसी दृष्टिकोण से इसकी महत्वता को देखते हुए पिछले महीने जिन बसों के किलोमीटर पूरे हो चुके थे उनको बाहर किया गया। इसके साथ ही जैसे यहां कई डिपोज की बात की गई जहां बसों की कमी है और कुछ ऐसे डिपोज भी कोट किए जहां सरप्लस बसिज हैं। इसके बारे में

02.12.2025/1150/टी0सी0वी0/वाई0के0/-2

मुझसे पूर्व मुख्य मंत्री जी ने डिपार्टमेंट से संबंधित जो युक्तिकरण की बात की है वह इसका पार्ट रहेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जनता को सुविधा मिले। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : इस प्रश्न के बारे में मुख्य मंत्री जी ने पहले ही विस्तार से जवाब दे दिया है और रेशनलाइजेशन हो रही है। कुछ रूट बंद हो रहे हैं और नये रूट भी प्राइवेट बसिज को दिए जा रहे हैं that process is on.

प्रश्न संख्या : 3671

श्री भुवनेश्वर गौड़ : माननीय सदस्य उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या : 3672

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय यह जो सूचना डिपार्टमेंट द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिसमें मैंने पूछा था कि मेरे बिलासपुर से जाहू और जाहू से बिलासपुर के लिए एक बस चलती थी, के जवाब में लिखा है कि आय के कारण इस बस को 28.07.2025 को बंद कर दिया गया जबकि यह बस स्कूल, कॉलेज और आई0टी0आई0 के लगभग 15 पंचायतों के बच्चों को लाने और ले जाने के लिए चलती थी। यह बस जाहू से चलती थी और 3 किलोमीटर बाद मैरी काथला, लदा, कुठेड़ा, बलसुय, तलैयाना, हरलोग, हवाण, चलैली,

रोहण पंचायत से होते हुए कंदरौर से यह बस बिलासपुर तक पहुंचती थी और यह बस ओवर क्राउडिड रहती थी। यह बस स्कूल, कॉलेज और आई0टी0आई0 के टाइम को मैच करके चलाई गई थी इस सरकार ने यह बस भी बंद कर दी। इसके अलावा 10 अन्य रूट भी बंद किए गए हैं। मेरा मानना है कि जिन रूट्स पर बच्चों के पास बने हैं चाहे आई0टी0आई0 के हों, चाहे स्कूल के हों, चाहे कॉलेज के हों उन रूट्स पर कहीं भी आय नहीं होगी। क्या सरकार इस आधार पूरे प्रदेश में जहां बसों की आय नहीं है, सभी रूटों को बंद करने का विचार रखती है या जो स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए बसें चल रही हैं, उन्हें सरकार बहाल करेगी।

शिक्षा मंत्री महोदय एन0एस0 द्वारा शुरू...

02-12-2025/1155/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 3672 -----क्रमागत

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बच्चों से संबंधित विषय उठाया है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इन्होंने स्कूल जाने वाले बच्चों, आई0टी0आई0 में पढ़ने वाले बच्चों और कॉलेज की भी बात की है। इसका कॉर्पोरेशन व विभाग के द्वारा सर्वे/सर्वेक्षण भी हुआ है जिसके अनुसार 25 बच्चों को इसकी सुविधा उपलब्ध थी जब यह बस चला करती थी। वर्तमान में एच0आर0टी0सी0 की जो ऑल्ट्रानेटिव बसें हैं तो उनमें सभी बच्चे यातायात कर रहे हैं। दूसरा, इस बस रूट पर एक निजी बस ऑपरेटर श्री रविन्द्र कुमार जी ने अपना नियमित कार्य प्रारम्भ कर दिया है। यही कारण है कि यह बस सर्विस बंद की गई है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंत्री जी ने सब बता दिया है और उत्तर में यह लिखा भी है। श्री त्रिलोक जम्वाल जी आप क्या पूछना चाहते हैं?

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह सर्वे कौन सा है? जो आपने सर्वे करवाया है उसका जिक्र इस प्रश्न के लिखित उत्तर में नहीं दिया गया है। दूसरा, इन्होंने कहा कि 27 बच्चे हैं तो मंत्री जी आप

उनके नाम बता दें। जब ये बच्चे जिलाधीश से मिलने गए तो लगभग 100 बच्चे थे। इन्होंने नारे लगाए और रास्ता जाम किया तथा इन्होंने कॉलेज के बाहर धरना दिया। यह एक इकलौती बस है जो इस रूट पर चलती थी। यहां पर गर्ल्स आई0टी0आई0, गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल है जिसके लिए छात्राएं विशेष तौर पर आती हैं और हमारा एक कॉलेज भी है तथा यह 52 सीटर बस पूरी ओवरलोड होकर आती है। मैं जानना चाहता हूं कि 27 का आंकड़ा कहां से आया? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस 27 के आंकड़े के बारे में बताएं। सरकार अपनी वैल्फेयर वाली नीति को भी स्पष्ट करे। पहले आप स्कूल बंद कर रहे हैं और जो कुछ बचे हुए स्कूल हैं उनमें आप जाने के साधन बंद कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर सदर में 10 रूट बंद हो गए हैं।

अध्यक्ष : यह बात मुख्य मंत्री जी ने बोल दी है कि 435 रूट्स बंद हो रहे हैं और उनको रेशनलाइज कर रहे हैं। This is what which has already come on the record.

02-12-2025/1155/NS-YK/2

श्री त्रिलोक जम्वाल : मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं कि जो वैल्फेयर के हैं जिन स्कूलों और कॉलेजों के पासिज बने हैं तो क्या पूरे प्रदेश की सारी एच0आर0टी0सी0 बसें बंद होंगी?

Speaker : The process of rationalization is going on.

शिक्षा मंत्री : सर्वप्रथम जैसे माननीय सदस्य ने सर्वे के बारे में बात की है तो मैं इसके बारे में सूचना आपको उपलब्ध करवा दूंगा। **निश्चित रूप से अगर वहां पर संख्या 100 से ऊपर है तो विभाग या कॉर्पोरेशन इस पर पुनर्विचार करेगा।** माननीय सदस्य ने इसमें स्कूल की बात भी जोड़ दी है तो उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान में हमारी सरकार ने लगभग 1350 के आसपास आपके स्कूल डाउनग्रेड या मर्ज किए जिसमें से 50 प्रतिशत लगभग 650 के आसपास बनता है। ये जीरो एनरोलमेंट के स्कूल थे। इन स्कूलों में लगभग 1252 बच्चे थे और इसमें अध्यापक 1558 थे। इकोनॉमी चाहे गुजरात, उत्तरप्रदेश या उत्तराखंड की हो, मैं समझता हूं कि सभी बातों को लेकर सरकार ने स्पष्ट निर्णय लिया है

कि अपनी क्वालिटी एजुकेशन और हिमाचल प्रदेश का शिक्षा स्तर बेहतर हो, उत्तम हो तो इस सोच के साथ ऐसा किया गया है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी आप कुछ कहना चाहते हैं?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 100 बच्चों की बात कही है। हमारी सरकार का मानना है कि उन रूटों पर बसें बंद की गई हैं जहां एकस्ट्रा रूट चल रहे थे। निश्चित रूप से अगर ऐसा हुआ है तो हम प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को कहेंगे कि वहां बस चलाई जाए। बच्चों को कन्सेशन देने के लिए पास बनाए जा रहे हैं। ... (व्यवधान) लगभग 20,000 पास बन रहे हैं। हम प्राइवेट बसों में पास चलाने के लिए भी पॉलिसी ला सकते हैं। अभी हमने सबको कहा है कि पास बनवाएं। अभी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा केवल सरकारी बसों में ही है। जहां-जहां रूट बंद हुए हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ने जाते हैं तथा सब्सिडी का फायदा उठाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार एक पॉलिसी लेकर आई है जिसके तहत कार्ड बनाए जा रहे हैं। इसमें एक वर्ष के लिए 200 रुपये का कार्ड बन रहा है और उसमें जी0एस0टी0 अलग से लग रहा है। जब ये कार्ड बन जाएंगे तो हमें

02-12-2025/1155/NS-YK/3

रिकॉर्ड पता लग जाएगा कि किस रूट से कितने बच्चे आ रहे हैं तथा उस हिसाब से हम आगे बस चलाने बारे विचार कर सकते हैं।

अध्यक्ष -----आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

02.12.2025/1200/RKS/एजी-1

अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

शून्य काल

अध्यक्ष : अब शून्य काल शुरू होगा। आज मेरे पास बहुत सारे इशू प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले मैं डॉ० जनक राज जी को अपना विषय उठाने के लिए आमंत्रित करूंगा। आपने भेड़

पालकों और भेड़ पालन व्यवसाय को हो रही समस्याओं के बारे में अपना विषय प्रस्तुत किया है। माननीय सदस्य कृपया आप अपना विषय रोज कीजिए।

डॉ० जनक राज : अध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र के लगभग 748 लोग हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन में पंजीकृत हैं। मेरे क्षेत्र के लोग परंपरागत तरीके से भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हैं। वर्तमान समय में भेड़ पालक काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर मैं पिछले एक सप्ताह की बात कहूँ तो सर्दियों के इस मौसम में प्रवास के दौरान गडरियों ने मुझे लंज, ढक्की की धार नूरपुर, लपियाणा और रानीताल क्षेत्रों से चोरी की घटनाओं के बारे में सूचित किया है। मैंने इस बारे में पुलिस प्रशासन को सूचित किया है लेकिन इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि जो लोग भेड़ पालन व्यवसाय से जुड़े हैं अगर उनकी 15-20 भेड़-बकरियाँ एक साथ चुरा ली जाए तो उनके साल भर की कमाई समाप्त हो जाती है। उन लोगों को प्रवास के समय यह समस्या झेलनी पड़ रही है। साथ ही भेड़-बकरियों को जो दवाइयाँ मुहैया करवाई जानी थी, मेरी जानकारी के अनुसार उनका रेट काँट्रेक्ट समय पर न होने के कारण वे दवाइयाँ उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तीसरा, वन विभाग द्वारा चरागाहों के आकार को सीमित कर दिया गया है। लोगों ने बाड़-बंदी कर दी है। मेरा यह कहना है कि भेड़ पालक पेड़-पौधों को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जंगली या पालतू जानवार घास खाते हैं वे पेड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते इसलिए हमें नियमों में छूट देनी चाहिए। प्रकृति ने जानवरों की भोजन की व्यवस्था पेड़-पौधों के रूप में की है लेकिन बाड़-बंदी होने से वन विभाग वाले आये दिन उनके चालान काट रहे हैं। कोई यह कह रहा है कि आप इतना पैसा दे दीजिए और हम आपको वहां भेड़-बकरियाँ ले जाने के लिए अलाउ कर देंगे। आजकल भेड़ पालकों को इस तरीके की अनेकों समस्याएं आ रही हैं। मेरा आग्रह है कि भेड़ पालकों को जो ये समस्याएं आ रही हैं उन पर सरकार गंभीरता से विचार करे। राजस्थान और अन्य प्रदेशों से जो पशु यहां बेचने के लिए लाए जा रहे हैं

02.12.2025/1200/RKS/एजी-2

उससे स्थानीय भेड़ पालकों की भेड़-बकरियों की खरीदारी कम हो रही है जिससे यह व्यवसाय खतरे की जद में है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने जनजातीय लोगों

के इस पारंपरिक व्यवसाय के लिए विशेष संरक्षण प्राप्त करना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे समुदाय की पहचान है और इसे समाप्त होने से बचाया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय कृषि मंत्री जी।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, डॉ० जनक राज जी ने इस शून्य काल में बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। यह ठीक है कि जब गडरिये अपने मवेशियों के साथ निकलते हैं तो इस तरह की छुट-पुट घटनाएं होती हैं। इसके लिए हमने आदेश दिए हैं कि निकटवर्ती ठानों में इसकी रिपोर्टिंग की जाए ताकि इसकी पूरी तहकीकात की जा सके। जो दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि स्थानीय लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। अगर निकटवर्ती थानों में इसकी रिपोर्टिंग की जाए तो उसके आधार पर आगे एक्शन लिया जाएगा।

श्री बी०एस० द्वारा जारी

02.12.2025/1205/बी.एस./ए.जी.-1

कृषि मंत्री जारी...

जहां तक परमिट की बात है इसे तो हमारा वन विभाग इश्यू करता है और जिन-जिन एरियाज में उन लोगों को परमिट इश्यू होते हैं वहीं पर वे अपना चरान करवा सकते हैं। इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है लेकिन कुछ एरियाज क्लोजर होते हैं जहां पर प्लांटेशन नई लगाई जाती है उनको बंद किया जाता है क्योंकि लोग कई बार उन एरियाज में भी ग्रेजिंग करवाने का प्रयास करते हैं जिससे नुकसान होता है। जहां-जहां पर लोगों को परमिट इश्यू किये जाते हैं उस एरिया में कोई प्रतिबंध नहीं है वे वहां पर अपनी भेड़ों को चरा सकते हैं।

जहां तक दवाइयों की बात है यह ठीक बात है कि उसमें थोड़ी देरी हुई है परंतु अब इनका रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और जहां-जहां पर जितनी मांग है, हमने डिप्टी डायरेक्टर को

आदेश दे दिए हैं और वहां पर दवाईयां सप्लाई की जा रही हैं। जहां तक ऊन कटाई की बात है उसे भी हम सुनिश्चित करेंगे।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्रीमती रीना कश्यप जी अपना विषय रखेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि हमारा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हबबन के निर्माणधीन कार्य में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जबकि विभाग के पास 35 लाख रुपये की राशि शेष बची है। इसके कारण इस इलाके के बच्चों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वे बच्चे पंचायत घर में अपनी क्लासे लगा रहे हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि वे जल्दी-से-जल्दी इस कार्य को आरंभ करें।

दूसरा मेरा जो आग्रह रहेगा कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ है उनके पास एक खेल मैदान है परंतु उस खेल मैदान में स्कूल के भवन का निर्माण किया जा रहा है मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि बच्चों के खेल के मैदान को छोटा न किया जाए और वहां पर जो कमरों का निर्माण किया जाना है उन्हें किसी अन्य स्थान पर बनाया जाए, यह मेरा मंत्री जी से निवेदन रहेगा।

02.12.2025/1205/बी.एस./ए.जी.-2

Speaker: This House has taken a cognizance of this issue and whatever concerns have been raised by the Hon'ble Member will be conveyed to the respective department. Since the Hon'ble Minister is not here to intervene, your concern will be conveyed to the respective department.

अब माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अपना विषय रखेंगे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो विषय मैंने इस माननीय सदन के अंदर मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना है कि ऊना के साथ लगता रामपुर गांव है। उसके पुल का विषय

है। उस पुल के पिल्लर बरसात के दिनों में और अवैध माइनिंग के कारण बैठ गए थे जिसके कारण वहां पर पुल को बंद करना पड़ा था। यह मार्ग लगभग 14 पंचायतों का मुख्य मार्ग है। ऊना-संतोषगढ़-पंजाब तक यह रास्ता जाता है। उसके बाद वहां पर बैली ब्रिज लगाया और बैली ब्रिज को चलते हुए दो वर्ष हो गए और उस बैली ब्रिज की बजन उठाने की क्षमता 10-12 टन की है परंतु उस एरिया के अंदर आई0ओ0सी0 का एक टर्मिनल है उसके ऊपर से 300-400 ट्रक रोज तेल ले करके पूरे हिमाचल और अन्य जगहों, लेह-लद्दाख तक जाते हैं। इस तरह से वह 14 गांवों तक के लिए रास्ता भी है। उस एरिया में स्टोन क्रशर भी हैं जिसकी हम बार-बार आवाज भी उठाते हैं कि ओवर लोडिंग का मामला है। उन टिप्पणियों में जो सामान जाता है वह बहुत ज्यादा मात्रा में जाता है। लेकिन ऐसा डर रहता है कि जब उस बैली ब्रिज के ऊपर से डिप्पर निकलते हैं कि कहीं वह पुल टूट न जाए जिससे 14 गांव का रास्ता बंद हो जाएगा और पंजाब को जाने का रास्ता भी टूट जाएगा। उसके ऊपर विभाग ने जो वर्ष 2025 का बजट था उससे पहले

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

01.12.2025.1210 डी0टी0-ए0एस0.-1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी...

उसका 16 करोड़ रुपया का एसटिमेट बनाकर भेजा था लेकिन सरकार की ओर से उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है। इसके लिए वहां के लोग समय-समय पर आवाज भी उठाते हैं और जब हम कभी प्रवास के दौरान उन गांवों में जाते हैं तो इस संबंध में वे लोग हमसे भी बातचीत करते हैं। हमारा कंसर्न बस इतना ही है कि प्रदेश सरकार उसके लिए बजट प्रोवाइड करवाए ताकि उस पुल का काम शुरू हो सके। पिछले दिनों वह बैली ब्रिज कुछ दिनों के लिए बंद किया गया था जिसके कारण वहां पर बहुत अफरा-तफरी हुई जिसके कारण लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हुए। इसलिए मेरा इतना ही कंसर्न है कि उस पुल के लिए जो बजट विभाग ने मांगा है सरकार से उस बजट को विभाग को उपलब्ध करवाया दिया जाए ताकि इस पुल का काम जल्द-से-जल्द शुरू किया जा सके। क्योंकि

इस पुल को बनने में भी दो साल का समय ग जायेगा। इस पुल के लिए जो 16 करोड़ रुपये का एसटिमेट बनाया गया है, जब ये बिडिंग कंपीटिशन में जायेगा तो 10 से 12 करोड़ तक तो जायेगा ही और उस बनने में भी दो-तीन साल लगेंगे। मेरा सरकार से इतना ही निवदेन है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी ने एक बहुत ही अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय माननीय सदन के ध्यान में लाया। माननीय मंत्री जी अभी सदन में नहीं हैं और विभाग इसका संज्ञान भी लेगा और विधान सभा सचिवालय आपके इस विषय को संबंधित विभाग और संबंधित मंत्री के पास भी पहुंचायेगा ताकि इसके ऊपर जल्द कार्रवाई की जा सके।

अब माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी अपना विषय शून्य काल के माध्यम से उठाएंगे।

"खैर के पेड़ की कटाई का उचित मूल्य किसान को उपलब्ध करवाने और खैर के पेड़ को काटने से संबंधित मार्किंग का कार्य ठेकेदारों से न करवा करके संबंधित विभाग स्वयं करे के" संबंध में माननीय सदस्य श्री त्रिलोक जम्वाल जी शून्य काल में उठाया गया मामला ।

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आजकल जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में खैर की कटाई का

01.12.2025.1210 डी0टी0-ए0एस0.-2

काम चल रहा है उसकी मार्किंग हो रही है। लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति वहां देखने को मिल रही है कि जो काम वन विभाग को करना चाहिए उसको ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा है यानी इन पेड़ों की मार्किंग वन विभाग न करते हुए ठेकेदारों से करवाई जा रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना संरक्षण चाहूंगा कि सरकार इसमें जितने भी किसान हैं उन सभी के पेड़ों की मार्किंग करवा दे। जिस किसान को अपना माल बेचना वह अपनी मर्जी से अपना माल बेचे। वर्तमान में ऐसा हो रहा कि ठेकेदार विभाग के प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जाकर अपनी इच्छा से खैर के पेड़ों की मार्किंग करवा रहा है और अपने हिसाब से किसान को पैसे दे रहा है। मेरे कहने का अर्थ है कि इसमें कोई एकरूपता नहीं दिख रही। सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि अगर किसी किसान के पास खैर के दस पेड़ हैं और वे पेड़ वन भूमि में आते हैं तो उन खैर के पेड़ों की कीमत

लगभग डबल हो जाती है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से यह संरक्षण चाहता हूँ कि जितनी भी मार्किंग हो वह विभाग द्वारा करवाई जाए और किसान को लिबर्टी हो कि वह अपना माल जिसे बेचना चाहे उसको बेचें। दूसरा रेट के ऊपर सरकार चैक रखें कि जो फोरेस्ट के साथ लगता एरिया है उसमें रेट डबल किया जाए। इसका मतलब गाहे-वगाहे वहां इलिगल फेलिंग होगी। वन विभाग मुख्य मंत्री जी के पास है इसलिए मैं यही इनसे जानना चाहूंगा।

Speaker : I think again nobody wants to respond to this issue. Still it is a very important issue and this House has taken a cognizance of it. The Vidhan Sabha Secreteriate will convey this issue to the respective Department and will certainly ask them to come forward with the reply and the information will be supplied to the Hon'ble Member. Thank you. त्रिलोक जम्वाल जी आपका एक और विषय है।

"आउट सोर्स के माध्यम से आर0एच0 बिलासपुर में स्वच्छता व्यवस्था में लगाये गये लोगों की आयु जो 18 वर्ष से 50 वर्ष निर्धारित की गई है, उसकी सीमा बढ़ाने के संबंध में"
श्री त्रिलोक जम्वाल द्वारा शून्य काल में उठाया गया मामला

01.12.2025.1210 डी0टी0-ए0एस0.-3

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, यह विषय हमारे जो आउट सोर्स कर्मचारी हमारी स्वच्छता व्यवस्था में लगे होते हैं उनके संबंध में है। क्षेत्रीय चिकित्सालय बिलासपुर में जनवरी महीने में सरकार ने एक टेंडर किया और उस टेंडर के माध्यम से कंडीशन इंपोज कर दी कि वही लोग इलिजिबल होंगे जो 18 साल से ऊपर होंगे और 50 साल से कम होंगे तो आउटसोर्स में जब गवर्नमेंट ने टेंडर बनाया तो उसके माध्यम से जो उस हस्पताल में सफाई व्यवस्था को कार्य जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग देखते थे अब उनको उनकी सेवाओं से बाहर निकाल दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब हिमाचल में रिटायरमेंट एज 58 है और चतुर्थ श्रेणी की 60 है तो इस विषय में केवल 50 वर्ष क्यों

श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

02.12.2025/1215/ए.एस.-एन.जी./1

श्री त्रिलोक जम्वाल.....जारी

यह टेण्डर किसने डिज़ाइन किया है या किसी व्यक्ति विशेष के लिए डिज़ाइन किया गया है? मेरे पास टेण्डर डॉक्यूमेंट है (एक पत्र दर्शाते हुए) और इसमें यह कंडीशन लिखी गई है। यह डॉक्यूमेंट दिनांक 17-01-2025 का है और यह टेण्डर दिनांक 07-02-2025 को खुला है। इसमें 13 नम्बर पर एक कंडीशन लिखी गई है कि 'above the age of 12 years and below the age of 50 years' तो जो हमारे 51 या 52 साल के लोग सफाई व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, इस सरकार ने उन सभी को निकाल दिया है। उनमें कुछ महिलाएं हैं जोकि स्थानीय क्षेत्र में ही काम करती हैं और वाल्मिक समाज से संबंध रखती हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश में जब सेवानिवृत्ति आयु 58 व 60 साल है तो इनको भी 60 सालों तक काम करने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।

Speaker: Again it is an important issue that has been brought into the notice of the august House. We will certainly look into this also and will convey your sentiments to the respective department and as well as to the outsource agency. We will let you know the decision taken by the respective department and the outsource agency. ...(Interruption).

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना संरक्षण चाहता हूं कि विभाग द्वारा जब तक अन्य आदेश न हो जाएं तब तक उन दोनों महिलाओं को न निकाला जाए।

Speaker: At this stage, the Hon'ble Minister is not in position to intervene

अब माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल शून्य काल के माध्यम से माननीय सदन में अपना विषय रखेंगे। उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकानों के डिपो होल्डर्स की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में शून्य काल के दौरान माननीय सदस्य, श्री जीत राम कटवाल द्वारा उठाया गया विषय।

02.12.2025/1215/ए.एस.-एन.जी./2

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकानों के डिपो होल्डर्स की समस्याओं के संदर्भ में माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 2022 में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था तब उसमें कहा गया था कि उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकानों के डिपो होल्डर्स को 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन/मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा वन टाइम लाइसेंस की व्यवस्था करने बारे भी कहा गया था और ट्राइबल क्षेत्रों में मोबाइल वैन सेवा के माध्यम से राशन की व्यवस्था करने की घोषण की गई थी। वर्तमान में प्रतिवर्ष लाइसेंस का सिस्टम चला हुआ है और उसकी फीस भी देनी पड़ती है। जिस कारण डिपो होल्डर्स को बड़ी कठनाई होती है। उन्हें ए0पी0एल0 कार्ड पर लगभग 4 प्रतिशत कमीशन मिलता है और भारत सरकार के सिस्टम के अनुसार उन्हें 143/- रुपये प्रति 100 किलोग्राम के हिसाब से मिलते हैं। ये लोग राशन की मशीनें (POS Machines) भी स्वयं मँटेन करते हैं और उसकी लायबिलिटी डिपो होल्डर्स की ही होती है। आई0आर0डी0पी0 के नए सर्वे के कारण 70 से 80 प्रतिशत जनसंख्या राशन सिस्टम से बाहर हो जाएगी और इन उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकानों की वायबिलिटी बहुत गम्भीर स्थिति में पहुंच जाएगी। हो-

न-हो किसी दिन आम जनमानस को राशन की व्यवस्था से एकदम से जूझना पड़ जाए। ट्राइबल क्षेत्रों में तो 20-50 कार्डों पर भी डिपो खोले गए हैं और उन्हें 1000 से 1500 रुपये ही कमीशन/महताना मिल पाता है जोकि आज के समय में जीवन यापन के लिए उपयुक्त नहीं है। कोई पार्ट टाइम काम भी करे तो इससे ज्यादा कमा सकता है।

02.12.2025/1215/ए.एस.-एन.जी./3

ऐसा भी होता है कि वह आदमी एक माह में दो-तीन दिन ही दुकान पर बैठ पाए या फिर उसे उचित मूल्य की सरकारी राशन दुकान के साथ-साथ छोटी-मोटी कोई अन्य वस्तुओं की भी दुकान करनी पड़ती है।

Speaker: Hon'ble Member please conclude now.

श्री जीत राम कटवाल.....श्रीमती पी०बी० द्वारा.....जारी

02.12.2025/1220/डी०सी०-पी०बी०/1

अध्यक्ष की अंग्रेजी के बाद... जारी

श्री जीत राम कटवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें वायबिलिटी का भी प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये तीन-चार चीजें लिखी थीं जिन्हें मैंने सदन में व्यक्त किया है। आज के प्राइस इंडेक्स या जीवन यापन के साधन के रूप में राशन का कमीशन डिपो धारक के लिए बिल्कुल भी वाइबल नहीं हो रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वे इस बारे में संजीदगी से विचार करें और इनके लिए भी मानदेय या कमीशन का ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इन लोगों की इस कार्य में रुचि बनी रहे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा गलत तरीके से काम किया जाता है या कई बार गलत गतिविधियां होती हैं तो उनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए ताकि ये लोग सम्मानजनक तरीके से राशन का वितरण करें

और आम जनमानस व गरीब व्यक्तियों को सुविधा दें। मैं इस बारे में मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि महोदय इस पर ज़रूर गौर करेंगे, धन्यवाद।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपके इस विषय को सरकार के ध्यान में विधान सभा सचिवालय के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा और विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से आपको अवगत करवा दिया जाएगा।

अब माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया शून्य काल में अपना विषय उठाएंगे but be very brief. शून्य काल को खत्म होने में केवल दस मिनट बचे हैं और अभी दो-तीन विषय शेष हैं।

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में "अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड" के मामले को उठाने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से सैनिक वेलफेयर बोर्ड है उसी तरह से अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड भी होना चाहिए क्योंकि प्रदेश में लगभग 2,64,000 अर्धसैनिक बल के रिटायर्ड व्यक्ति हैं। भारत की सीमाओं पर अर्धसैनिक बल के पिछले 10 वर्षों में 45 जवान शहीद हुए हैं। अर्धसैनिक बल के व्यक्ति पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार से बार-बार इस विषय को लेकर मिलते भी रहे हैं। यदि मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूँ तो उस वक्त के मुख्य मंत्री जी कुपवाड़ा गांव में शहीद ज़ोरावर सिंह के शहीदी पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। मैंने यह कई बार देखा है कि

02.12.2025/1220/डी0सी0-पी0बी0/2

सरकारें घोषणाएं कर देती हैं लेकिन आगे कुछ नहीं होता। उस समय भी अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की गई थी जिसकी तारीख मुझे अभी तक याद है क्योंकि मैं उस गांव का रहने वाला हूँ और वहां पर हजारों लागे इकट्ठे होकर शहीद ज़ोरावर सिंह अमर रहे के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा वहां पर प्रशासन के अधिकारीगण भी आए थे। इस बारे में हिन्दी और दी ट्रिब्यून के अखबारों में न्यूज भी छपी कि मुख्य मंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड के गठन की घोषणा की है। मुख्य

मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी द्वारा हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व संभालने के बाद भी अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधि मण्डल लगातार उनसे मिलता रहा है। ऐसे जवानों की संख्या न केवल जिला कांगड़ा में है बल्कि ऊना, हमीरपुर और चम्बा जिले में भी है। आज सीमाओं पर जम्मू कश्मीर के बारामुला, कुपवाड़ा इत्यादि क्षेत्रों में बी०एस०एफ०, सी०आर०पी०एफ० या पैरामिलिट्री फोर्सिज में प्रदेश के बहुत से जवान अपनी सेवाएं दे रहे हैं इसलिए इस बोर्ड की मांग भी लम्बे समय से चल रही है। आज सदन में इस बारे में मेरा प्रश्न भी लगा था और जिसपर सरकार ने जवाब दिया है कि उचित समय पर अर्धसैनिक बल कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। प्रदेश में अर्धसैनिक बल के जवानों की विधवाओं और उनके परिवारों को भी सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि अर्धसैनिक बल के जवानों की विधवाओं और परिवारों को भी वही सुविधा मिले जो सैनिक के परिवारों को मिलती है। इस बारे में दो-तीन बार अर्धसैनिक बल का प्रतिनिधि मण्डल भी मुख्य मंत्री जी से मिल चुका है और मुख्य मंत्री जी ने उन्हें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। पैरामिलिट्री फोर्सिज के नौ जवानों के लिए जो दिल्ली से घोषणा हुई थी उन्हें वह पैसा अभी तक नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, सूबेदार पवन सिंह जरियाल जो आपके विधान सभा क्षेत्र का रहने वाला है लेकिन अब वह शाहपुर में बसा है। मैं शाहपुर के सूबेदार पवन सिंह जरियाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जो ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए हैं। मैं उनकी विधवा और बच्चों से मिला हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उन्हें जो दस लाख रुपये देना था,

श्री ए०पी० द्वारा जारी...

02.12.2025/1225/D.C./A.P./01

शून्य काल जारी

श्री केवल सिंह पठानिया जारी

उस विधवा महिला को 48 घंटे के अंदर 10 लाख रुपये पहुंचा दिए गए। इसी प्रकार हमारे 65 शहीद जवानों के परिवारों में जो विधवा महिलाएं हैं, उन्हें भी समय पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से भुगतान मिलना चाहिए। यही हमारे उन शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Speaker : Please conclude.

श्री केवल सिंह पठानिया : इसके लिए मैंने इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित किया है कि हिमाचल प्रदेश में हमारी पैरा मिलिट्री बोर्ड का गठन किया जाए।

Speaker : Again a very important issue has been brought before the House by the Hon'ble Member and the House has taken a cognizance of it also. We will convey your sentiments to the respective department, as well as to the Hon'ble Chief Minister and he may come up with the reply that will be supplied to you also. Thank you. Next Shri Hardeep Singh Bawa, be very brief please. Your issue is very long.

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र नालागढ़ से संबंधित एक खिलाड़ी है, जिसका नाम संदीप सिंह सैनी है।

Speaker : We are entertaining these issues in Zero Hour, however, these issues cannot be considered in Zero Hour. Anyway, be very brief. This is a policy matter.

02.12.2025/1225/D.C./A.P./02

श्री हरदीप सिंह बावा : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पिछले कल भी चर्चा हुई थी। इस बच्चे ने साउथ एशियन चैम्पियनशिप, जो रांची में 24 अक्टूबर, 2025 से 26 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित हुई थी, में 200 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। अध्यक्ष महोदय, इस चैम्पियनशिप में सात देशों ने भाग लिया था और हमारे हिमाचल प्रदेश के

नालागढ़ के संदीप सिंह सैनी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मैं माननीय खेल मंत्री और मुख्य मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि इस बच्चे को इनाम राशि या उसका हक दिया जाए। वर्तमान में वे आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भविष्य में यदि राज्य में योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए तो यह उनके लिए उचित होगा। माननीय खेल मंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ।

Speaker : Hon'ble AYUSH Minister do you want intervene? Okay.

आयुष मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार उन सभी खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करती है, जो खेलों में प्रदेश के लिए स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतते हैं। माननीय सदस्य द्वारा जिस खिलाड़ी का उल्लेख किया गया है, उन्हें भी सरकार द्वारा जारी मापदंडों के अनुसार जो भी उसका हिस्सा बनता है, वह उचित मान-सम्मान के साथ उस खिलाड़ी को दिया जाएगा।

अध्यक्ष : अब सचिव, विधान सभा हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (2025 का अधिनियम संख्यांक 46) के रूप में राजपत्र में प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 (2025 का अधिनियम संख्यांक 46) के रूप में राजपत्र में प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

02.12.2025/1225/D.C./A.P./03

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, कनिष्ठ

कैमरामैन, ग्रुप-सी भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2025 जोकि अधिसूचना संख्या: पब-ए(3)-60/99-II, दिनांक 21.08.2025 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.09.2025 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब कृषि मंत्री कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

कृषि मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन एवं औद्यानिकीय उपज विपणन बोर्ड (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के वार्षिक राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा जारी लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2023-24 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

02.12.2025/1225/D.C./A.P./04

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह निक्का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे। अगर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो स्पष्टीकरण के लिए I will allow. माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह निक्का जी।

श्री रणवीर सिंह निक्का : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि “सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।” अध्यक्ष महोदय, हमारे सिविल हॉस्पिटल नूरपुर में जो मेडिकल ऑफिसर हैं

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

02.12.2025/1230/AT/HK/01

श्री रणवीर सिंह जारी...

उनकी संख्या 34 है, जिनमें से 21 अपने पद पर नियुक्त हैं और वहां पर 13 पद रिक्त हैं। वहां पर एक चीफ फार्मासिस्ट होना चाहिए, मगर मौजूदा स्थिति में वहां कोई भी नहीं है। इसलिए वह स्थान भी रिक्त है। रेडियोग्राफर की नियुक्ति तीन लोगों की होनी है, लेकिन वहां दो हैं और एक पद रिक्त है। क्लास-IV कर्मचारियों की 28 नियुक्तियां होनी चाहिए थीं, जिनमें से 12 कार्यरत हैं और 16 पद रिक्त पड़े हैं। स्टाफ नर्स की संख्या 42 होनी चाहिए, जिनमें से 40 पद भरे हैं और दो पद रिक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारा सिविल हॉस्पिटल हिमाचल में प्रवेश करते ही पहला हॉस्पिटल है। यह पंजाब और जम्मू-कश्मीर से सटा हुआ क्षेत्र है। जिला कांगड़ा बहुत बड़ा जिला है और नूरपुर से टांडा मेडिकल कॉलेज काफी दूर पड़ता है। आए दिन यहां पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। ऐसे में हमारा मरीज टांडा रेफर किया जाता है, जिससे काफी समय लग जाता है। हिमाचल की ओर आते हुए यह पहला हॉस्पिटल है, वहां पर रोजाना एक्सीडेंट का कोई न कोई केस आता रहता है। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर जो भी रिक्त पद हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाना चाहिए।

अध्यक्ष: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से माननीय सदस्य ने यह विषय उठाया है, उसकी वस्तु-स्थिति निम्न प्रकार से है। वर्तमान में नूरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक अस्पताल नूरपुर में 115 बिस्तरों का प्रावधान है। वर्ष 2025 की ओपीडी 130093 तथा आईपीडी 3817 है। नागरिक अस्पताल नूरपुर में वर्तमान में अधिकांश चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, लैब जांच की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वर्तमान में नागरिक अस्पताल नूरपुर में विभिन्न प्रकार से 171 स्वीकृत, 123 भरे हुए तथा 48 रिक्त पद हैं, जिनमें

से अधिकांश पद भरे हुए हैं, जिसका ब्यौरा अनुलग्नक-क पर है। रिक्त पदों का भरा जाना सरकार की एक निरंतर प्रक्रिया है और प्राथमिकता भी है।

02.12.2025/1230/AT/HK/02

अध्यक्ष महोदय, नागरिक अस्पताल नूरपुर में निम्न विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हैं मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑर्थोपेडिक्स, आई, ई0एन0टी0, स्किन, फॉरेंसिक मेडिसिन, सोनोलॉजिस्ट।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों के आदेश सरकार द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से 4 चिकित्सकों ने अभी तक अपना पद ग्रहण नहीं किया है। सरकार द्वारा दिनांक 13 नवंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को चिकित्सकों के 232 पदों को भरने के बारे मांग-पत्र भेजा गया था, जिसकी विज्ञप्ति आयोग द्वारा दिनांक 14 नवंबर 2025 को जारी कर दी गई है।

अध्यक्ष: अब श्री विक्रम सिंह जी, माननीय सदस्य अपना ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उसका उत्तर देंगे।

एम0डी0द्वारा जारी.....

02-12-2025/1235/HK/MD/1

श्री विक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि प्रागपुर-गरली हेरिटेज विलेज के संरक्षण, स्थानीय शिल्पकारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने तथा बुनियादी सुविधाओं के विकास की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1997 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रागपुर-गरली को 'हेरिटेज विलेज' घोषित किया गया था। यह देश की सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रागपुर और गली दोनों के बीच लगभग तीन किलोमीटर की दूरी है और दोनों स्थानों को हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। प्रागपुर का नाम जसवां रॉयल फैमिली की रानी पराग देवी के नाम पर 16वीं

शताब्दी में रखा गया था। इसे फूलों का गांव या फ्लावर वैली के नाम से भी जाना जाता रहा है। प्रागपुर में स्थित प्राचीन तालाब, जजेज़ कोर्ट जो वर्तमान में एक होटल है, लाला रेनू मल हवेली, बुटेल मंदिर, शक्ति मंदिर, प्राचीन हवेलियां, स्लेट-छत वाले घर, संकरे रास्ते और पुरातन मंदिर हैं। यह सब प्रागपुर की विरासत को समृद्ध और विशिष्ट बनाते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है क्योंकि मुख्य मंत्री जी इस विषय पर उत्तर देंगे, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रागपुर गरली हेरिटेज विलेज के लिए एक विशेष पैकेज स्वीकृत किया जाए, जिससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। कुछ चीजों की और ध्यान देने की जरूरत है जैसे कि हमारे राज्य के लिए पूरे देश के अंदर स्थल सांस्कृतिक धरोहर और ग्रामीण पर्यटन दोनों के लिए पूरे देश में एक महत्वपूर्ण पहचान रखता है। इस क्षेत्र के लिए कुछ आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जिससे गरली प्रागपुर हेरीटेज के अंदर ओर बेहतर हो सकता है, पर्यटन की दृष्टि से यहां पर अपार भावनाएं हैं। यहां पर विरासत होमस्टे, पारंपरिक हस्त शिल्प रोजगार की दृष्टि से भी अपार भावनाओं से युक्त है। लेकिन जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, जैसे धर्मशाला से ऊना तक बेहतर सड़क मार्ग होना चाहिए। उसके साथ-साथ पर्यावरण-अनुकूल स्ट्रीट लाइट्स, उचित पार्किंग व्यवस्था, सांकेतिक साइन बोर्ड और सूचना-पट, हेरिटेज थीम पर आधारित शौचालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयां ये सभी सुविधाएं संभव हैं। यदि प्रदेश सरकार प्रागपुर-गली को 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रसाद' योजना में शामिल करवाए। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि प्रागपुर-गली हेरिटेज उत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाए। जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए वन

02-12-2025/1235/HK/MD/2

डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत प्रागपुर की कला को पहचान दी जा सकती है। प्रागपुर में कला और अन्य चीजों की दृष्टि से एनुअल फेस्टिवल की जो मैं बात कर रहा हूं उसमें फॉक डांस व म्यूजिक हो सकता है और वहां फूड स्टॉल्स लग सकते हैं। मैंने जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की है तथा स्वदेश दर्शन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के

अंतर्गत इसको आर्थिक सहायता दिलवाना और वहां के जो कारीगर हैं अगर उनको प्रशिक्षण मिले और

श्रीमती के०एस० द्वारा जारी---

02.12.2025/1240/केएस/वाईके/1

श्री बिक्रम सिंह जारी ---

जो हैरिटेज सम्पत्तियां हैं, उनका पुनर्जीवन हो। उसमें पुरानी हवेलियों को, बुटीक होटलों और हैरिटेज होम स्टे में बदलने हेतु पी.पी.पी. मॉडल पर निवेश करवाया जाए। केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय से हैरिटेज प्रबन्धन योजना के लिए समर्थन मांगा जाए। मैं मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन भी करूंगा कि प्रागपुर-गरली क्लस्टर के लिए एक विशेष हैरिटेज गांव विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की जाए और केंद्र को क्षय क्षेत्र के पुनरुद्धार हेतु विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए। परागपुर-गरली को भारत का मॉडल हैरिटेज रूरल क्लस्टर के रूप में मान्यता दी जाए। सी.एस.आर. नीधियों व स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से स्थानीय पर्यटन उद्यमियों का सहयोग किया जाए। अब समय आ गया है कि परागपुर-गरली केवल एक संगृहीत धरोहर न मानकर उसे एक जीवंत आत्म निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए। यहां पर्यटन, कला व संस्कृति के माध्यम से सतत् विकास सुनिश्चित हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव को गम्भीरता से लेगा और जो मैंने सम्बन्धित मंत्रालय बताए हैं, उनसे पत्राचार करके, उनसे बातचीत करके जो भी वहां की स्कीमें हैं, उनको परागपुर-गरली जो हैरिटेज विलेज है, वहां पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं, माननीय सदस्य द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा का स्वागत करता हूं। मैं यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने 09 दिसंबर, 1997 को जिला

कांगड़ा के परागपुर गांव को इसके ऐतिहासिक महत्व, संस्कृति तथा पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए धरोहर गांव घोषित किया था। जबकि गरली को 7 मार्च 2002 को धरोहर गांव घोषित किया गया। उसके पश्चात् जनवरी 2003 में राज्य सरकार द्वारा परागपुर-गरली धरोहर गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने हेतु प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। परागपुर-गरली धरोहर गांव में ग्रामीण पर्यटन के एकीकृत विकास हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से वर्ष 2003-2006 के दौरान मु० 52,00 लाख रूपए की धनराशि स्वीकृत हुई थी। इस राशि

02.12.2025/1240/केएस/वाईके/2

को धरोहर गांव के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए विभिन्न विकास कार्यों पर व्यय किया गया। यद्यपि परागपुर क्षेत्र के अधिकतर ऐतिहासिक महत्व के भवन अथवा संरचनाएं/ढांचे निजी हैं, फिर भी सरकार द्वारा उपरोक्त स्वीकृत राशि के तहत परागपुर क्षेत्र में हर्बल पार्क, ग्रामीण रंगमंच, परागपुर क्राफ्ट हाट का विकास, प्रागपुर और गरली के आसपास के विभिन्न स्थानों पर साइनेज लगाना और उनकी मुरम्मत करना, गरली गांव में जल निकाय के आसपास भूदृश्यकरण (Landscaping), गरली में होम स्टे, सार्वजनिक सुविधाएं व शिल्प संग्रहालय का निर्माण इत्यादि कार्यों को किया गया है। व्यय की गई राशि के व्यय उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को भिजवा दिए गए थे।

भाषा एवं संस्कृति विभाग की योजना 'धार्मिक संस्थानों, पुरातन स्मारकों व पुरास्थलों के लिए सहायतानुदान योजना' के अंतर्गत निजी भवनों को सहायतानुदान प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण से निजी प्राचीन हवेलियों इत्यादि के लिए बजट का प्रावधान सम्भव नहीं है तथा परागपुर-गरली धरोहर गांव की प्राचीन हवेलियों, मंदिर, ऐतिहासिक भवनों की मुरम्मत एवं रख-रखाव उनके मालिकों द्वारा स्वयं किया जाता है। उपरोक्त के अतिरिक्त हैरिटेज विलेज की संकरी कच्ची गलियों की मुरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत किया जाता है। इस पर ग्राम पंचायत परागपुर व गरली द्वारा मु० 32 लाख रु० खर्च किए गए।

हेरिटेज विलेज एवं साथ लगते क्षेत्रों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसी कारण सरकार समूचे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपरोक्त के दृष्टिगत हमारी सरकार ने जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। परागपुर के नज़दीक के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों, सुविधाओं के विकास पर कार्य किया जा रहा है ताकि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों के लिए रहने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

हेरिटेज विलेज में विकास कार्य करवाने, उनकी निगरानी तथा क्रियान्वयन हेतु प्रधान सचिव (पर्यटन) हिमाचल प्रदेश सरकार तथा जिलाधीश, कांगड़ा की अध्यक्षता में क्रमशः हेरिटेज समिति तथा हेरिटेज उप-समिति भी गठित की गई हैं।

02.12.2025/1240/केएस/वाईके/3

पर्यटन विभाग द्वारा वर्तमान में ए.डी.बी. एवं अन्य विभागीय योजनाओं के अंतर्गत परागपुर के नज़दीक कूहना में कालेश्वर महादेव मन्दिर का सौन्दर्यकरण मु0 25.42 करोड़ रुपये से किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत पुराने भवन की मुरम्मत, पार्किंग, बेंच कैनोपी, protection wall इत्यादि का कार्य किया जायेगा। इस प्रोजेक्ट के लिए 5 निविदाएं प्राप्त हुई हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ठाकुर जी ने जो सुझाव दिए हैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

02.12.2025/1245/av/yk/1

मुख्य मंत्री----- जारी

तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही पर्यटन से संबंधित कोई योजना आएगी उसमें आपके इन सुझावों को भी शामिल किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि पर्यटन की दृष्टि से परागपुर-गरली को जो हेरिटेज विलेज घोषित किया गया है, उसकी सैंक्टिटी को बनाए

रखा जाएगा। वहां टूरिज्म को किस प्रकार से प्रमोट किया जा सकता है, उसमें एक सोची-समझी नीति के तहत आगे बढ़ने की जरूरत है। सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार-विमर्श करेगी।

02.12.2025/1245/av/yk/2

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करेंगे।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) को पुरःस्थापित करता हूँ।

02.12.2025/1245/av/yk/3

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 24) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करेंगे।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) को पुरःस्थापित करता हूँ।

02.12.2025/1245/av/yk/4

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश अभिवृत्ति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) पुरःस्थापित हुआ।

अध्यक्ष : अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 21) पुरःस्थापित हुआ।

अगले बिल की पुरःस्थापना टी सी द्वारा जारी

02.12.2025/1250/टी0सी0वी0/ए0जी0/-1

अध्यक्ष : अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

अनुमति दी गई।

अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करेंगे।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) को पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 23) पुरःस्थापित हुआ।

अब नियम-130 के अन्तर्गत जो चर्चा इस माननीय सदन में पिछले दो दिनों से चल रही है, वह चर्चा आगे जारी रहेगी। मुझे भारतीय जनता पार्टी विधायक दल से लगभग 10 माननीय सदस्यों के नाम की सूची प्राप्त हो चुकी है और पिछले कल कांग्रेस विधायक दल

02.12.2025/1250/टी0सी0वी0/ए0जी0/-2

से 10 माननीय सदस्यों की सूची प्राप्त हुई थी जिनमें से 3 माननीय सदस्यों ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर ली है तथा 7 माननीय सदस्य अभी शेष हैं। आज लगभग 17 माननीय सदस्यों इस विषय पर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करेंगे। कल अंतिम वक्ता कैप्टन रणजीत सिंह राणा जी थे। मैं माननीय सदस्य कैप्टन जी से आग्रह करूंगा कि कल इस विषय पर जो आपकी बात शेष रह गई थी, उसे पूरा करें।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपदा से भारी नुकसान हुआ था जिसमें चबूतरा, मनिहाल पंचायत और ब्यास बैल्ट जिसमें जोल प्लाई, बीर-भगेड़, जंगलबैरी, खैरी व खनौली पंचायतें शामिल थीं। इसके अलावा भी मेरे विधान सभा क्षेत्र में नुकसान हुआ था लेकिन इन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ था। मैं मुख्य मंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों को राहत देने का कार्य किया। मेरे विधान सभा क्षेत्र के चबूतरा और

मनिहाल पंचायत में आपदा से भारी नुकसान हुआ तथा लोगों के घर जमीन में ही दब गये। हमारी सरकार ने इस आपदा का डटकर सामना किया और उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराने व खाने-पीने की उचित व्यवस्था की गई। इस आपदा में प्रशासन ने भी पूरा सहयोग दिया। पूर्व सरकार के कार्यकाल में जब सड़कें बन्द हो जाती थीं तो वे 15 या एक महीने तक नहीं खुलती थी। उस दौरान सड़कों में जो ल्हासे पड़े हुए थे, वे भी हमारी सरकार ने ही उठाए। इनकी सरकार के समय में इन्होंने अपने चहेतों के फर्जी टेंडर लगाये और उनको फायदा पहुंचाया गया।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

02-12-2025/1255/NS-AG/1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा -----जारी

मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आपदा के दौरान मेरे क्षेत्र की 7-8 पंचायतों का भ्रमण किया और खुद जाकर उस एरिया का निरीक्षण किया जिनके घर जमीन में दब गए थे। (***)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य एक मिनट, Covid part is removed from the record. माननीय सदस्य आप सिर्फ आपदा के ऊपर बोलें। ...(व्यवधान)

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : हमारी सरकार ने जिनके घर गिरे हैं उनको 7 लाख रुपये देने का प्रावधान किया है और 1 लाख रुपये अलग से सामान के नुकसान के लिए देने का प्रावधान किया है। ...(व्यवधान) जबकि जिला मण्डी में यह दे भी दिया है। पिछली सरकार के समय कोरोना काल में इतने घोटाले हुए कि ये लोगों को एक सेनिटाइजर भी नहीं दे पाए जबकि इन्होंने 50,000 रुपये जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिवारों को देने का वायदा किया था। वे पैसे तक नहीं दिए और पिछले कल विपक्ष के साथी कह रहे थे कि यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। जबकि हमारी सरकार ने घर बनाने के लिए 7 लाख रुपये दिए हैं। पिछली सरकार के समय 1.30 लाख रुपये दिए जाते थे जिसमें एक बाथरूम तक नहीं बनता था। इन्होंने (विपक्ष) अपने समय में धन का दुरुपयोग किया है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बीच में इंटरप्ट न करें।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में दुनिया भर की बिल्डिंग बना दीं जिनमें कोई स्कूल नहीं चल रहा है। ये भवन अभी भी वैसे ही हैं और इनमें किसी बिल्डिंग में प्लास्टर हुआ है और किसी में नहीं हुआ है। ये स्कूलों की बिल्डिंग बिना मतलब की ही बना दी हैं।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02-12-2025/1255/NS-AG/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप कृपया आपदा के ऊपर बोलें। पिछली सरकार के समय में अगर कोई आपदा आई है और उसमें लोगों को रिलीफ नहीं मिला है तो आप उसके बारे में यहां बोलें।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : कोरोना काल में लोगों के साथ जो वायदे किए थे तो उस समय की सरकार ने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। मेरे क्षेत्र में एक स्वयंसेवी हैं जो संस्था के नाम पर ढोंग रचा कर रखते हैं और पैसे का ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। जब मेरे क्षेत्र के चबूतरा में आपदा आई और लोगों के घर धंस गए तो वहां पर वे एक पेट्टी में पूरियां डाल कर बांटने के लिए ले आए जबकि मैंने वहां पर सुबह से ही नाश्ते, लंच और डिनर का बंदोबस्त कर दिया था। मैंने लगातार 10 दिनों तक वहां पर यह कार्यक्रम चलाया। उसके बाद जहां पर उनके रहने की व्यवस्था की गई वहां पर उनको राशन सामग्री मुहैया करवाई गई। वे हमेशा मुख्य मंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं और बोलते रहते हैं कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने नहीं कहा था कि आप भाजपा में चले जाओ। अभी बोलते हैं कि सुजानपुर में हमारे काम नहीं हो रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सुजानपुर में बहुत काम हो रहे हैं। वे सुजानपुर की चिंता नहीं करते हैं। उनको सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र में आई आपदा की चिंता नहीं है लेकिन मुख्य मंत्री की

ज्यादा चिंता करते हैं कि मुख्य मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं जबकि उनके सामने मुख्य मंत्री जी ने मेरे क्षेत्र की 10 पंचायतों का दौरा किया है। जिन लोगों के घर धंस गए थे वे उन सबसे मिले लेकिन ये वहां पर आकर किसी को 2 रुपये की सहायता नहीं दे सके। जब भी वहां पर कोई कार्यक्रम होता है तो उन्हें कंधों पर उठा कर ले जाते हैं। मैंने कहा कि इनको कंधों से ऐसा फेंकेगे कि वे दोबारा उठ ही नहीं सकेंगे क्योंकि अभी पूरे प्रदेश से लोगों को इकट्ठा करके सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इनकी ऐसी हालत खराब हो चुकी है। ...(व्यवधान) दो वर्ष पहले यही लोग प्रधानमंत्री जी को बोलते थे कि खातों में 15 लाख रुपये नहीं आए। अभी बोल रहे हैं कि मुख्य मंत्री जी कुछ नहीं कर रहे हैं आर0के0एस0 द्वारा ----जारी

02.12.2025/1300/RKS/Yk-1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा... जारी

वह 15 लाख रुपये कहां है? वह पैसा तो आया ही नहीं। ये कहते थे कि 5 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी लेकिन वे नौकरियां भी बच्चों को नहीं मिली। इन्होंने सेना का भी अपमान किया है। ...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब ये अपने राजनैतिक विरोधी का रेफरेंस दे रहे हैं।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : इन्होंने कहा कि हम 11 दिसम्बर को जश्न मनाने जा रहे हैं। हम तो कोई जश्न नहीं मना रहे हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, ये कह रहे हैं कि पहले वे माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी को क्रिटिसाइज करते थे अब श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खु जी को करते हैं।

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : हम इस रैली के माध्यम से अपनी सरकार के तीन साल के कार्यों को जनता के सामने रखेंगे। हम अपने विकास कार्यों, आम जनता के कामों, हमारी गारंटियों, ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और बागवानी के क्षेत्रों में

हुए कार्यों के बारे में जनता को अवगत करवाएंगे। आपने पिछले पांच सालों में जो घोटाले किए हैं उससे इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है और हम उन चीजों को जनता के सामने उजागर करेंगे। यह सरकार गरीबों की सरकार है। हम ग्रामीण लोगों की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करेंगे उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने हल्दी या दूसरी फसलों को उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। बच्चों को नशे की लत से दूर रखने के लिए हमारी सरकार ने प्रभावशाली कार्य किए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य युवाओं को नशे की लत से बचाना है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। हम खेलों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम नदौन के बीच एक इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं ताकि हमारे बच्चे खेलों में भाग ले सकें।

अध्यक्ष : कैप्टन साहब यह विषय इस चर्चा का पार्ट नहीं है। कृपया आप अपनी बात कंक्लूड करें।

02.12.2025/1300/RKS/Yk-2

कैप्टन रणजीत सिंह राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए ताकि वे कम-से-कम 15 साल नौकरी करें। इसके लिए मैं आपकी तरफ से एक प्रस्ताव भेजना चाहता हूं ताकि 15 साल की नौकरी पूरी की जाए और उन्हें एक्स सर्विस मैन का दर्जा भी दिया जाए। जो बिहार के लोग यहां रहते थे उन्हें 10-10 हजार रुपये दिये गये। अगर यह पैसा हमें मिल जाता तो आज हमें आपदा से इतना जूझना नहीं पड़ता। आपने जो 15 लाख रुपये देने की बात की थी वह पैसा अभी तक लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदन की बैठक लंच ब्रेक के लिए एडजोर्न की जाती है। We will resemble at 2.00 O'clock.

02.12.2025/1400/बी.एस./ए.एस.

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 02.00 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वे अपने दल के माननीय सदस्यों से आग्रह करें कि सदन में बैठें क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अब इस चर्चा में भाग लेंगे। मैं आदरणीय जय राम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि वे चर्चा में भाग लें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपने चर्चा के लिए अनुमति तो दे दी लेकिन मैं देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष की ऐसे विषयों को ले करके कितनी गंभीरता है? हम बोलें तो किसकों बोलें। हम आपदा पर चर्चा कर रहे हैं परंतु यहां पर एक भी अधिकारी नहीं है। सरकार की गंभीरता व्यवहार से दिखनी चाहिए लेकिन वह दिख नहीं रही है और इस बारे में हम बार-बार कहते हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग से संबंधित चर्चा हो रही है उसके मंत्री भी यहां बैठे हैं और अधिकारी भी यहां पर बैठे हैं।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

02.12.2025/1405/डीटी-डीसी-1

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय कौन बैठा है, कौन नहीं बैठा है इस पर मैं ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सरकार की गंभीरता नहीं है और यह हम पहले दिन से कह रहे हैं। चाहे वह आपदा का विषय है, चाहे आपदा से हटकर के कोई दूसरा विषय है, ये बिल्कुल गंभीर नहीं है। इसके बावजूद नियम-130 के अंतर्गत जो माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी और श्री केवल सिंह पठानी जी ने आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों तथा इस अवधि में सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर यह सदन चर्चा करें प्रस्ताव लाया है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत चिंता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा का यह दौर वर्तमान सरकार के साथ ही शुरू हुआ और यह आपदा का दौर एक बार आता तो समझ में आता लेकिन आपदा का दौर लगातार चल रहा है। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्राकृतिक आपदा के ऊपर तो किसी का बस नहीं है। जब पिछला सत्र शिमला में हुआ और उसमें आपदा पर चर्चा हुई तो सारी आपदा का दोष जय राम

ठाकुर के ऊपर मड़ा गया। वहां विधान सभा के अंदर इतने गैर जिम्मेदारान तरीके से जवाब दिए गए और कहा गया कि इसके लिए जय राम ही दोषी है। आपदा के लिए कोई दोषी नहीं हो सकता है। यह प्राकृतिक आपदा है लेकिन आपदा के बाद जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन दोषी है यह आज का विषय होना चाहिए। आज आपदा को बीते पांच महीने हो गए हैं। कहने को तो आप कह रहे हैं कि हमने डिजास्टर एक्ट लगा रखा है और हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाने का मतलब यह है कि आपका पूरा फोकस आपदा प्रभावित लोगों और इलाकों की मदद करना है लेकिन सही मायने में क्या उस डिजास्टर एक्ट के अनुरूप जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? इस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ यह सरकार द्वारा निर्मित आपदा हम सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम पिछली बार चर्चा कर चुके हैं, आज भी इस सदन में आपदा पर चर्चा हो रही है। 10 सदस्य यहां से और उसके बाद सात सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से बोलने वाले हैं लेकिन क्या सही मायने में चर्चा करने के बाद समाधान मिल रहा है। हम अपने दायित्व का निर्भर कर रहे हैं। विपक्ष का जिम्मा है कि सत्ता पक्ष के सामने वस्तुस्थिति को लाया जाए। लेकिन हमारे सामने यह विडंबना है कि सत्ता पक्ष उस हालात को न तो कोई देखना चाहता है और न सुनना चाहता है। जब आप सुनेंगे तब कुछ दिखाई

02.12.2025/1405/डीटी-डीसी-2

देगा तब आप कुछ करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह संभव नहीं हो सकता कि हम बिना वजह के तारीफ करते रहे जबकि आपदा में प्रभावित लोगों की जिंदगी बदतर हो रही है। हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण वर्ष 2023 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वर्ष 2023 के बाद वर्ष 2024 में फिर नुकसान हुआ। लेकिन वर्ष 2023 के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद वर्ष 2025 में फिर नुकसान हुआ और वह नुकसान लगभग वर्ष 2023 से कम नहीं है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह वर्तमान की स्थिति है और सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 500 लोगों की दुःखद मृत्यु हुई है और इसमें लगभग 300 के करीब मृत्यु आपदा के कारण हुई है।

श्री एन0जी0 द्वारा जारी

02.12.2025/1410/एच.के.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर.....जारी

और शेष लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना, स्नेक बाइट्स व अन्य कारणों से हुई होगी। प्रदेश में 50 स्थानों पर बादल फटने, 100 स्थानों पर फ्लैश फ्लड व 120 स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं और इन आंकड़ों को सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनमें से 41 लोगों के शव अभी तक नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में पशु-पक्षियों की भी मृत्यु हुई है। लगभग 1800 घर पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए हैं जिनमें से 700 पक्के और 1100 कच्चे मकान बताए जा रहे हैं। इसके अलावा लगभग 8300 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी सूरत में मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्ण रूप से ध्वस्त हुए घरों की संख्या बहुत कम लग रही है क्योंकि मेरे हिसाब से इनकी संख्या काफी ज्यादा है। राजस्व विभाग के अधिकारी जब फील्ड में आंकलन करने के लिए गए तो उन्होंने जिस घर की छत डैमेज नहीं हुई थी उस घर के लिए आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए घर की रिपोर्ट दी है और वास्तव में वे घर रहने के लायक ही नहीं हैं। उस घर में परिवारजन रह नहीं सकते या कहें कि एक रात भी नहीं गुजार सकते लेकिन उसे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त माना गया है ताकि प्रदेश सरकार के ऊपर उसका आर्थिक बोझ कम या न पड़े।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान जोकि रहने के लायक नहीं हैं, उन्हें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों की सूची में कवर करना चाहिए। वे घर रहने के लायक नहीं रहे हैं और उसके मालिक को जो राहत राशि मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पा रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने अनेक स्थानों पर देखा है कि राजस्व

रिकॉर्ड में तो वे घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त दिखाए गए हैं लेकिन वास्तव में वे घर रहने के लायक नहीं हैं।

02.12.2025/1410/एच.के.-एन.जी./2

हमने उन लोगों से पूछा कि कहां पर रह रहे हो तो उन्होंने बताया कि रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं। हमने राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को फोन किया और कहा कि ये घर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त की सूची में होने चाहिए तो उन्होंने हमें बताया कि अभी इनकी छत नहीं गिरी है। हमें इसी प्रकार के निर्देश दिए गए हैं कि यदि छत व घर पूरी तरह जमींदोज होंगे तभी उन्हें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मानना है। इसके अलावा इस प्रकार के निर्देश भी दिए गए हैं कि यदि थोड़ा-सा भी इधर-उधर किया तो उनकी नौकरी चली जाएगी जिस कारण कोई भी पटवारी रिपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के पास दो घर हैं और एक घर पूर्ण रूप से डैमेज हो गया तो उस व्यक्ति को यह कहा जा रहा है कि तुम्हारे पास तो दूसरा घर है इसलिए आपको रिलीफ मैनुअल के अनुसार पूरी राहत राशि नहीं मिलेगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि जिस व्यक्ति का एक घर पूरा चला गया और वह एक परिस्थिति के कारण दूसरे घर में रह रहा है तो ऐसे में उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए दी जानी वाली राहत राशि पूरी-की-पूरी मिलनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि माननीय मुख्य मंत्री इन सब चीजों को लेकर वाकिफ़ हैं या नहीं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से एक तरफ तो कहा जा रहा है कि हमने राहत राशि का पैसा बढ़ाया है और दूसरी ओर क्या वह पूरा पैसा सही मायने में प्रभावित परिवारों को मिला है? प्रदेश सरकार ने कुछ दिनों पहले मण्डी में एक कार्यक्रम किया था और उसमें प्रभावित परिवारों को एक किश्त जारी की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2023 में जो मकान डैमेज हुए थे उनकी भी अभी तक एक ही किश्त जारी हुई है। वर्ष 2023 के बाद वर्ष 2024 बीत गया और अब तो वर्ष 2025 भी बीतने वाला है लेकिन अभी

तक उन्हें दूसरी किश्त नहीं मिली है। यहां पर प्रदेश सरकार के नेतागण शोर डाल रहे हैं कि हम 7 से 8 लाख रुपये दे रहे हैं....

श्रीमती पी०बी० द्वारा.....जारी

02.12.2025/1415/एच०के०-पी०बी०/1

श्री जय राम ठाकुर ...जारी

हम 7 से 8 लाख रुपये दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उसमें प्रधान मंत्री आवास योजना का पैसा नहीं है? क्या उसमें केंद्र सरकार से जो डिजास्टर का पैसा आता है वह उस 8 लाख रुपये में शामिल नहीं है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री जी, आप सदन में अभी आए हैं। आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए और उसके बाद रिप्लाय दीजिए। हम आपका रिप्लाय सुन कर ही जाएंगे। कल हम आपसे मिलने आए थे और आपके ऑफिस में हमारा सारा विधायक-दल आधा घण्टा बैठा रहा लेकिन आप किसी बैठक में व्यस्त थे। हम सदन में तो आपसे मिल ही रहे हैं और मुझे लगता है कि अब हमें आपसे ऐसे ही मिलना पड़ेगा। हमने सूचना भी भिजवाई थी कि मुख्य मंत्री जी को सूचित कीजिए कि हमें उनसे मिलने के लिए दो मिनट का समय चाहिए लेकिन हमें समय नहीं मिल पाया। हम उस बारे में आपसे अलग से बात करेंगे।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी किसी मीटिंग में व्यस्त होंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मीटिंग भले ही होगी लेकिन उसके लिए भी आधा घण्टा काफी होता है। यदि मुख्य मंत्री जी से मिलने विपक्ष का पूरा विधायक-दल आया है तो वे 5 मिनट के लिए मीटिंग छोड़ कर आ सकते हैं परंतु मुख्य मंत्री के ऑफिस में कोई भी नहीं था। बाद में हमसे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी मिलने आए।

मुख्य मंत्री : मैं चिट्ठे के खिलाफ चल रही मीटिंग में था।

श्री जय राम ठाकुर : मुख्य मंत्री जी, आप चिट्ठे के खिलाफ मीटिंग कीजिए, आपको उसमें विपक्ष का भी स्पोर्ट है।

मुख्य मंत्री : मैं एक प्वाइंट क्लीयर करना चाहता हूँ।

02.12.2025/1415/एच0के0-पी0बी0/2

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए यील्ड करेंगे? इससे चर्चा ज्यादा सार्थक होगी। Let the Hon'ble Chief Minister intervene.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी द्वारा बोलने पर फिर नए प्रश्न खड़े होंगे और फिर उन प्रश्नों का विपक्ष द्वारा जवाब दिए जाने पर ये सदन से चले जाते हैं।...(व्यवधान)

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए नियम एक समान होने चाहिए। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप कुछ समय के लिए यील्ड कर लीजिए।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारे समय में मुख्य मंत्री जी कुछ बोलते ही नहीं थे, हम तो उस वक्त इन्हें सुनना चाहते थे।

अध्यक्ष : ठाकुर जी आप यील्ड कर लीजिए, let him intervene. मुख्य मंत्री जी, आप अपनी बात कह सकते हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष : अब नेता प्रतिपक्ष ने यील्ड कर दिया है। आप अपनी बात कहिए। I have requested the Hon'ble Leader the Opposition, he is yielding now, if you want to make any point.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब मैं अपना वक्तव्य देता हूँ तो नेता प्रतिपक्ष वक्तव्य के बीच में खड़े न हों।

Speaker : Hon'ble Leader of the Opposition please continue.

02.12.2025/1415/एच0के0-पी0बी0/3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह के हालात बन गए हैं, वह हम सब के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय यह है कि यदि आपदा का दौर इसी प्रकार चलता रहा तो प्रदेश को हम जहां आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सिज को जो नुकसान हो रहा है उसके कारण प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुज़र रहा है। इससे आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। इसलिए आने वाले समय में जब बजट पेश किया जाएगा तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग यह होना चाहिए कि रूटीन बजट से हट कर आपदा के बजट का अलग से प्रावधान सुनिश्चित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो उसमें भी जनता इस बात को देखेगी कि किस पार्टी ने आपदा के लिए क्या बात कही है? यदि हम चुनावी घोषणा पत्र की बात करें तो उसमें भी जनता इस बात को देखेगी कि आपदा के लिए पार्टी क्या रणनीति अपना रही है। क्योंकि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में एक भय और दहशत का माहौल बन गया है। हम इस बार तो आपदा से बच गए हैं लेकिन अगली बार का हमें कुछ मालूम नहीं है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में पहाड़ दरक कर खिसकें हैं और उनसे जो नुकसान हुआ है उससे मैं एक बात साफ़ कह सकता हूं कि हमारे लिए अगला वर्ष भी कष्टकारक होगा। हम प्रदेश में जहां भी गए हैं वहां हमने ऐसे हालात देखे हैं कि पहाड़ों से मिट्टी की पूरी लेयर खिसक गई है और उसके कारण

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

02.12.2025/1420/Y.K./A.P./01

श्री जय राम ठाकुर जारी

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में हमने ऐसे हालात देखे हैं जहां मिट्टी की पूरी परत खिसक गई है और सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पांच-छह पंचायतें ऐसी हैं जहां पूरे गांव खाली करने पड़े। इन पंचायतों में बने मकान आपदा के कारण लगभग 30 फुट नीचे खिसक गए हैं। बिजली के खंभे भी 30 से 40 फुट नीचे चले गए हैं। इस तरह वहां मिट्टी की परत पूरी तरह से निकल गई है। सरकार को इस गंभीर स्थिति पर विचार करना आवश्यक है। जिन स्थानों को हम सुरक्षित मानते थे, वहां भी आपदा ने ऐसा कहर ढाया कि सारे मकान असुरक्षित हो गए हैं। सरकार अभी केवल टूटी सड़कों और पुलों पर ध्यान दे रही है, लेकिन आने वाले समय में यह सोचना पड़ेगा कि जिन गांवों की जमीन बह गई है उनकी सुरक्षा कैसे की जाए और वहां रहने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्था की जाए। आपदा को आए हुए लगभग पांच महीने बीत चुके हैं। जब भी हम अपने क्षेत्र में जाते हैं तो आपदा से प्रभावित 80 से 90 प्रतिशत लोग सुबह-सुबह हमारे आंगन में हमसे मिलने के लिए आते हैं। वे घर बनाना चाहते हैं, लेकिन जमीन बह जाने के कारण कहां बनाएं? उनके घर टूट गए हैं, अब वे कहां रहेंगे? सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और ऐसे हालात में उनका रहना कठिन है। पहले वे अपने घरों में आनंद से रहते थे लेकिन आज 10-10 सदस्य एक ही कमरे में बच्चों सहित गुजारा कर रहे हैं। कोई रिश्तेदार के घर में है, कोई किराए के मकान में है, कोई सरकारी आवास में ठहरा हुआ है। यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सरकार ने छः महीने का प्रावधान किया है कि लोग सरकारी आवास में रह सकते हैं लेकिन मकान छः महीने में नहीं बनता। उसके बाद क्या होगा? लोग इसी को लेकर चिंतित हैं।

अध्यक्ष महोदय, मण्डी में सरकार का कार्यक्रम हुआ जिसमें 81 करोड़ रुपये का वितरण किया गया जिसमें 4,914 लाभार्थियों को राहत दी गई। इसमें 1,513 घर पूरी तरह तबाह हुए हैं जिन्हें 4 लाख रुपये की किस्त देने की बात कही गई। उस दिन अच्छा होता यदि विपक्ष को भी बुलाया जाता, क्योंकि मंडी में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जिसका कार्यक्रम पड्डल मैदान में हुआ। जहां स्थानीय विधायक श्री अनिल शर्मा जी मौजूद थे,

02.12.2025/1420/Y.K./A.P./02

लेकिन हमें बुलाया ही नहीं गया। उस दिन यदि आप आपदा प्रभावितों की भावनाओं और कठिनाइयों पर बात करते तो बेहतर होता। उनके बच्चे कठिन हालात में पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग इलाज के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं। लेकिन भाषण में केवल जय राम ठाकुर और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सुनाई देता रहा। मेरा मतलब है कि मुख्य मंत्री जी हमें ही गालिया देते रहे। मुख्य मंत्री जी, आप जब भी मण्डी आए हैं, आपने हमें गाली ही दी है। लोकतंत्र में रहकर आप जो कहना चाहते हैं कहें, हमें कोई परेशानी नहीं है।

श्री ए०टी० द्वारा जारी

02.12.2025/1425/AT/YK /01

श्री जय राम ठाकुर....जारी

लेकिन अवसर तो देखना चाहिए। वहां वे लोग थे जिनके परिवार के सदस्य चल गए; वहां वे लोग थे जिनके घर बहकर चले गए; वहां वे लोग थे जिनके सारा पशु-धन बहकर चला गया; वहां वे लोग थे जिनकी जमीन, बगीचे, सब कुछ तहस-नहस हो गया, सब कुछ बह गया और आप उनके सामने राजनीतिक भड़ास निकालने के लिए गए थे। अध्यक्ष महोदय, इससे न्यूनतम स्तर पर कोई नहीं सुनता। अगर आपको भी अवसर लगे तो आप सुनना कि वहां आपके नेताओं ने पड्डल मैदान में किस तरह के भाषण दिए। आपदा प्रभावित लोग आंखों में आंसू लेकर आए थे, लेकिन वहां राजनीतिक भड़ास निकालने के लिए नेताओं ने भाषण दिए। इससे क्या समाधान होता है? इससे आप राहत देने नहीं, बल्कि अपने दिल को ठंडा करने के लिए, अपने मन की भड़ास निकालने आए थे शायद जय राम ठाकुर और मोदी जी के खिलाफ बातें कहकर, आपको दिल को राहत मिली होगी... (व्यवधान)

मुख्य मंत्री: 1500 करोड़ रुपए मांगना कोई गाली है?

श्री जय राम ठाकुर: लेकिन जिन प्रभावित परिवारों के लिए कार्यक्रम रखा गया था उनको राहत नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, पैसों से ही सारी चीजें नहीं होतीं। मैं यह कहूंगा कि सरकार में मानवीय दृष्टि के इस भाव को जिंदा रखने का प्रयास करना चाहिए। आप एक ही बात कहते हैं प्रधानमंत्री जी आए थे, 1500 करोड़ रुपये आए थे। अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है कि हिमाचल प्रदेश में आपदा के संकट में प्रधानमंत्री स्वयं आए, आपदा प्रभावित लोगों से मिले, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और 1500 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया और प्रधानमंत्री जी की कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है, मैं यह कहना चाहता हूं। आप बार-बार कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया नहीं, लेकिन पैसा आएगा। हमारे समय में भी आपदा आई थी, पर क्या हम केंद्र के पैसों का इंतजार करते रहे? आपदा के दौरान जो काम करना होता है वह तुरंत किया जाता है। केंद्र से जो आना है वह बाद में आएगा। उसे भी प्रभावित लोगों तक पहुंचाने का काम आप करें। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आप क्या कर रहे हैं?

02.12.2025/1425/AT/YK /02

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान जितना घूमकर गया हूं, शायद आपके मंत्री भी उतना नहीं गए होंगे हालांकि यह उनका दायित्व भी है। कुछ और लोग भी गए होंगे, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते मैं सबसे पहले पहुंचा। आप यही कहते थे कि सिराज जाते हैं, सिराज में तो मैं घूमा। आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कहा गया जय राम का इलाका है, आपदा आई है, जय राम को 10 दिन यहां घूमना चाहिए। मैं 10 नहीं, 22 दिन पैदल चला। यह मेरा दायित्व था।

इसके बाद अगर चंबा में आपदा आई तो मैं चंबा पहुंचा। भरमौर में आई वहां भी गया। बिलासपुर में आपदा आई वहां पहुंचा। सुंदरनगर में लोग दब गए तो वहां पहुंचा। करसोग में लोग मरे तो मैं वहां पहुंचा। कुल्लू-मनाली में लोग मरे तो मैं वहां भी पहुंचा। और मैं इस बात

को दावे से कह सकता हूँ कि विपक्ष में होने के बावजूद लोगों की भावनाओं को साझा करने के लिए सबसे ज्यादा जगह पर यदि कोई पहुंचा तो हम पहुंचे। हर बार मेरे विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया जाता है। अगर वहां आपदा आई, तो उसके लिए दोषी जय राम ठाकुर कैसे हो गया? मैं पूछना चाहता हूँ अगर चंबा में आपदा आई, तो उसके लिए दोषी कौन है? बिलासपुर में एक चट्टान बस पर गिरी 16 लोग मौके पर मर गए, एक घर से चार-चार अर्थियां उठीं। हम श्मशान तक गए। आप कहां थे? आप तो बिहार गए थे 'वोट चोर गद्दी छोड़' का नारा लगा रहे थे और हम बिलासपुर में अंतिम संस्कार में शामिल हो रहे थे... (व्यवधान)

मुख्य मंत्री: हमारे मंत्री तो गए थे।

श्री जय राम ठाकुर: मंत्री गए होंगे, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ऐसी बातें हमें मत समझाइये। आप बाद में भी जा सकते थे लेकिन आप बाद में भी नहीं गया। जिन परिवारों के चार-चार सदस्य जिनकी चिता परिवार के सामने जली है, जिन्हें हमने अपनी आंखों से देखा वह मंजर दिल दहला देने वाला था।

एम0डी0द्वारा जारी.....

02-12-2025/1430/AG/MD/1

श्री जय राम ठाकुर---जारी

अध्यक्ष महोदय, यह सारी चीजें सरकार के लिए नहीं ये सत्ता में है और सत्ता में इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं लग रहा। इसलिए मैं इन बातों को लेकर थोड़ा चिंतित भी हूँ कि नजरिये क्या है। उससे आगे बढ़कर अगर हम बात कहे तो वर्ष 2023 के आपदा के दौरान आपने कहा था कि मैं हिमाचल प्रदेश में साढ़े 4 करोड़ रुपये का पैकेज देने का ऐलान करता हूँ, हमने भी उसका स्वागत किया कि अच्छा है अगर मुख्य मंत्री जी ने ऐसा कहा है तो आपदा प्रभावित लोगों की मदद होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हमने प्रश्न किया तो आपके माध्यम से विधान सभा में प्रश्न का जबाब आया कि वर्ष 2023 के आपदा प्रभावित लोगों और इलाके के लिए आपने कितना बजट दिया तो वह आंकड़ा 300 करोड़ को भी

नहीं छू सका। इसलिए कम-से-कम आपदा प्रभावित लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। ये जलाकर राख कर देंगी, यह उनके दिल से निकली हुई पीड़ा होती है। आपने बोला तो बहुत कुछ है पर किया कुछ नहीं यही सच्चाई है। अब आप यहां पर एस0डी0आर0एफ0, और एन0डी0आर0एफ0 की बात कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर बार कहना कि कुछ नहीं मिला केंद्र की डिटेल् बहुत लंबी-चौड़ी है इस पर मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी कि पास पूरी लिस्ट पड़ी है। एस0डी0आर0एफ0 से आपको अभी तक 1280 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। एस0डी0आर0एफ0 स्तर पर 320 करोड़ रुपये, एन0डी0आर0एफ0 में 1639 करोड़ रुपये, वर्ष 2025-26 में एन0डी0एम0एफ0 मद में 9.45 करोड़ रुपये, और वर्ष 2023 की आपदा के आकलन के आधार पर 2006 करोड़ रुपये, पूरे असेसमेंट क्यूमिलेटिव में कितना नुकसान हुआ उसके साथ तो डेमिजिस जो आपने रिपोर्ट किए थे उसके तहत 2006 करोड़ रुपये मिले। उसकी पहली किस्त के अंतर्गत 451 करोड़ रुपये आपके पास आ गए। अगर इन सारे डिजास्टर के पैसे को जोड़ें तो आप बोल रहे कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ कुछ नहीं किया। अगर हम $1280 + 320 + 1639 + 9.45 + 2006$ का टोटल करें तो यह 5,250 करोड़ रुपयों का प्रदेश सरकार को केंद्र की ओर से सहयोग मिला है। अब मूल प्रश्न यह है क्या यह राशि वास्तव में आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंची? क्या जिन क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ, वहां पुनर्स्थापन का कार्य हुआ? या फिर यह पैसा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपनी सरकार चलाने के लिए खर्च किया

02-12-2025/1430/AG/MD/2

है? अभी भी बार-बार कहा जा रहा है कि 1500 करोड़ रुपये किसी स्कीम के तहत नहीं, बल्कि सीधे आने चाहिए। 'सीधा' का मतलब क्या जेब में आना चाहिए? पैसा तो आएगा पर जेब में नहीं आएगा। पैसा व्यवस्था के मुताबिक आएगा। आप सीधा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेजरी में पैसा आएगा फिर जो आपदा में प्रभावित लोग हैं, वह मरते-मरे, जीते-जीए लेकिन हम सरकार चलाएंगे। जो गारंटियां झूठी दे रखी है, उनका पूरा करने के लिए आगे रास्ता निकालेंगे। कर्मचारियों की सैलरी के लिए पैसा नहीं है उसमें से कुछ जगह

सैलरी देंगे, कुछ जगह पेंशन देंगे, और इस प्रकार से वह पैसा सर का सारा खर्च होगा। इसलिए हमने कहा की इफैक्टिव एरिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट बनने चाहिए। जैसे चंबा में जितना नुकसान हुआ, उसके अनुरूप वहां राशि दी जाए, मंडी में जितनी क्षति हुई, उसका पुनर्निर्माण उसी के अनुसार हो। अध्यक्ष महोदय, पांच महीने बीत चुके हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये की पेयजल योजना पूरी तरह क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन

श्रीमती के०एस० द्वारा जारी---

02.12.2025/1435/केएस/एजी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी ---

ये उनको रीस्टोर नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर जो ट्रांसफार्मर डैमेज हो कर, बह कर चले गए उसके लिए 3.50 करोड़ रुपये मांगे हैं। मुख्य मंत्री जी, मैंने आपसे भी बात की थी, सम्बन्धित मंत्री यानी उप-मुख्य मंत्री जी से भी बात की, वित्त सचिव से भी मैंने बात की थी। हमने कहा कि इस पैसे को हमें दिया जाए क्योंकि सर्दी के मौसम में जो ग्रेविटी से हमारे वहां पर वाटर सप्लाई स्कीम्ज़ हैं, वे फ्रीज़ हो जाती हैं और 10-10 हजार फीट की हाइट से चलती हैं। उसका जो पीछे से पानी का सोर्स है वह 10 या 11 हजार फीट की हाइट पर है। पानी फ्रीज़ हो जाता है। पीने के लिए भी वहां पानी नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल ही पानी का संकट आ गया है। अभी तक साढ़े तीन करोड़ रुपये जारी नहीं किए गए और जब तक वे जारी नहीं होंगे तक तक उस लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम का काम शुरू नहीं हो पाएगा। वहां पर काम करना मुश्किल हो जाएगा। 28 पंचायतें उस एक स्कीम से चल रही हैं। अभी तो जोड़-तोड़ से पानी का जुगाड़ किया गया है लेकिन सर्दी के मौसम में बहुत बड़ा संकट हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इन सारी चीजों की कमिटमेंट करें और जल्दी से जल्दी वह पैसा दिया जाए।

मुख्य मंत्री जी, मैं सड़कों की बात करना चाहूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बताऊंगा कि सड़कों की क्या हालत है। मैंने लोगों से निवेदन किया कि अगर मदद कर सकते हैं तो करिए। लोग मदद के लिए आए और उन्होंने बिना पैसे लिए दो महीने तक लगभग 25-26 जे.सी.बी. व पोक लेन द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को खोला। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अतिरिक्त हमारे साथ लगते चुनाव क्षेत्रों में, जहां रोड डैमेज हुए थे, लोगों ने अपनी मशीन द्वारा, उनमें अपना तेल डालकर उन सड़कों को खोला। नालागढ़ से भी मशीनें आईं जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहां हमसे कहा जा रहा है कि उसका हिसाब दो। हमसे श्वेत पत्र मांगा जा रहा है। लोगों ने हमें मशीनें भरोसे पर दीं। जिन लोगों ने राशन दिया है, उनकी उपस्थिति में या उनके प्रतिनिधि को खड़ा करके प्रभावित परिवारों को वह हमने वितरित किया है। जिन लोगों ने चैक दिए हैं, उनके सामने लोगों को वे चैक वितरित किए गए हैं और अगर वे सामने नहीं थे तो उनको पूरी डिटेल्स सहित चैक की फोटो भेजी गई है कि आपका इस नं० का चैक, इतने अमाउंट का था और यह इस परिवार को, इस आदमी को, इसके

02.12.2025/1435/केएस/एजी/2

अकाउंट में दिया गया है। सरकार की ओर से आपदा के दौरान जो सामान आया था, उसके लिए कैसे लूट-मार मची थी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आप खुद पता कर लीजिए कि वहां पर क्या स्थिति थी?

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम चर्चा तो कर रहे हैं लेकिन सही मायने में क्या हमारी बात सिर्फ चर्चा तक ही सीमित रहेगी? हम आपदा प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कब काम शुरू करेंगे? ऊपर से डिजास्टर एक्ट लगा रखा है। डिजास्टर एक्ट की वजह से पंचायत के चुनाव स्थगित कर दिए। पंचायत के चुनाव आगे टाल दिए कि डिजास्टर एक्ट लगा है लेकिन सही मायने में आपके वहां पर पंचायतों में काम क्या हो रहे हैं? पंचायतों में जो पैसा था, वह वापिस ले लिया। अध्यक्ष महोदय, सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए। क्या होता है कि मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में 12.11.2025 को 12.30 बजे एक बैठक का आयोजन होता है जिसमें मुख्य मंत्री

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में फैसला लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है अतः तीन साल का जश्न होना चाहिए। पूरा प्रदेश तबाह हुआ पड़ा है, बर्बाद हुआ पड़ा है, लोग घर से बेघर हो गए हैं। परिवार के परिवार बर्बाद हो गए, बहुतों की तो लाश भी नहीं मिली और सरकार सैलिब्रेशन के लिए निकल पड़ी है। निकली भी कहां के लिए? जिस जिले में सबसे ज्यादा तबाही हुई है, बर्बादी हुई है यानी मण्डी के पड्डल मैदान में। व्यवस्था परिवर्तन के तीन साल टाइटल के साथ आपने फैसला लिया है कि वहां पर जश्न मनाया जाएगा।

श्रीमती अ० व० द्वारा जारी ---

02.12.2025/1440/av/AS/1

श्री जय राम ठाकुर----- जारी

...(व्यवधान) अब आप इस जश्न का नाम बदलने के बारे में सोच रहे हैं। मेरे पास आपकी मीटिंग के प्वाइंट्स की कॉपी है। The theme of the function will be 'व्यवस्था परिवर्तन के तीन साल' और उसमें सरकार की पूरी उपलब्धियों का जिक्र करने के लिए जश्न मनाया जाएगा। उन प्वाइंट्स में जिक्र है कि वहां पर वी०आई०पी० तथा मीडिया के लिए अलग-अलग स्टेज लेंगे। वहां पर डिजिटरीज और ऑफिसरज के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें यह भी लिखा हुआ है कि वहां कल्चरल प्रोग्राम परफॉर्म किए जाएंगे small stage for cultural programme ठीक है, कल्चरल प्रोग्राम के तहत आप वहां पर नाटी भी डालेंगे। इसके अतिरिक्त पूरे मण्डी शहर में एल०ई०डीज० डिस्प्ले की जाएंगी। आपने इस प्रकार का फैसला भी लिया है ताकि पूरा मण्डी शहर इस तबाही के दौर में आपकी नाटी देख सके। इससे आगे तो और ज्यादा हैरानी हो रही है जोकि सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इसमें अपने-अपने विभाग के लाभार्थियों को लाने का जिम्मा संबंधित विभागों को ही दिया गया है। यहां पर लोगों को बसें नहीं मिल पा रही है। बावजूद उसके उस दिन सारी बसिज को सस्पेंड करके विभाग उन बसिज में लोगों को लाएंगे। इसके अतिरिक्त फूड पैकेट्स और ड्रिंकिंग वॉटर का इंतजाम किया जाएगा। इसमें यह

लिखा हुआ है कि expenses on food packages and water bottles will be borne by the Revenue Department from the Disaster Management Fund. मेरे पास इससे बड़ा शर्मिंदगी का शब्द नहीं है। आपदा प्रभावित लोगों के लिए पैसा नहीं है। सड़कें, पानी की स्कीम्ज और बिजली की सप्लाई टूटी हैं, तो टूटी पड़ी हैं। लोगों के घर बहकर चले गए हैं परंतु उसके बावजूद इस सेलिब्रेशन में सारे खर्चे राजस्व विभाग द्वारा उठाए जाएंगे। राजस्व विभाग डिजास्टर मैनेजमेंट के माध्यम से एस0डी0आर0एफ0 और एन0डी0आर0एफ0 के पैसे को वहां नाटी तथा जश्न पर खर्च करेगा।

मुख्य मंत्री जी, एक तो आपने स्थान का चयन ही बहुत गलत किया है। यह मानवीय दृष्टि से बहुत गलत फैसला लिया गया है, आप वहां पर नाटी डालने जा रहे हैं जहां पर मातम पड़ा है। जहां तबाही और बर्बादी हुई है, आप वहां पर जश्न मनाने जा रहे हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि अगर इस सरकार में थोड़ी-सी भी मानवीय

02.12.2025/1440/av/AS/2

दृष्टिकोण की गुंजाइश बची है तो इस कार्यक्रम को स्थगित करके इसका वैन्यू शिफ्ट कीजिए। यह कार्यक्रम मण्डी में नहीं होना चाहिए। यह कार्यक्रम वहां इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा करके आप वहां पर लोगों की भावनाओं को आग लगा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रकार की स्थिति आती है तो हम यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सरकार का विवेक कहां है और इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि इस सरकार में संवेदनशीलता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। हम इस विषय पर चार घण्टे, दस घण्टे या जितनी मर्जी चर्चा करें परंतु इस चर्चा से कुछ नहीं होने वाला। आपको अगर सही मायने में यह लगता है कि सरकार को उन प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए काम करना चाहिए तो आपको ये सारे-के-सारे सेलिब्रेशन के कार्यक्रम स्थगित करने चाहिए। आपको एक-एक पैसा आपदा प्रभावित परिवारों और टूटी हुई सड़कों व पानी की स्कीम्ज को रिस्टोर करने के लिए लगाना चाहिए तथा इस प्रकार से बेवजह का खर्च नहीं करना चाहिए। यह लम्बे समय तक

याद रहेगा क्योंकि आपने भी सुना होगा कि 'जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था', आपके ऊपर भी इस प्रकार की बात आएगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि इस संदर्भ में पुनः विचार किया जाए और आपदा प्रभावित इलाकों पर पूरी तरह से फोकस किया जाए। वह चाहे चम्बा का इलाका

टी सी द्वारा जारी

02.12.2025/1445/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

श्री जय राम ठाकुर जारी

है जहां तबाही हुई है चाहे वह मंडी, शिमला, हमीरपुर या उना का इलाका है, प्रदेशभर के हर इलाके में प्राथमिकता के आधार पर कार्य होने चाहिए। उन इलाकों में मंत्री की ड्यूटी लगानी चाहिए कि वहां जाकर सारी स्थितियों को देखकर आवश्यक कदम उठाएं। मैंने खासतौर से कहा था कि सड़कें टूटी हुई हैं, पुल भी टूटे हुए हैं और उस वक्त कहा गया था कि जल्दी ही पुल लगा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज भी मलबे के ढेर लगे हैं और मुश्किल से गाड़ी चलने का रास्ता निकाला गया है। थोड़ी-सी बारिश होती है तो फिर स्लाइड आ जाता है यानी ये मलबा तक नहीं उठा पाए। इसके बावजूद कहते हैं कि हमने डिजास्टर में ऐसा काम करके दिखा जैसा आज से पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं समझ सकता हूं कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं यही कहूंगा कि मुख्य मंत्री जी आप हमारी कही बातों पर विचार करें और विचार करने के बाद उन पर काम करें। काम करेंगे तो आपका भला होगा। उन दिलों से दुआएं मिलेंगी जिनके परिवार के सदस्य चले गए जिनका घर चला गया है और वे दुआएं आपके काम आएंगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Chief Minister wants to intervene and next speaker Shri Chander Shekhar Jee please get ready.

02.12.2025/1445/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो राजनीतिक बातें की हैं, उनका जबाब तो माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी ही देंगे और मैं चाहूंगा कि वह इनका जवाब अच्छी तरह दें लेकिन मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान) वे माननीय राजस्व मंत्री हैं और उन पर आपने टिप्पणी की है। अध्यक्ष महोदय, कुछ बातों का जवाब मैं भी देना चाहता हूं। पूर्व मुख्य मंत्री महोदय हमारा जो जनसंकल्प कार्यक्रम है उसे ये जश्न मनाना कहते हैं। ...(व्यवधान) बोलने तो दीजिए। मैं तो बीच में नहीं बोला था। यह एक और गलती नोट कर लीजिए कि जब मैं टाइम मांग रहा था तब भी आप बीच में उठकर बोल रहे थे और इसे भी नोट कर लें। व्यवस्था परिवर्तन के तीन वर्ष पूरे होने पर हम जनसंकल्प मना रहे हैं और जनसंकल्प का मतलब है, जनता के लिए संकल्प करना तथा अपनी पार्टी का दृष्टिकोण रखना। इन्होंने राजनीति की बात की है इनका ऑडियो इनके विधान सभा क्षेत्र में खूब चलेगा। ये आज उसे लेकर जाएंगे, एडिटिंग करवाएंगे और वह पूरे हिमाचल प्रदेश में चलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि इनके विधान सभा क्षेत्र में मुझे कहा गया कि हेलीकॉप्टर से आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया और जयराम जी को बोला कि आप वहां जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैंने ही इनके क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से लैंड किया लेकिन वहां नीचे जाने का रास्ता टूटा हुआ था। हमने वहां अनाज उतारा और हमें कहा कि नीचे नहीं जा पाओगे और हेलीकॉप्टर में ही रात बितानी पड़ेगी इसलिए अभी आप वापिस चले जाइये क्योंकि शाम का समय था। मैं वहां शाम को ही इनसे पहले चला गया था। उसके बाद मैंने वक्तव्य दिया कि यह माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी का विधान सभा क्षेत्र है और उन्हें इस समय अपने विधान सभा क्षेत्र में रहना चाहिए क्योंकि ये चार पांच दिन तक वहां से अनुपस्थित थे। पांच दिन अनुपस्थित रहने के बाद जब ये वहां पहुंचे तब तक हमने सड़क खोल दी थी। थोड़ा-सा 200 मीटर का रास्ता था और ये घर तक पैदल चले गए। इनका सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त है और हमें दोष देते हैं जबकि सोशल मीडिया में आपका काम नंबर वन है, इसमें कोई दो राय नहीं। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण मंत्री और राजस्व मंत्री जी भी वहां गए थे। मैं खुद भी एक रात पूरे विधान सभा क्षेत्र में गया और जहां-

जहां आवश्यक था वहां का दौरा किया। इनकी सड़कों को खोलने के लिए कितनी पोकलेन लगाई गई आप इसका अंदाजा भ्र नहीं लगा सकते यानी युद्ध स्तर पर पोकलेन और जे0सी0बीज0 लगाई गई। इनके विधान सभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर 50 से 55 पोकलेन लगाई गई अगर राजनीतिक द्वेष रखना होता तो ऐसा नहीं करते। चीफ इंजीनियर और चीफ सेक्रेटरी को निर्देश दिए गए कि इनके क्षेत्र की समस्या का तुरंत हल किया जाए।

02.12.2025/1445/टी0सी0वी0/ए0एस0-3

हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध करवाया और वहां जितना सामान पहुंचाया गया वह भी हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचाया गया। इनके क्षेत्र में ढेरों सामान भेजा गया जिसे इन्होंने स्टोर किया। बी0जे0पी0 का कार्यकर्ता कौन है? हमने इसमें भेदभाव नहीं किया, इन्होंने भेदभाव किया और बी0जे0पी0 के कार्यकर्ताओं ने जाकर चावल की पांच किलो की थैली जिसे देनी थी उसको दे दी।

एन0 एस0 द्वारा जारी ...

02-12-2025/1450/NS-DC /1

मुख्य मंत्री ----जारी

सरकार के उपायुक्तों व अन्य अधिकारियों ने दिन-रात काम किया। राजस्व मंत्री जी वहां पर रुके और इनके पास वहां बच्चे रोने लगे और बिल्ख पड़े कि हमारी जान बचाओ। यहां हमारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज है। वे इनके पैर पकड़ कर रोने लगे। हमने क्या किया? हमने उस कॉलेज को इन्हीं के मण्डी में नाचन क्षेत्र में शिफ्ट किया। वहां बिल्डिंग बनी हुई है और 40 करोड़ रुपये की बिल्डिंग बनी हुई है तथा सिराज में बच्चों को रहने के लिए बिल्डिंग नहीं बनी है। इन्होंने उसके लिए राजस्व मंत्री का घेराव कर दिया और तिरंगे का अपमान किया। ये इनके कार्यकर्ताओं ने किया, मेरे कार्यकर्ताओं ने नहीं किया। तिरंगे पर जूते फेंके गए। फिर आप लोग देशभक्ति की बात करते हैं। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष जो पैसे गिना रहा

है कि इतना पैसा आया। मैं बताना चाहता हूँ कि एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 कोई दान नहीं है। यह केंद्र में हमारे जो टेक्सिज जाते हैं उसका पैसा है। मैं वही बता रहा हूँ। पिछली सरकार के समय 260 करोड़ रुपये कोई आपदा के नहीं आए थे। वर्ष 2017-18 में 260 करोड़ रुपये आए। ... (व्यवधान) आपने गिनाए तो मैं उसी को गिना रहा हूँ। आपने लगभग 1200 करोड़ गिनाए। वर्ष 2018-19 में 280 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 225 करोड़ रुपये और वर्ष 2020-21 में 454 करोड़ रुपये आए। एन0डी0आर0एफ0 और एस0डी0आर0एफ0 के पैसों की वर्ष में दो किस्तें आती हैं। पहली किस्त जून में और दूसरी दिसम्बर में आती है। इस बारे में आप जानते हैं। यह बात ठीक है कि राजनैतिक स्कोर के लिए अपनी बात को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं कि पैसे का हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। यह पैसा कोई मजबूरी नहीं है यह तो आना ही है। जब आपदा नहीं आई तब भी आता है और जब आपदा आती है तब भी आता है। इन्होंने पिछले तीन वर्षों का पैसा गिना दिया कि 1200 करोड़ रुपये आए हैं। हमने 4500 करोड़ रुपये खर्च किए और अब मैं उसका हिसाब बता रहा हूँ। 300 करोड़ रुपये हमने व्यक्तिगत तौर पर दिए जो सड़कों के ऊपर खर्च किया गया। यह पैसा सेब वाली सड़कों के ऊपर खर्च किया गया, कई स्थानों पर रोड बनाने के लिए और पानी की स्कीमों के लिए खर्च किया गया। आपने उसकी गिनती नहीं की। आपने हमें व्यक्तिगत तौर से लिया और कह रहे हैं कि आप वहां जाकर हमें गाली दे रहे हैं। हमने आपको कोई गाली नहीं दी बल्कि बड़े आदर से बोला और आपकी नाकामियां बताईं। हमने बड़े प्यार से बोला। हमने मोदी जी से यह

02-12-2025/1450/NS-DC /2

पूछा कि 1500 करोड़ रुपये कब आएंगे? क्या लोकतंत्र में ये पूछना गाली है? हमने जय राम ठाकुर जी को बोला कि आप साथ आइए। हमने विपक्ष के सभी विधायकों से सम्पर्क किया कि आप हमारे साथ आएं। आप लोग नहीं आए। फिर इन्होंने एक बात और कही कि क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी इस पैसे को सम्मिलित किया गया? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सिर्फ 1.30 लाख रुपये आते हैं। जिस व्यक्ति का घर टूट गया हो, जिस व्यक्ति की जीवनभर की कमाई पक्का मकान बनाने में लग जाए तो क्या उसका 1.30 लाख रुपये में घर बनता है? आज की तारीख में

1.30 लाख रुपये में बाथरूम तक नहीं बनता है। हमने अपने राज्य की इनकम से 8 लाख रुपये देने की घोषणा की जिसकी पहली किस्त 4 लाख रुपये दी गई जिसके लिए हमने आपको बुलाया लेकिन आप वहां पर नहीं आए। हमने सब लोगों को बुलाया। ... (व्यवधान) आप श्री इन्द्र सिंह जी को पूछिए। आप सबको पूछिए। हमने सबको बुलाया। मरे-मुक्करे का कोई इलाज नहीं है। एस0डी0एम0 ने सबको फोन किए। अध्यक्ष महोदय, मुक्करे के बारे में मैं नहीं बोल सकता। हम ये मानते हैं कि हमने बुलाया पर आप नहीं मानेंगे क्योंकि आप भाजपा वाले हैं और झूठ बोलने पर ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप नहीं आए तो क्या यह आपका दायित्व नहीं बनता था? जब आप आए दिन हमें फोन करते थे कि आज हमारी सड़क टूट गई है तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता था कि हम आपदा प्रभावित परिवारों को राहत दे रहे हैं और आपको आना चाहिए था। क्या श्री अनिल शर्मा जी बिना इन्विटेशन के आए थे? जब इनसे बात हुई और इन्हें लगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डी में जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको पैसा दिया जा रहा है तो वे आए। वे भी इनकी ही पार्टी के विधायक हैं। यह कहना कि हमें नहीं बुलाया गया गलत बात है। मैं आपके साथ इस बात के लिए सहमत हूं कि आपदा में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह बात ठीक है कि ऑडियो में आपके सिराज की बात चलेगी। सिराज वालों को सबसे ज्यादा राहत राशि मिली है और उसमें कोई राजनीति नहीं हुई है तथा न ही कोई भेदभाव हुआ है। आपके जितने वर्कर्स हैं उनको राहत राशि दी गई है। आपने यह भी कहा कि जिनके घर में सिल्ट चली गई है उनको भी पैसा दो। हमने उसको भी बढ़ा कर 50,000 रुपये दिए हैं। पार्शियली डैमेज घर जो हमें आपने बोले तो

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

02.12.2025/1455/RKS/DC-1

मुख्य मंत्री... जारी

हमने कहा कि कानून के अनुसार उन घरों को फुली डैमेज की सूची में डालेंगे। ... (व्यवधान) अगर आप कहेंगे कि वे घर फुली डैमेज की लिस्ट में आना चाहिए तो उसके लिए हमारी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। आधों को इस लिस्ट में डाला और आधों को नहीं, यह सोचकर हमारी सरकार कार्य नहीं करती है। जब चम्बा में आपदा आई

थी तो सबसे पहले मैं वहां गया था। आप लोग तो वहां नहीं गए। हमारे राजस्व मंत्री जी 9 दिन तक भरमौर में बैठे रहे। ...(व्यवधान) अगर आपने गिनती करनी है तो हमारी सरकार का हर मंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्रों में गया है। श्री राजेश धर्माणी, श्री विक्रमादित्य सिंह और श्री रोहित ठाकुर जी मंडी गए थे। जंजैहली स्कूल को वहीं सी0बी0एस0ई0 डिक्लेयर किया गया था। ...(व्यवधान) आपने अच्छा किया आपका भी तो कोई दायित्व बनता है। मैं राजनैतिक बात का जवाब राजनैतिक आधार पर ही दे रहा हूं। मैंने आपको बीच में नहीं टोका है। आपने जो कहा मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। मंत्रीमंडल के सदस्यों के अलावा हमारी पार्टी के विधायक भी अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में लोगों की मदद कर रहे थे। ...(व्यवधान) आप भी अच्छा कर रहे थे लेकिन आप यह श्रेय लेने की बात कर रहे हैं कि जो कुछ किया वह हमने ही किया। ...(व्यवधान) मैं तो इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। ...(व्यवधान) आप भी हमारे विधायक हैं ऐसी कोई बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात कहना चाहता हूं। हमारी सरकार का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और हम इसके लिए जनसंकल्प रैली करने वाले हैं। हम डिजास्टर फंड से इसके लिए कोई पैसा खर्च नहीं करेंगे। हमने जो अपने रिसोर्स डवलप किए हैं उनसे ही इस रैली का खर्च किया जाएगा। हम इस रैली के माध्यम से प्रभावित परिवारों की मदद भी करेंगे। आप हमारे खर्च की बात कर रहे हैं लेकिन आपने जनमंच कार्यक्रमों में काफी पैसे खर्च किए हैं। आपने हर विधान सभा क्षेत्र में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में 70-80 लाख रुपये खर्च किए हैं। ...(व्यवधान) आप दूसरी गलती कर गए। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि हम जनसंकल्प कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ...(व्यवधान) चलो मान लो कि आपके कहने से हमने इसका नाम बदल दिया। ...(व्यवधान) हम चाहते हैं कि जनसंकल्प रैली में कम-से-कम खर्च हो। जनमंच कार्यक्रमों में एक विधान सभा क्षेत्र का 70 लाख रुपये खर्च आ जाता था। माननीय उप-मुख्य मंत्री ने कहा था कि आप

02.12.2025/1455/RKS/DC-2

जनमंच कार्यक्रमों में करोड़ रुपये के फुलके खा गए थे लेकिन हम इस इंक्वायरी में नहीं जाना चाहते। यह आपकी पार्टी या सरकार का कार्यक्रम था और हम इसमें नहीं जाना

चाहते हैं। आपको हमारे सरकारी कार्यक्रम से क्या समस्या है? आपको कहना चाहिए कि यह अच्छी बात है। हमने पांच साल बाद जनता की अदालत में जाना है। हमने आपके कार्यक्रमों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपने कोरोना काल में भी नियमों को तोड़ा है लेकिन हम इस विषय पर नहीं जाना चाहते। आप 4 दिसम्बर को रैली करने जा रहे हैं। हम उसके लिए आपको नहीं रोक रहे हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने हमारी रैली के लिए जगह देने से इंकार कर दिया है।...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आप मेरी बात सुनिये। मैंने कहीं मना नहीं किया है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ।...(व्यवधान) आप मेरे पास आ जाना।...(व्यवधान) जोरावर मैदान में तीन या चार हजार लोग ही आते हैं।...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि रैली में 10,000 लोग आएंगे।

श्री बी०एस० द्वारा जारी

02.12.2025/1500/बी.एस./एच.के.-1

मुख्य मंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, जोरावर स्टेडियम में 3-4 हजार लोग आते हैं इन्होंने कहा कि हमारी रैली में 10 हजार लोग आ रहे हैं। क्या मैंने वहां पर भगदड़ करवाना है? मेरी सरकार का भी कुछ दायित्व है। आप अभी आइए और मुझे लिख करके दीजिए कि हम जोरावर में रैली करना चाहते हैं और हमारी इतनी स्ट्रेंथ है। जहां 10-15 हजार लोगों ने आना है वहां पर पुलिस ग्राउंड को देने में क्या समस्या है? आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको मैदान दे दिया जाएगा। हमारे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने भी वहां पर एक बार रैली की थी तो वहां पर तीन हजार से ज्यादा कुर्सियां नहीं आती है। आपने 10 हजार लोगों को लाना है लोगों को एक दूसरे पर तो नहीं चढ़ाना है। सरकार में कानून-व्यवस्था भी होती है। फिर भी विधायक दल यदि मैदान की कोई मांग करेगा तो हमारी सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करेगी जो आप लिख करके देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे उसका फैसला हम आपको सुना भी देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर राज्य की गंभीर आर्थिक स्थिति पहुंची है तो इसमें इनका दोष है हमारा दोष नहीं है। हम तो इसे ठीक कर रहे हैं। मैं यह भी कह सकता हूँ कि 15 सौ करोड़ रुपये के लिए ये जोर-जोर से कह रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी जो कह देते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है। हमने कब मना किया कि पत्थर पर लकीर नहीं है। मैं इन्हीं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि ये हमारे विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के नेता को हमने कैबिनेट का दर्जा दिया हुआ है। हम चाहेंगे कि भजपा और कांग्रेस के सभी विधायक मिलकर देश के प्रधान मंत्री जी के पास चलते हैं। जो 15 सौ करोड़ रुपये की घोषणा की उसे ले करके आते हैं। मैं इसी मंच से उसी दिन उनका मीडिया के द्वारा भी धन्यवाद करूंगा कि दो महीने बाद ही पैसे मिले हैं परंतु मिले तो हैं। इनके लिए मैं एक और बात कहना चाहता हूँ और कल भी मैंने बोला कि सिराज विधान सभा के लिए कोई राजनीति शत्रुता और द्वेष नहीं है। सिराज के लोग भी हमारे परिवार के लोग हैं। हम आज भी उनके साथ खड़े हैं। छत्तरी से ले करके चैलचौक की सी0आई0एफ0 की कोई सड़क स्वीकृत करवाई है तो इसी सरकार में करवाई है लेकिन आप बोल रहे हैं कि भेद-भाव हो रहा है। उसके लिए 150 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। आपसे बातचीत के बाद हमने उसमें अनुमोदन किया आपने भी प्रयास किए होंगे। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता।

02.12.2025/1500/बी.एस./एच.के.-2

श्री जय राम ठाकुर : यह हमारे प्रयासों से ही हुआ है।

मुख्य मंत्री : अगर हम इसे केन्द्र को नहीं भेजते तो क्या होता। आपने भी प्रयास किए होंगे लेकिन उसमें स्वीकृति मिली है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधान सभा के लिए हमारी कोई द्वेष की भावना नहीं है। आप विपक्ष के नेता है और हम आपका अदर करते हैं, सम्मान करते हैं लेकिन आप हमारी रैली पर इस तरह की टिक्क-टिप्पणी करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आपने भी कई चीजें की हैं हम उन चीजों पर न जा कर आप शांति से बैठे और हमें भी सहयोग दें। हम रैली में आपके लिए कोई गाली देने नहीं जा रहे हैं। यदि आपकी नाकामियों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं तो उसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ बोलना है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।
...(व्यवधान)...

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने बोलना है वे विस्तार से बोल देंगे।
...(व्यवधान)...आदरणीय जय राम ठाकुर जी आपने 45 मिनट बोला और मुख्य मंत्री जी ने 15 मिनट बोला है। ठाकुर साहब, कृपया बैठ जाइए।...(व्यवधान)...

श्री जय राम ठाकुर : क्या मुझे इनके बोलने पर बैठना है?

अध्यक्ष : नहीं, कृपया आप मेरे बोलने पर बैठ जाइए। अभी मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। ...(व्यवधान)... ठाकुर साहब आपके वक्तव्य में सभी चीजें कवर हो चुकी हैं। इन्होंने नया कुछ नहीं बोला है सारा रिज्वाइडर दिया है। यह सब पुराना है। यदि नई बात होती तो मैंने आपको अनुमति दे देनी थी।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

02.12.2025.1505 डी0टी0-एच0के0.-1

अध्यक्ष जारी..

...(व्यवधान) आपने अभी रैली का जिक्र कर दिया तो उन्होंने उसका जवाब दिया।
...(व्यवधान) इन्होंने कह दिया कि मैं स्टेट बजट से करूंगा और जो डिजास्टर का पैसा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ...(व्यवधान) आपने जो रेफरेंस दिया उसी का जवाब इन्होंने दिया। ...(व्यवधान) इससे ज्यादा रिकार्ड में कुछ भी नहीं है। ...(व्यवधान) सी0आर0एफ0 के बारे में इन्होंने कई बार बोल दिया और यह भी बोला कि आपके चुनाव क्षेत्र के लिए छत्तरी तक सी0आर0एफ0 की सड़क मंजूर करवाई है। ...(व्यवधान) चलो आप दोनों ने मिलकर की होगी। ...(व्यवधान) वह तो कई बार रिकार्ड पर आ गया है। ...(व्यवधान) वह तो पहले भी आ गया है। ...(व्यवधान) अब एक घंटा हो गया है 2 बजे लंच के बाद यह सत्र शुरू हुआ और अब तीन बज चुके हैं। ...(व्यवधान) Thakur Sahib, please take your seat. ...(व्यवधान) अब माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी केवल सिंह पठानिया द्वारा प्रदेश में आई आपदाओं से प्रभावितों को आ रही मुश्किलों और इस अवधि में सरकार के द्वारा किये जा रहे कार्यों पर यह सदन चर्चा करे प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, इसके लिए आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

(श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए।)

बहसों और चर्चाओं के सिलसिले आपदाओं के साथ चले। आपदाएं गंभीर और गहन होती चली गई। प्रभावितों के जख्म केवल गांवों में ही नहीं शहरों में भी देखने को मिले। जिला मंडी इस आपदा का प्रमुख केंद्र बना। 30 जून को विधान सभा तपोवन में माननीय अध्यक्ष लोक सभा की अध्यक्षता में एक कॉफ्रेंस का आयोजन किया था। यह कॉफ्रेंस अपने आप में ऐतिहासिक थी और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। उसी शाम पूरे प्रदेश को इस वर्ष की आपदा का पहला जख्म मिला और मंडी शहर के भीतर लोग इस आपदा के कारण बह गये। मंडी शहर में इस प्रकार की यह पहली घटना थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी प्रदेश में आई भारी वर्षा के कारण पूरे-का-पूरा गांव बह गया। माननीय मुख्य मंत्री जी भी उसी सम्मेलन के दौरान इसी सदन में विराजमान थे। 30 जून को प्रदेश में आपदा आई और पहली जुलाई को मुख्य मंत्री जी सबसे पहले धर्मपुर आये। आपदाग्रस्त गांव का दौरा किया। वहां बैठने की सुविधा केवल मंदिर में ही थी। आपदाग्रस्त लोगों के साथ मंदिर में एक चटाई में बैठकर इस आपदा से निपटने के लिए भविष्य की कार्य योजनाओं और चुनौतियों के ऊपर चर्चा की गई। माननीय

02.12.2025.1505 डी0टी0-एच0के0.-2

राजस्व मंत्री और माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मेरे हलके में आपदा ग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने के लिए पहुंचे। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मण्डी जिला के सिराज विधान सभा क्षेत्र में जो आपदा का वोलियम था यह आठ गुणा था। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर तीन व्यक्ति अभी भी गायब हैं और इस तरह मण्डी जिला के अन्दर 32 लोग अभी भी गायब हैं। हम उनको स्वर्गीय नहीं कह पाएंगे क्योंकि उनका अभी तक कोई अता-पता नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के धर्मपुर बाजार में 120 दुकानें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई हैं।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...**02.12.2025/1510/वाई.के.-एन.जी./1****श्री चंद्र शेखर.....जारी**

और पूरे जिला में 40 से अधिक लोग मर गए हैं। एक छोटी सी बच्ची जोकि अभी गोद में है, के मां-बाप अभी तक नहीं मिले हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि उन्होंने मण्डी जिला में आपदा प्रभावितों के लिए हुए कार्यक्रम में अपने विवेक से उस बच्ची के नाम पर 20 लाख रुपये करने का एलान किया है। यह अतिरिक्त प्रयास 'मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना' से बाहर जाकर किया गया है। घरों के क्षतिग्रस्त होने पर दी जाने वाली राशि को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.00 लाख रुपये किया गया। जब कोई मकान गिरता है तो उसके साथ में रसोई घर भी चला जाता है। इसलिए मुख्य मंत्री जी ने रसोई के बर्तन आदि सामान के लिए दी जाने वाली राशि को 70 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब एक पैकेज के तौर पर 8.00 लाख रुपये की राहत राशि प्रदेश के आपदाग्रस्त परिवारों को देना सुनिश्चित हुआ है। यह निर्णय ऐतिहासिक है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति गम्भीर होती दिखाई देती है लेकिन हमारे मुख्य मंत्री विवेकमान व संवेदन हैं और सरकार की नैतिकता को सर्वोच्च स्थान देते हुए उन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। कृषि व बागवानी क्षेत्र में जो नुकसान हुआ उसकी पैमाइश का पैमाना भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा माल-मवेशियों के लिए मिलने वाली राहत को भी बढ़ाया गया। दुकानदारों को हुए नुकसान के लिए मिलने वाली मुआवजा राशि को भी बढ़ाया गया। इसी के साथ जो स्थितियां मानवीय तरीके से तैयार हुई हैं वे नेशनल हाइवे के कारण हुई हैं। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का इस माननीय सदन में आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि पिछले कल उन्होंने देश की संसद में एन0एच0-03 का

जिक्र किया जोकि मेरे विधान सभा क्षेत्र से होते हुए हमीरपुर, टोणी देवी, मण्डी के कोटली तक पहुंचता है।

02.12.2025/1510/वाई.के.-एन.जी./2

सभापति महोदय, इस आपदा के दौरान मैं अपने विधान सभा क्षेत्र में किन्हीं 3-4 कार्यक्रमों में जा रहा था। उस समय बारिश हो रही थी। मेरे विधान सभा क्षेत्र को सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र से पाड़छू नामक स्थान जोड़ता है। वहां पर इस वर्ष जून की 27 व 28 तारीख को एक प्रस्तावित ब्रिज गिर गया था। दिनांक 01-07-2025 को माननीय मुख्य मंत्री अपने दौरे के दौरान वहां पर रुके और एन0एच0 अथॉरिटी से जानना चाहा कि इसमें क्या गड़गड़ियां हुई हैं। वहां पर एन0एच0 के असंवेदन तंत्र व कम्पनियां मौजूद नहीं थीं। एक दिन में 50 बसों के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र सहित जोगिन्द्रनगर, लड़भड़ोल, बैजनाथ, शिमला, चण्डीगढ़ व दिल्ली का सामान्य नागरिक सफ़र करता है और इस एन0एच0 के कारण पिछले तीन वर्षों से उन्हें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन एन0एच0 की कम्पनियों ने गैर जिम्मेदाराना व असंवेदन रूख अख्तियार करके रखा हुआ है। वे इतने असंवेदन व गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं कि प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री की मौजूदगी में भी वहां पर जवाब देने के लिए एक छोटा-सा इंजिनियर भी खड़ा नहीं था। अभी सितम्बर की 08 तारीख को

श्रीमती पी0बी0 द्वारा.....जारी

02.12.2025/1515/वाई0के0-पी0बी0/1

श्री चंद्र शेखर...जारी

जब यह घटना घटी तो उससे बसें, ऐंबुलेंसिज और गैस की गाड़ियां जो गांव-गांव में स्पलाई देती है वह बंद हो गई लेकिन उनके कागज़ों में वह रोड ठीक है। सभापति महोदय, जब मैं मौके पर पहुंचा तो सड़क बंद होने से दो बसें सड़क के एक तरफ और एक बस दूसरी तरफ थी। बस से बाहर लगभग 100 से ज्यादा बुजुर्ग, बच्चे व अन्य यात्री अपने बैग उठाकर बारिश में भीग रहे थे। मैंने मौके पर से ही अधिकारियों से संपर्क साधा और उन्होंने कहा कि हम पहुंच रहे हैं तथा मशीनें पहुंच गई है लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। मैं अपनी टीम के साथ अगले डेढ़ घण्टे तक मौके पर खड़ा रहा। उसके बाद एक जे०सी०बी० मशीन भेजी गई और एक प्लास्टिक का पट्टा उनके हाथ में देकर कहा गया कि 52 व 48 सीटर बस को जे०सी०बी० से खींचा जाए। यह बड़ी पीड़ादायक स्थिति थी इसलिए हमने कहा कि ऐसा नहीं होगा। आप हमें लिखित में दीजिए कि यह रोड बंद है ताकि हम प्रशासन से बात कर ऑल्टरनेटिव रूट पर बसों को चला सकें और आप तब तक इस रूट को ठीक कीजिए। उनकी तरफ से कोई व्यक्ति और अधिकारी मौके पर नहीं आया। सभापति महोदय, मैंने 8 बजे तक एस०डी०एम० और डी०एस०पी० के साथ थाने में उनका इंतजार किया ताकि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। परंतु जब यह नहीं हुआ तो मुझे मज़बूरी में रात के 9 बजे यह फैसला लेना पड़ा कि अब घर क्या जाना। पिछले दो वर्षों से यही सिलसिला चल रहा है। हम गांधीवादी हैं और शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन करने में विश्वास रखते हैं इसलिए हमने फैसला लिया कि अवाहदेवी के चौक पर अपने क्षेत्र की जनता के लिए समूचे हिमाचल प्रदेश में एन०एच०ए०आई०, मोर्थ व फोरलेन की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उस के लिए केंद्रीय सरकार और केंद्रीय एजंसियों का ध्यान आकर्षित किया जाए। इस प्रकार से हमने आमरण अनशन करने का फैसला किया। मैं मुख्य मंत्री जी और आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे अनशन को संवेदनशील तरीके से देखा। जब मेरे क्षेत्र में नौवें दिन बड़ी आपदा आई तो उस समय उप-मुख्य मंत्री जी मौके पर पहुंचे। अनशन के उन 170 घण्टों के भीतर इतना जरूर हुआ कि प्रदेश के एक छोटे-से क्षेत्र के विधायक की आवाज़ आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी तक पहुंच

गई। मुख्य मंत्री जी ने हस्तक्षेप कर कुछ निर्णयाक चीजों को जनता के लिए ज़मीनी स्तर पर लागू करने में मदद की।

02.12.2025/1515/वाई0के0-पी0बी0/2

अध्यक्ष महोदय, अभी भी 9-11 मीटर रोड के लिए रिटेनिंग वॉल चाहिए, geosynthetic solutions की आवश्यकता है और slopes stable करने के लिए प्रयास होने हैं। ये सब हालात देखकर मुझे लगता है कि अभी साल-डेढ़ साल लोग उस रोड पर और धक्के खाएंगे। जब हम टेंट में बैठे थे तो हमारे पास मोर्थ के प्रदेश मुखिया और अधिकारी आए तथा उन्होंने कमिटमेंट की कि हम इस रोड को दिसम्बर में पूरा करेंगे। हमारे मण्डी के वरिष्ठ विधायक आदरणीय अनिल जी, माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी, माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी और पूरे क्षेत्र की एक ही पीड़ा है लेकिन मुझे इस पीड़ा का निदान अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोग बहुत बेचैन हैं क्योंकि आपदा में इस प्रकार की स्थितियां और मुश्किलें खड़ी करती हैं। केंद्रीय एजेंसियां राज्य सरकार के प्रोविज़न से बाहर हैं। जब यह सदन इस आपदा पर चर्चा कर रहा है तो इस बात को भी शामिल करना चाहिए कि एन0एच0ए0आई0 के कार्यक्षेत्र में जो लोग आपदा ग्रस्त हैं,

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

2.12.2025/1520/A.G./A.P./01

श्री चंद्र शेखर जारी

जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और जिनके घरों को अभी भी खतरा है और जिन लोगों को स्टेबलाइजेशन की जरूरत है उसके लिए कोई ठोस योजना एन0एच0, मॉर्थ या फोरलेन की एजेंसियां नहीं दे पा रही हैं जबकि आज के समय में इनकी आवश्यकता है।

मैं बायो-इंजीनियरिंग को लेकर भी सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। केवल लिखित योजनाओं से आपदाओं का समाधान नहीं होगा। आपदा मकानों से संबंधित हो, गांव से संबंधित हो या फिर सड़कों या पानी की योजनाओं से संबंधित हो। इन सभी के लिए हमें बायो-इंजीनियरिंग के नए तरीकों के साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन

वर्तमान समय में हमारे प्रदेश में इस तरह का कोई भी तंत्र उपलब्ध नहीं है। पी0डब्ल्यू0डी0, जल शक्ति, यू0डी0 और आ0डी0 जैसी एजेंसियों का भी बायो-इंजीनियरिंग के लिए कोई विशेष डिवीजन नहीं है।

सभापति महोदय आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि अब समय आ गया है कि हम आपदा को लेकर ठोस कदम उठाएं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आपदाएं और बढ़ेंगी और गंभीररूप धारण करेंगी। आपदा चाहे पश्चिमी विक्षोभ के रूप में हो अरब सागर से उठने वाला मानसून के रूप में हो या बंगाल की खाड़ी से आने वाली तुफान की वजह से, क्योंकि यह सभी हिमालय में पहुंचकर भारी वर्षा में बदल जाती हैं, जिसका सीधा असर हमारे प्रदेश के गांव-गांव में पड़ता है। ग्रामीण विकास की योजना बनाते समय पंचायतों को को लेकर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारे बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर पुराने समय के पानी के प्राकृतिक स्रोतों के ऊपर निर्माण हो जाने के कारण वहां पर पानी का रुख बदल गया और हमने इसे नजरअंदाज कर दिया है। इससे पानी का प्रवाह उन जगहों पर जा रहा है जहां पहले कभी नहीं जाता था। दस दिनों में होने वाली वर्षा अगर मात्र दो घंटे हो जाती है, तो ऐसा अप्राकृतिक घटनाक्रम हमें केवल आपदा की ओर ही ले जाता है। मेरा राजस्व विभाग से आग्रह है कि रिहायशी और गैर-रिहायशी मकानों को लेकर जो भ्रम है, उसे दूर किया जाए। आपदा के समय

2.12.2025/1520/A.G./A.P./02

पटवारी कभी-कभी मकान को गैर-रिहायशी लिख देता है, जिससे विवाद पैदा होता है, इसलिए गांव, वार्ड और पंचायत स्तर पर गैर-रिहायशी मकानों को स्पष्ट रूप से दर्ज और चिन्हित किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भ्रम न रहे।

इसी तरह गौशालाओं के संदर्भ में पशुपालन विभाग के दृष्टिकोण से भी स्पष्टता आवश्यक है। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि गाय और भैंस की अप्राकृतिक मौत पर 10,000 से 55,000 रुपये तक मुआवजा उनके द्वारा तय किया गया है। लेकिन पशु की खरीद-फरोख्त और मृत्यु का रिकॉर्ड भी स्पष्ट होना चाहिए ताकि लोगों में कोई भ्रम न रहे और सरकार को काम करने में कठिनाई न हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि केंद्रीय टीम समय रहते मेरे क्षेत्र में आपदा प्रभावित स्थानों का दौरा करने आई थी। राहत मैनुअल को लेकर उनकी अपनी कठिनाइयां थीं। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक क्रांतिकारी निर्णय लिया।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी

02.12.2025/1525/AT/AG /01

श्री चंद्र शेखर जारी...

रिलीफ मैनुअल को अमेंड किया, बदला यह अधिकारियों के विरोध और उनकी आपत्ति के बावजूद किया गया। यह मुख्य मंत्री जी की पॉलिटिकल विल और राजनीतिक इच्छा-शक्ति को दर्शाता है। इसी इच्छा-शक्ति से हम मुआवजे को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक ले गए।

सभापति महोदय, इस वक्त आवश्यकता इस बात की है कि केंद्रीय रिलीफ मैनुअल को भी बदला जाए। मैं आदरणीय जय राम जी से भी गुजारिश करूंगा कि आपदा को लेकर हम सभी एक हैं उधर जो बेचैनी है, वही बेचैनी इधर भी है जो दर्द उधर है, वही दर्द इधर भी है। जब दर्द हिमाचल प्रदेश की 65 लाख की आबादी का है, तो फिर यह सदन का दर्द है, किसी पार्टी विशेष का नहीं है।

मेरा आपसे आग्रह है कि जब हिमाचल जैसा छोटा राज्य अपना रिलीफ मैनुअल बदल सकता है, तो भारत सरकार और हमारे 7 सांसद भी भविष्य में इसे बदलने पर विचार करें। केंद्रीय कमेटी ने कहा कि कलवर्ट का पैसा आपको मिल जाएगा, लेकिन जो पुल बह गए हैं, उनका पैसा नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मेरा बरांग-कतैली ब्रिज, धर्मपुर अपना शहर का ब्रिज, कांडापटन ब्रिज, मेरा लघु हरिद्वार का ब्रिज, धलारा-चंदगला-खेड़ी ब्रिज, कोंसल ब्रिज और शैण-बकारटा ब्रिज, ये सातों ब्रिज पूरी तरह से

ध्वस्त हो गए हैं, कहीं नामोनिशान नहीं है। हम कह रहे हैं कि पी0डी0एन0ए0 से पैसा आएगा, लेकिन पी0डी0एन0ए0 में तो इनका प्रावधान ही नहीं है। दिक्कत यह है कि कलवर्ट के लिए तो पैसा आप दोगे लेकिन उसी तरह मेरा 33 के0वी0 धर्मपुर का सब-स्टेशन इसी बरसात के अंदर दो बार पूरी तरह से बर्बाद हुआ। लेकिन दिल्ली की केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल 11 के0वी0 सब-स्टेशन को पैसा देने के लिए तैयार है, पर 33 के0वी0 सब-स्टेशन को पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि नुकसान उसी में हुआ है। इस वक्त सवाल यह है हमें रिलीफ कैसे मिलेगी? जब इतना बड़ा नुकसान धर्मपुर में हुआ है।

02.12.2025/1525/AT/AG /02

इसलिए मेरा निवेदन है भारत सरकार का यह रिलीफ मैनुअल भी अब समय और आवश्यकता के अनुसार बदला जाना चाहिए। इसके अलावा, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमें आपदा और उसके प्रभाव का अंदाजा है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकला जाए, इसके दो रास्ते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने मॉडल के तौर पर धर्मपुर को चुन लिया। धर्मपुर पिछले 10 वर्षों में चौथी बार आपदा का सामना कर रहा है। मेरी 27 बसें चली गईं, 21 रूट आज भी बंद पड़े हैं, 51 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं सरकार का नजरिया, माननीय शिक्षा मंत्री जी का और माननीय मुख्य मंत्री जी का नजरिया बताना चाहता हूं कि आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के चुनाव क्षेत्र के लगभग 80 स्कूलों के लिए करीब 4 करोड़ रुपये रिहैबिलिटेशन के लिए दे दिए गए। मैं चीखता रह गया। मैं मानता हूं कि उनके क्षेत्र में अधिक आपदा आई, लेकिन थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए था। फिर भी उन्हें इतना पैसा दे दिया गया यह उनकी दरियादिली है। मुझे नहीं मालूम कि आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को मालूम है कि नहीं है लेकिन उनको दे दिया गया है। उसी तरह अस्पतालों और हमारे अन्य सेंटर्स को भी नुकसान हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का फिर धन्यवाद करता हूं कि पहली बार ICI मोड़ एक नेपाल की एजेंसी को चुना गया है। यह एजेंसी अब धर्मपुर में स्टेबलाइजेशन, नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशन, कम्युनिटी-लिंकड इश्यूज़ और डिजास्टर से जुड़े समाधान पर स्टडी भी करेगी और

कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करेगी। इसके लिए मैं सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।

सभापति महोदय, मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता हूँ। अंत में एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सरकारों का कार्य करने का अपना नजरिया होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपदा के समय जो ऐतिहासिक कार्य उठाए हैं, जो क्रांतिकारी निर्णय विभिन्न विभागों में लिए हैं तथा एक हरित हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो नजरिया माननीय मुख्य मंत्री जी का है, वह प्रदेश की जनता के सामने वह नजरिया जाना चाहिए।

एम0डी0द्वारा जारी.....

02-12-2025/1530/AS/MD/1

श्री चंद्र शेखर---जारी

विभिन्न विभागों के अंदर जो आवश्यक क्रांतिकारी कदम लेने थे वह तथा हिमाचल प्रदेश को हरित, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने का जो दृष्टिकोण मुख्य मण्डी जी रखते हैं, वह प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से जाना चाहिए। यदि मंडी को इस दृष्टि से चुना गया है, तो यह हम सभी के लिए गौरव का विषय है। मण्डी निश्चित रूप से आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन आपदा से निपटने के लिए सरकार जिन विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से कार्य कर रही है, उसकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। किसी एक क्षेत्र के लिए अलग नीति बनाने की बजाय पूरे हिमाचल प्रदेश को समान दृष्टि से देखा जा रहा है। मंडी में दिनांक 11 तारीख को 'जन संकल्प सम्मेलन' आयोजित हो रहा है। मैं मण्डी जिला की ओर से मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इसे मण्डी में आयोजित करने का निर्णय लेकर मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय दिया और मण्डी के अंदर आने वाले समय में दिनांक 11 तारीख को पूरे प्रदेश के लाभार्थी और वे सभी लोग, जिन्होंने सरकार को स्थापित करने में योगदान दिया, ऐतिहासिक पडल ग्राउंड में एकत्रित होंगे। मण्डी जिला प्रशासन और जनता इस आयोजन के लिए पूर्ण तैयारी कर रही है। इसके

लिए मैं सरकार का स्वागत करना चाहता हूं। इसके अलावा अंत में मेरी एक गुजारिश है कि आज पर्यावरण परिवर्तन का प्रभाव हम सभी के सामने है जिसको लेकर इसी महीने ब्राजील में लगभग 1500 डेलिकेटस वर्ल्डवाइड इकट्ठा हुए। पिछले महीने यह कॉन्फ्रेंस हुई।

अभी भी वहीं लचीला रवैया है जबकि उसका इंपैक्ट हिमालय के रीजन हम पर है। पूरा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मौसमीय प्रभाव पूरे हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। उसी तरह से ब्राजील में क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई आज भी विडंबना है कि जो इसको इंपैक्ट दे रहे हैं वही ब्राजील में बैठकर फैसला ले रहे हैं। निश्चित तौर पर वह योजनाएं अपने हिसाब से डाइवर्ट कर रहे हैं। वह उस तरह की योजनाएं चाहते हैं जिससे की लचीली सरकार हो और गरीबी के हाशिये पर बैठे हुए आदमियों पर उनका इंपैक्ट हो। मैं चाहता हूं कि यह सदन इस पर विचार करे और डेलिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायामेंट के पास चलें ताकि हम उन्हें बता सके कि पिछले दस वर्षों में हिमाचल प्रदेश में क्या इंपैक्ट आ चुका है। जिस तरह से माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी इस

02-12-2025/1530/AS/MD/2

प्रस्ताव का नेतृत्व कर सकते हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन करता हूं और मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि जो यह क्लाइमेट चेंज है आने वाले समय में ये फॉक्स है और यदि समय रहते हमने सदन में जलवायु परिवर्तन पर एक राजनीतिक संकल्प नहीं लिया, तो हिमाचल प्रदेश को बार-बार ऐसी ही आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक असेसमेंट के तौर पर एनवायरमेंट मंत्री, पर्यावरण मंत्री जी के पास जाकर तथा जो ब्राजील के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो बड़े फैसले हुए हैं उसका इंपैक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में कैसा होगा उसको लेकर हमें जरूर दिल्ली की तरफ जाना चाहिए और समस्त मंत्रालय के पास जाकर अपनी समस्याओं को और जो एजेंसियां इस वक्त में वर्ल्ड वाइड इस तरह के इंपैक्ट से लड़ने के लिए पैसा देती हैं, जो एजेंसियां इस वक्त एनवायरमेंट को बचाना चाहती हैं उनका ध्यान भी हिमाचल प्रदेश की इस आपदा की ओर घूमें और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हिमाचल की 75 लाख की

आबादी के लिए 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी। यह राशि हमारे लिए मरहम का काम कर सकती है लेकिन यदि राहत देने में देरी होती रही, तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी पड़ेगा। आने वाले समय के लिए हमें एक व्यवहारिक तथा प्रभावी योजना की आवश्यकता है जोकि एनवायामेंट से होकर निकलती है। आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

02-12-2025/1530/AS/MD/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया जी, श्री राकेश जमवाल जी ने नियम-130 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा पर चर्चा प्रारंभ की थी। आपने उस चर्चा के दौरान मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

02.12.2025/1535/केएस/एस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी ---

सभापति महोदय, इससे पहले जो नियम-67 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों को टालने को लेकर चर्चा हुई थी, उसमें भी बार-बार आपदा के बारे में चर्चा होती रही क्योंकि चुनाव टालने के लिए डिजास्टर एक्ट अर्थात् आपदा का सहारा लिया गया। उस डिजास्टर एक्ट में सरकार ने खुद सारी बातें कबूल की हैं। उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब कुछ क्लीयर लिखा है कि 47 स्थानों पर बादल फटे, 98 जगह पर बाढ़ के कारण नुकसान हुआ, 148 स्थानों पर प्रमुख लैंड स्लाइड्स हुए और 283 मौतें हुईं, 40 के लगभग लोग लापता हैं, 1817 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए, 8,323 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए तथा उसमें 5,426 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन

किया गया है। आपदा आए लगभग ढाई-तीन महीने का समय हो गया है परंतु अभी तक इस नुकसान की भरपाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, यह कहने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि नियम-67 के अंतर्गत हुई चर्चा का जवाब देते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि सड़कें अवरुद्ध हैं, हमें प्रभावितों को राहत देनी है, प्रशासन उसमें लगा है इसलिए हम चुनाव नहीं करवा सकते। हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस सरकार ने ही माना है कि तीन महीने में सरकार इस आपदा से निपटने में पूर्णतः विफल रही है और एक कदम भी उसके लिए सरकार ने नहीं उठाया है। इसकी पुष्टि जो हमारा बुलेटिन निकलता है, उसके अनुसार भी हुई जिसके तहत सामने आया है कि प्रदेश में अभी लोक निर्माण विभाग की ही 50 सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, अवरुद्ध हैं। अभी लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मुरम्मत ही नहीं हुई है। विधायक निधि से, सांसद निधि से तथा पंचायतों ने अपने फंड से जो गांव में लिंक रोड बनाए हैं, सड़कें बनी हैं, उनकी मुरम्मत की तो बात ही दूर है। जो प्रस्ताव पंचायतों से आपदा के लिए आया उसमें आपदा राहत राशि भी नहीं मिल रही है। हम लोग विधायक निधि से उसमें मदद करना चाहते हैं लेकिन विधायक निधि ही बंद कर दी गई है। आपदा प्रभावितों के घरों के आगे-पीछे अगर डंगे लगने हैं तो सरकार ने प्रावधान किया कि उसमें हम अपनी विधायक निधि से पैसा दे सकते हैं। हम उस पैसे के सेंक्शन लैटर जारी कर चुके हैं लेकिन ट्रेज़री बंद है, पैसा जा नहीं रहा है। सरकार कर क्या रही है? सभापति महोदय, आज इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि सरकार आपदा का बहाना ले कर चुनाव तो टाल रही

02.12.2025/1535/केएस/एस/2

परंतु आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। यहां पर बड़ी चर्चाएं की गई कि हमने यह विशेष राहत पैकेज शुरू कर दिया, हमने वह राहत देने की बात कर दी लेकिन दिया क्या है? लोगों को मिला क्या है? मैं नहीं कह रहा, यह आपकी ही पार्टी के सदस्य का प्रश्न है और आपकी ही सरकार का उत्तर है जिसमें जब पूछा गया कि सरकार ने वर्ष 2023 की आपदा में जो विशेष राहत पैकेज घोषित किया था, उस 4500 करोड़ रुपये के पैकेज में से कितने पैसे प्रभावितों को दिए गए तो जवाब आया कि 256.57 करोड़ रुपये। आप 4500 करोड़ रुपये का ढोल पीटते रहे और बांटा

256.57 करोड़ रुपया है। यह आपकी सरकार का दिया हुआ उत्तर है। माननीय राजस्व मंत्री जी यहां से उठकर चले गए। आपदा पर चर्चा हो रही है लेकिन इस समय इस माननीय सदन में राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री ही नहीं बैठे हैं। आपदा को ले कर सरकार कितनी गम्भीर है, यह आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं। इस बार फिर घोषणा की गई कि हमने 7 से 8 लाख रुपये कर दिए। घोषणाएं करने से क्या होता है? आपने अखबारों में भी ऐड दे दी। आज आपने यहां पर 13 प्वाइंट घोषित कर दिए कि हमने आपदा के अंदर विशेष राहत पैकेज में यह भी कर दिया, वह भी कर दिया परंतु जो असली समस्या है उसका तो इसमें जिक्र ही नहीं है।

सभापति महोदय, आपने भी देखा होगा कि कई जगह लोगों के घर चले गए और घर के साथ-साथ जमीन भी चली गई।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी --

02.12.2025/1540/av/DC/1

श्री रणधीर शर्मा----- जारी

ऐसे कई गांव हैं जहां 8, 10 और 15 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और स्लाइडिंग भी इस प्रकार से हुई है कि वहां पर दोबारा से घर बन भी नहीं सकते। जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए उनमें अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनके पास अब घर बनाने के लिए जमीन ही नहीं है। परंतु आपने जो आज अखबारों में एड दी है उसमें जमीन देने का कोई प्रावधान नहीं किया है। आपने जमीन उपलब्ध करवाने की बात की थी परंतु इसका मतलब अब आप उस वायदे से मुकर रहे हैं।

मुख्य मंत्री जी तो एक बीघा जमीन देने की बात करते थे परंतु यहां तो दो-तीन बिस्वा जमीन देने का भी जिक्र नहीं है, एक गरीब आदमी अपना मकान कहां पर बनाएगा? मुझे पता है, जब राजस्व मंत्री जी जवाब देंगे तो बोलेंगे कि फॉरैस्ट लैण्ड है या एफ0सी0ए0 एक्ट है। अरे! सारी लैण्ड तो फॉरैस्ट की नहीं है? कई स्थानों पर कुछ जमीनें दूसरे विभागों

के पास भी हैं। बिलासपुर में जहां एम्ज़ बना है वहां एक हजार बीघा जमीन पशु पालन विभाग की थी और वह वहां उस विभाग से लेकर बनाया गया है। प्रदेश में इस प्रकार से कई स्थानों पर विभागों और सरकार की जमीन होगी परंतु उसको ढूंढने की आवश्यकता है। क्या सरकार ने उपायुक्तों और अपने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं कि ऐसी जमीन ढूंढी जाए जहां पर आपदा प्रभावित परिवारों को बसाया जा सके। इस बारे में सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया जाता, आपदा प्रभावित परिवारों की मुख्य समस्या के समाधान के लिए इसमें कोई जिक्र नहीं है। आपने कहा कि हम पूर्णतया क्षतिग्रस्त के लिए 7 से 8 लाख रुपये देंगे परंतु आज की अखबारों की एड में केवल 7 लाख रुपये ही लिखा है। आप केवल वाहवाही लूटने के लिए बोलते हैं। आज चर्चा का विषय यह है कि आपने कितने आपदा प्रभावित लोगों को राहत दी है।

सभापति महोदय, जो राहत दी भी जा रही है, उसमें भी बंदरबांट हो रही है। अपनी पीठ खुद थपथपाई जा रही है कि हमने मण्डी में राहत बांट दी। परंतु राहत किसको बांटी, कितनी बांटी और कैसे बांटी; उसका उदाहरण मैं अपने विधान सभा क्षेत्र से देना चाहता हूं। मेरे नैना देवीजी विधान क्षेत्र में भी बरसात के लास्ट दिनों में आपदा आई जिसमें लगभग 125 घर क्षतिग्रस्त हुए। जिसमें से लगभग आधे घर पूर्णतया

02.12.2025/1540/av/DC/2

क्षतिग्रस्त हुए। परंतु विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों ने केवल 33 घर पूर्णतया घोषित किए। मैंने जब उसके बारे में बात की तो बोला गया कि वह मकान गिरा नहीं है। अरे! जिस मकान में दरारें पड़ गईं और वह रहने लायक नहीं बचा तो उसको पूर्णतया क्षतिग्रस्त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमने इस बारे में जिलाधीश महोदय से बात की और उनके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा कि जो मकान रहने लायक नहीं है, उसको पूर्णतया क्षतिग्रस्त घोषित किया जाए। परंतु सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 33 मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त घोषित किए गए। अब आप उसमें देखिए कि बंदरबांट कैसे होती है। अभी यहां पर राजस्व मंत्री जी बैठे नहीं हैं, वे इसका जवाब क्या और कैसे देंगे? मैंने जो 33 पूर्णतया क्षतिग्रस्त मकानों की बात बताई, उसमें से अभी तक

केवल 16 प्रभावित परिवारों को राहत राशि मिली है। उन 16 में से 8 को 1.30 लाख रुपये, 4 को 25-25 हजार रुपये, दो को 10-10 हजार रुपये और 2 को 5-5 हजार रुपये मिले हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि यह कौन-सा फॉर्मूला है? जब सभी के मकान क्षतिग्रस्त हैं तो सभी को बराबर राहत राशि क्यों नहीं दी गई? उनमें से जो 17 लोग बच गए, उनका क्या कसूर है? क्या यही कसूर है कि वे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं? क्या आप आपदा में भी राहत राशि राजनैतिक आधार पर देंगे? मेरा आरोप है कि हमारे विधान सभा क्षेत्रों में यह सारी राशि राजनैतिक आधार पर बांटी जा रही है। इसके लिए कोई पैमाना नहीं अपनाया जा रहा है। मैंने आपको पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की स्थिति बताई। इसी तरह से वहां पर 281 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान पाए गए जिसमें से केवल 32 परिवारों को राहत मिली है।

टी सी द्वारा जारी

02.12.2025/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0/-1

श्री रणधीर शर्मा जारी

और 32 में भी आप एक को 25 हजार रुपये, 12 को 10-10 हजार रुपये, 16 को 5-5 हजार रुपये और 3 को 2-2 हजार रुपये देंगे। यह कौन-सा फार्मूला है। राजस्व मंत्री जी माननीय सदन में आ गए हैं, आपका स्वागत है। राजस्व मंत्री जी मुझे बताइए कि यह आपदा प्रभावित लोगों को राहत बांटने का कौन-सा फार्मूला है। जिन लोगों के मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए हैं उनमें से 16 को तो पैसा दे रहे हैं लेकिन एक को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं। जिन 16 को पैसा दे रहे हैं उनमें से 8 को 1.30-1.30 लाख रुपये, 4 को 25-25 हजार रुपये, 2 को 10-10 हजार रुपये और 2 को 5-5 हजार रुपये दे रहे हैं। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को भी आप एक को 25 हजार रुपये, 12 को 10-10 हजार रुपये, 16 को 5-5 हजार रुपये और 3 को 2-2 हजार रुपये दे रहे हैं। 281 में से केवल 32 लोगों को ही राहत मिली है। यह कैसा पैमाना है? मेरा आरोप है कि यह सब राजनीतिक आधार पर हुआ है। सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री चंद्रशेखर जी कह रहे थे कि आपदा के लिए हम भी उतने

गंभीर हैं जितने गंभीर आप हैं और सबकी मदद होनी चाहिए परंतु आपके कारनामों से लग नहीं रहा है कि आप सबकी मदद कर रहे हैं।

सभापति महोदय, कहा जाता है कि केंद्र से कोई पैसे नहीं मिले लेकिन जो मिला है वह इनके सामने है और इनके ही प्रश्नों के उत्तर में है। मैं नहीं कह रहा हूं इनके ही सदस्य ने प्रश्न पूछा था और इनके ही मंत्री ने जवाब दिया है। मानसून सत्र में दिनांक 20 अगस्त, 2025 के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने माना था कि 3,574 करोड़ रुपये आए हैं और अभी जो प्रश्न माननीय केवल सिंह पठानिया जी ने पूछा था उसका जवाब माननीय राजस्व मंत्री जी ने दिया और उसमें इन्होंने माना है कि 4,221 करोड़ रुपये आए हैं। फिर आप कैसे कहते हैं कि कुछ नहीं आया है। आप लोग कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है तो यह भी बोलिए कि फेडरल स्ट्रक्चर होते हुए प्रदेश को इतना पैसा आया है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार एस0डी0आर0एफ0 में 552 करोड़ रुपये और पी0डी0एन0ए0 में 451 करोड़ रुपये अलग से आ चुके हैं। इस तरह से जो राशि माननीय जय राम ठाकुर जी ने बताई है, वह 5,200 करोड़ रुपये के लगभग पहुंच चुकी है। फिर भी आप कहते हैं कि हमें तो प्रधानमंत्री जी के 1,500 करोड़ रुपये चाहिए। आपने किया क्या है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि स्कूलों की जियो टैगिंग करो। प्रधानमंत्री जी ने कहा

02.12.2025/1545/टी0सी0वी0/डी0सी0/-2

था कि आपदा से जो बिल्डिंग्स क्षतिग्रस्त हुई हैं उनकी जियो टैगिंग करो, जहां जहां नुकसान हुआ है उसकी जियो टैगिंग करो। सरकार ने उस दृष्टि से कोई कदम नहीं उठाया। फिर आप किस मुंह से आलोचना कर रहे हैं। आज मुख्य मंत्री जी का बयान छपा है कि 451 करोड़ रुपये तो आ चुके हैं लेकिन आप लोग बार बार कहते हैं कि एक पैसा नहीं आया जबकि लाखों करोड़ रुपये आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप औपचारिकताएं पूरी करेंगे तो बाकी पैसा भी आ जाएगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान मिले हैं उनके लिए आपने 7 लाख रुपये की राशि को अब 8 लाख रुपये घोषित किया है। इसलिए आप प्रधानमंत्री

आवास योजना का जो पैसा दे दें और उसके अनुसार 4,500 करोड़ रुपये का पैकेज आप अपने नाम चढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का 7 लाख रुपये देना है और कह रहे हैं कि हम खुद दे रहे हैं। वह राशि 1,30,000 रुपये हैं और इसके अलावा मनरेगा के देने हैं वह भी 25-30 हजार रुपये बनते हैं जो इससे जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2024—25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 99,881 घर मिले जिनकी राशि 575 करोड़ 30 लाख रुपये बनी और वर्ष 2025—26 में 53,584 घर और मिले जिनकी राशि 188 करोड़ 34 लाख रुपये बनती है। इन दो वर्षों में 1,53,465 घर प्रधानमंत्री आवास योजना में 766 करोड़ 64 लाख रुपये की धनराशि के आ चुके हैं और इनमें वे सब घर शामिल हैं जिनके घर आपदा के दौरान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए। इसलिए आप कैसे मना कर रहे हैं? आप इतने गैर जिम्मेदाराना कैसे हो सकते हैं कि मिली हुई चीज को भी मना कर दें। अभी दो दिन पहले की खबर है कि प्रदेश में आपदा पीड़ितों के लिए 10,180 मकान और मंजूर हुए हैं। आप औपचारिकताएं पूरी करें, ये मकान आपके लिए और स्वीकृत हो चुके हैं, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं।

एन0 एस0 द्वारा जारी ...

02-12-2025/1550/NS-HK/1

श्री रणधीर शर्मा----जारी

केंद्र सरकार हर दृष्टि से मदद कर रही है और कोई कमी नहीं छोड़ रही है परन्तु आपका हाल क्या है? आप पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहे हैं। यही श्री केवल सिंह पटानिया जी का प्रश्न है और यही राजस्व मंत्री जी का जवाब है। इन्होंने ही माना कि अभी तक एस0डी0आर0एफ0, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0एम0एफ0 और एन0डी0एम0एफ0 का जो भी पैसा आया है उनमें से 341 करोड़ रुपये खर्च ही नहीं हुए हैं। यह आपकी सरकार की हालत है। आप मिले हुए पैसे को भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो इससे निकम्मी सरकार और क्या हो सकती है? ये आपके हालात हैं।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा आ रहा है। जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उसकी अपग्रेडेशन के लिए पैसा आया। उसमें 2643 करोड़ रुपये आए। उसके बाद सी0आर0एफ0 जिसकी चर्चा मुख्य मंत्री जी कर रहे थे। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए एक सड़क आई जो पूर्णतया क्षतिग्रस्त थी और अब सेंट्रल रोड फंड का पैसा उस सड़क में लग रहा है। ये सारे पैसे केंद्र से ही आ रहे हैं। इसलिए आप इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप धन्यावाद करना चाहते हैं तो कीजिए अगर नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए लेकिन मना तो मत करो, झूठ मत बोलो, माननीय सदन को गुमराह मत करो और जनता को गुमराह मत करो।

सभापति महोदय, यहां पर जश्न के कार्यक्रम की चर्चा हुई। मैं उस पर बोल चुका हूं और दोबारा विस्तार से बोलना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आपके तीन सालों के कार्यक्रम से हम भी खुश हैं और जनता भी खुश है। हम बहुत खुश हैं। लोग बोले शुक्र है तीन साल खत्म हुए जल्दी से दो साल भी खत्म हो जाएं। जनता खुश है। आप वही खुशी मनाओ। जनता खुश है कि तीन वर्ष बड़ी मुश्किल से कटे, अब डाउनफाल शुरू हो गया और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है तथा अब जल्दी से दो वर्ष भी निकल जाएंगे। आप इसलिए खुश हैं कि तीन वर्ष पूरे हो गए और जनता इसलिए खुश है कि तीन वर्ष जैसे-तैसे निकल गए दो वर्ष भी निकल जाएंगे। सभापति महोदय, यह हालत इस सरकार की है। ये कहते हैं कि हमने दौरा किया, उसने दौरा किया। केंद्र से 7 मंत्री आए और 7 मंत्रियों ने दौरा किया। मुझे पता

02-12-2025/1550/NS-HK/2

है कि अब आप बोलेंगे कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। आप भी दौरे पर गए थे तो आप क्या देकर आए थे? आप इतने दिन वहां बैठे थे तो क्या आपने कुछ दिया था? मंत्री दौरे पर गए तो क्या मंत्री दौरे पर देखने जाते हैं, सुपरवाइज करने जाते हैं और आकलन करने जाते हैं? ये उन मंत्रियों का आकलन था कि पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से आपको राहत राशि आई। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी नहीं आए,

प्रियंका गांधी जी नहीं आईं। घर तो प्रियंका गांधी जी का हिमाचल में है। चुनावों के दिनों में कहते हैं कि हम हिमाचली हैं और हमारा घर हिमाचल है परन्तु आपदा से ग्रस्त लोगों के आंसू पोंछने का समय न राहुल गांधी को मिला और न ही प्रियंका गांधी को मिला और न ही किसी और राष्ट्रीय नेता को मिला। जबकि हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सांसद और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आए जो आपको सौगातें देकर गए। इसलिए आलोचना कीजिए पर सोच-समझ कर कीजिए। अपने नेताओं की तरफ देखिए। ... (व्यवधान) सभापति महोदय, आपदा संकट है। वैसे तो यह सरकारी आपदा है और यह सरकार आपदा के संकट के कारण संकट में है लेकिन कुछ संकट सरकार खुद खड़े करती है तथा सबसे बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो रहा है। अभी डिजास्टर एक्ट के कारण इन्होंने चुनाव स्थगित किए। मैं बोलना चाहता हूं और मैं भी डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी का वाइस चेयरमैन हूं। डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी वैधानिक संस्था है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

02.12.2025/1555/RKS/HK-1

श्री रणधीर शर्मा... जारी

चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। क्या राजस्व मंत्री जी मैं ठीक कह रहा हूं? क्योंकि भारत के संविधान के 73वें संशोधन के बाद प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। यह एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान में संशोधन के बाद बनी है। आपदा की संस्था एक वैधानिक संस्था है। यह संस्था सरकार ने विधान सभा में एक्ट पारित करके बनाई है। आप मुझे यह जवाब दीजिए कि क्या वैधानिक संस्था संवैधानिक संस्था को ऑर्डर दे सकती है? आपने जो 8 अक्टूबर को ऑर्डर किया है वह आपके गले पड़ने वाला है। मैं उस दिन आपसे क्लेरिफिकेशन मांगता रहा लेकिन मुझे क्लेरिफिकेशन नहीं दी गई। मैं आज भी मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप निर्वाचन आयोग को कैसे आदेश दे सकते हैं? आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप उन्हें अपनी समस्या रिकॉमेंड कर

सकते हैं। आप ऑर्डर नहीं कर सकते। आप इस तरह प्रदेश में सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव पैदा करके एक संवैधानिक संकट खड़ा कर रहे हैं। अगर आप चुनाव नहीं करवाना चाहते तो आप मत करवाइए, यह आपकी मर्जी है। लेकिन हम चाहते हैं कि समय पर चुनाव हो क्योंकि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हम संविधान पर विश्वास रखते हैं इसलिए समय पर चुनाव करवाने की बात कर रहे हैं। आपको संविधान पर विश्वास नहीं है इसलिए आप इन चुनावों को पोस्टपोन कर रहे हैं। अब संवैधानिक संकट यह खड़ा हो रहा है कि जो डिजास्टर एक्ट में आपदा का पैसा है वह पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कैसे खर्च होगा। अगर ऐसा है तो इन संस्थाओं की तिथियां पूरी होने के बाद क्या आप इसके जनप्रतिनिधियों को कंटेन्यू रखेंगे। क्या पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान, जिला परिषद, बी0डी0सी0 मेम्बर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नगर परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिसमें शहरी निकायों का 18 जनवरी और 31 जनवरी, 2026 को पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, क्या उसके बाद वे अपने पदों पर बने रहेंगे। अगर वे अपने पदों पर नहीं रहेंगे तो इस आपदा के पैसे को कौन खर्च करेगा? इस पैसे को खर्च करने का किसको अधिकार होगा? आने वाले समय में यह संकट खड़ा होने वाला है इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाह रहा हूँ। आप चुनाव करवाइए या फिर चुने हुए लोगों को कंटेन्यू करिये ताकि आपदा का सारा पैसा उनके माध्यम से खर्च हो सके। यह इस सदन में भारतीय जनता पार्टी

02.12.2025/1555/RKS/HK-2

की मांग है। मैंने कल भी कहा था कि केन्द्र के 15वें वित्तायोग में जारी पंचायती राज संस्थाओं का पैसा डाइवर्ट हो रहा है। मुख्य मंत्री और मंत्री जी कह रहे हैं कि आप पत्र दीजिए लेकिन यह आपका कैबिनेट डिसिजन है जोकि मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में होती है। इस कैबिनेट में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी भी बैठते हैं उसमें क्लीयर लिखा है कि "On the aforementioned subject, it is to inform you that with respect to transfer of Tied Grant of 15th Finance Commission for operation and

maintenance of Drinking Water Supply Schemes and collection of user charges detailed guidelines were issued to Jal Shakti Vibhag." यह जल शक्ति विभाग को पैसा डाइवर्ट हुआ है। यह इस सरकार की हालत है। यहां पर मेरे साथियों ने बहुत सी बातें की हैं जिन्हें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। वर्ष 2023, वर्ष 2024 में प्रदेश में आपदा आई लेकिन वर्ष 2025 में तो बहुत ज्यादा आपदा आई परंतु इस सरकार ने इन आपदाओं से कुछ नहीं सीखा। आवश्यकता थी कि सरकार के स्तर पर इसकी कोई विवेचना होती, कोई चिंतन होता कि यह प्राकृतिक आपदा बार-बार क्यों आ रही है। यह ठीक है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बादल फट रहे हैं।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

02.12.2025/1600/बी.एस./वाई.के.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे बादल फट रहे हैं जी, क्लाउड ब्रश हो रहे हैं जी, परंतु हमें रिसर्च करके कहीं-न-कहीं तो यह पता करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या क्लाउडबर्स्ट का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? जैसे बरसात का पहले पूर्वानुमान लगता है तो क्या क्लाउडबर्स्ट और स्थान का कुछ पूर्वानुमान लग सकता है? इसकी कोई रिसर्च नहीं हो रही है और न कहीं कोई शुरुआत हुई है। हमने दो-दो, तीन-तीन बार यहां कह दिया। आपदा के प्रमुख कारण अवैध खनन, अवैध कटान और अवैध निर्माण है परंतु इन तीनों को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार अवैध कटान को भी बढ़ावा देती है, अवैध खनन को भी बढ़ावा देती है और अवैध निर्माण को भी नहीं रोकती है। ये प्रमुख कारण आपदा के हैं। हम बार-बार बोलते हैं कि आप खनन की नीति बनाइए। हम नहीं कहते खनन को रोको, खनन बंद होगा तब भी नुकसान होगा परंतु जरूरत से ज्यादा होगा तो भी नुकसान होगा। इसलिए साइंटिफिक ढंग से खनन हो उसकी कोई नीति बने खड्डें ऑक्शन हो जाए और तय हो जाए कि इतने फुट तक खनन होना है। आपको भी पैसा आएगा जो आप आर्थिक संकट में है उसमें भी कुछ सुधार होगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। यह जो ऊना में गोलियां चल रही हैं इसमें भी राहत होगी और इसको भी रोकने में

सफलता मिलेगी। अब पता नहीं उद्योग मंत्री जी खनन को अपना विषय मानते हैं या नहीं मानते हैं? इस पर कोई विचार सरकार नहीं कर रही है। अवैध कटान रुकने की बजाय बढ़ पड़ रहा है। सरे आम हो रहा है और सत्ताधारी दल के करण धारों के संरक्षण में हो रहा है, कहीं कोई रोकने की व्यवस्था नहीं है। अगर कहीं पेड़ काटने जरूरी भी हैं तो पेड़ लगाने तो उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। हमने बार-बार कहा कि आप प्लेन का डेवलपमेंट मॉडल पहाड़ों पर नहीं चला सकते। हमें हिमाचल में सेपरेट डेवलपमेंट मॉडल फॉर हिल डेवलप करना पड़ेगा। पहाड़ों के लिए अलग से विकास मॉडल निर्धारित करना पड़ेगा। सरकार उसमें इनीशिएटिव लें जो इसमें रुचि रखते हैं उनको बुलाइए। बहुत से लोग समाज में हैं आप हमें भी उसमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो हम भी अपने विचार देने को तैयार हैं। परंतु तय तो करें कि क्या हम इस आपदा से बचने के लिए कुछ इच्छा शक्ति तो जाहिर करें। एक काम भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है कि आपदा से रोकने के लिए कुछ करना है, कुछ प्रायर योजना बनानी है,

02.12.2025/1600/बी.एस./वाई.के.-2

कुछ कदम उठाने हैं। इसलिए सरकार को इस दृष्टि से जरूर आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि ...(घंटी)... आगे भविष्य में आपदा न आए।

सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री रणधीर शर्मा : सभापति महोदय, मैं दो मिनट की बात करना चाहता हूं कि कहीं-न-कहीं जब से सरकार आई है आपदाओं का दौर बढ़ा है। थोड़ा लाइटर वे में होगा पर (***)

सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आपदा पर चर्चा करें, विषय पर बोलो। आप व्यक्तिगत अटैक कर रहे हैं। ...(Interruption) Please wind-up now.

श्री रणधीर शर्मा : (***) यह निवेदन करते हुए जो सुझाव मैंने दिए हैं उन पर भी सरकार अमल करे और आपदा प्रभावित लोगों को राजनीति से ऊपर उठ कर भारतीय

जनता पार्टी कांग्रेस न करते हुए सबको एक समान राहत प्रदान करें यही निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, सभापति महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

Chairman : It will not be a part of the record. जो माननीय सदस्य ने **जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है** वह प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होगा। माननीय राजस्व मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

02.12.2025/1600/बी.एस./वाई.के.-3

राजस्व मंत्री : सभापति महोदय, अब माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि राजस्व मंत्री यहां नहीं बैठे हैं हम तीन-तीन घंटे बैठ करके माननीय सदस्यों की बात सुन रहे हैं। बीच में यदि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं तो उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं। जितने भी माननीय सदस्यों ने यहां पर वक्तव्य दिया है वह सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। मैं खुद भी सारा लिख रहा हूँ और मेरे अधिकारी एक-एक बात को नोट कर रहे हैं और आपकी बात को ध्यान में रखा जा रहा है। परंतु लास्ट में आप थोड़ा भटक गए। जो इनकी संकीर्ण सोच है उसी को फिर से चर्चा में ला दिया। इन्होंने संविधान भी शपथ ली, उस दिन उसमें क्या था? धर्म निरपेक्ष की बात हुई। राधे-राधे भी बोलो, ओम नमो शिवाय भी बोलो, सतश्री-अकाल भी बोलो आपको कहां रोका हुआ है? सबको आजादी है, आप क्यों एक ही बात और विचारधारा को थोपने में लगे हुए है?

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

02.12.2025.1605 डी0टी0-वाई0के0.-1

सभापति : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री विनोद सुल्तानपुरी।

श्री विनोद सुल्तानपुरी : सभापति महोदय, आज इस डिजास्टर एक्ट के अंतर्गत प्रदेश में आई त्रासदि पर हम फिर से बात कर रहे हैं और इस प्रदेश में जिस प्रकार बार-बार डिजास्टर हो रहा है, स्वाभाविक रूप से इसका कारण यह है कि प्रदेश में जो मौसम

परिवर्तन हुआ है उससे यह सब मुश्किलें आई हैं। आज हमें नए तरीके से इसके बारे में सोचना होगा कि हम कैसे इस डिजास्टर को, जो एक रेगुलर फिनोमिना बन गया है, उससे डील कर सकते हैं। डिजास्टर से हमें प्रदेश के लोगों को कैसे बचाना है, उस पर भी इस सदन को विचार करना चाहिए। आज उसी संदर्भ में कुछ बातें मैं इस माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूँ।

सबसे पहले मैं जो मेनमेड कारण हैं, जिसकी वजह से प्रदेश में डिजास्टर हो रहा है, उसके बारे में मेरा मैं कहना चाहता हूँ। उसमें संबंध में एक बड़ी क्लीयर सी अंडरस्टैंडिंग है कि जो हमारा निर्माण कार्य है उसके ऊपर जिस तरह की सोच पहले रही है वह सोच अब यूटिलाइज नहीं हो रही। जो हमारे परम्परागत तरीके थे उसमें लोग आपस में सलाह करके घर बनाते थे। आज लोगों को जहां भी जमीन मिल रही वहीं पर घर बना देते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नदियों के किनारे होटल्स बना लिए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेतों में ही घर बना लिए हैं। पहले जो हमारा परम्परागत ज्ञान था उसका उपयोग बड़े ढंग से किया जाता था और सही स्थान में घर बनते थे। आज हमें इसके लिए साइंटिफिक स्टडी की बहुत आवश्यकता है जिसमें हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर और कितनी हाइट का स्ट्रक्चर एक टोपोग्राफी में और जियोग्राफिकल के लिए जरूरी है और उसी तरीके से उस जगह की स्टडी होनी चाहिए और उस स्टडी निकले निष्कर्षों को पंचायत स्तर तक प्रोवाइड किया जाना चाहिए।

पिछली त्रासदी के कारण मेरे विधान सभा की सड़को में जब क्रेक्स आने लगे तो वहां के लोग सीमेंट से उन क्रेक्स को भरने लगे। वास्तव में उसका जो एक्चुअल फिनोमिना निकला वह यह था कि वहां सारे-की-सारी भूमि नीचे से सिंक कर रही थी। इसी तरह का फिनोमिना हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में भी देखा है। श्री जय राम ठाकुर जी के इलाके में जो आपदा से नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें मैंने देखीं, बिल्कुल वैसा ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हुआ था। उसमें तड़ोल गांवअभी चपेट में आया। उस ग्राम की जो टॉपोग्राफी है उसमें पूरा गांव सिंक हो रहा है। हमें साइंटिफिक तरीका नहीं समझ आ रहा है कि हम इसे किस तरह डील कर पाएं। जब डिजास्ट हुआ तो

02.12.2025.1605 डी0टी0-वाई0के0.-2

हमारे लोग परेशानी में यह समझ नहीं पा रहे कि हम कहां जाएंगे। जब इस तरह की त्रासदी होती है तो सरकार को एक प्रोटोकॉल फिक्स करना चाहिए जिसमें यह जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें रिहैबिलिटेड करने के लिए एक सेफ हाउस की व्यवस्था हो जिसमें सभी गांव के लोग एक जगह एकत्रित हो सके। उसकी सेफ्टी इश्योर्ड होनी चाहिए। डिजास्ट के समय जब मेरे बड़े भाई भुवनेश्वर गौड़ को खबर मिली तो हमने उनके चेहरे में अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के प्रति प्यार और उनकी पीड़ा की फिलिंग को अपनी आंखों से देखा।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

02.12.2025/1610/ए.जी.-एन.जी./1

श्री विनोद सुल्तानपुरी.....जारी

यहां पर पूरे हिमाचल प्रदेश के लीडर्स मौजूद हैं और सभी अपने-अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए संवेदनशील हैं। यह सही है कि हमें एक-दूसरे के साथ तर्क-वितर्क करना है लेकिन हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए मेरा सभी साथियों से आग्रह है कि हम सभी को एक साथ मिलकर दिल्ली जाना चाहिए और केन्द्र सरकार के समक्ष अपनी बात को रखना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार हाल ही में दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने के लिए केन्द्र सरकार को लगभग 57 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट दिया गया। इतने बड़े अमाउंट का प्रोजेक्ट केवल ड्रेनेज के लिए दिया गया जबकि हम तो पुनर्वास के लिए पैसा मांगने जा रहे हैं इसलिए हमें एक बेहतर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जिसमें प्रदेश का हर इलाका कवर हो सके। हम हिमाचल प्रदेश की सेवा कैसे कर सकें और यहां पर हुए नुकसान को कैसे रिस्टोर कर सकें, हम सभी का इस बात पर कंसनट्रेशन होना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं कुछ बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब प्रदेश में आपदा आई तो हमारे सामने उसका एक कारण यह आया कि हमारी नालियाँ बंद थीं और पुलियों में बहुत ज्यादा गारबेज पाया गया जिसके कारण पूरा-का-पूरा रोड बह गया। जल शक्ति विभाग द्वारा कुछ नालियाँ वैली साइड में डाली गई थीं और उनके कारण पुराने समय या अंग्रेजों के समय में लगी हुई रिटेनिंग वॉल्स गिर गईं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी इस प्रकार की सोच रही है जिसमें एक ठेकेदार आता है और वह बना-बनाया रोड़ खोद कर वैली साइड में नालियाँ डाल देता है जिस कारण इस प्रकार के डैमेजिज़ होते हैं। मैं प्रदेश सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के मामलों पर शीघ्र संज्ञान ले और हम जब भी कोई विकासात्मक कार्य करें तो उसमें futuristic thought होना बहुत जरूरी है। उसमें आगे क्या हो सकता है, उस पर अवश्य ध्यान दिया जाए। मेरा मानना है कि डिज़ाइनिंग सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है।

02.12.2025/1610/ए.जी.-एन.जी./2

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में डिज़ास्टर एक्ट लगा हुआ है और उसके तहत कई वैकल्पिक रोड्स बनाने की आवश्यकता है। जब कहीं पर आपदा आती है तो उससे बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग बहुत काम आता है ताकि वह इलाका लैंड लॉक न हो पाए। इसके अलावा एफ0आर0ए0 के प्रावधानों को डैल्यूट या ओवरलुक करने की भी आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के धर्मपुर में एक बायपास रोड बनाने की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र में ऐतिहासिक रेलवे लाइन है और उसकी टनल के ऊपर से यदि यह बायपास बन जाएगा तो यह रोड धर्मपुर के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का काम भी करेगा। यह रोड धर्मपुर से सुबाथु वाया कादों बनेगा। इसी प्रकार थड़ी से सुजी गांव में भी वैकल्पिक रोड बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा भोड़ो की नाली से ओडर से कमलोग तक एक वैकल्पिक रोड बनाने की आवश्यकता है। मैंने अभी कहा था कि पूरा-का-पूरा तड़ोल गांव

सिंकिंग जोन में आ चुका है। वहां पर भी वैकल्पिक मार्ग बनाने की बहुत आवश्यकता है जोकि गाईघाट स्कूल से नीचे की ओर से बनेगा। मैंने वी०के०वी०एन०वाई० के माध्यम से थोड़ा पैसा दिया था लेकिन उसमें अभी और पैसे की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि परवाणु में पानी की योजना जोकि पूरी तरह से धवस्त हो चुकी थी और आज उसकी रिस्टोरिंग का काम शुरू हो चुका है। इससे हमारे लोगों को राहत मिली है। इसके लिए सरकार द्वारा हमें लगभग सात करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने हमें सड़कों को खोलने के लिए धनराशि दी है जिस कारण हम विभिन्न गांवों की सड़कों को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इतनी बड़ी आपदा में हम अपने लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी काफी काम बाकी है। हमारे गांवों के रोड्स को खुलने में थोड़ा समय लग रहा है और मैं अनुरोध करूंगा कि

श्रीमती पी०बी० द्वारा.....जारी

02.12.2025/1615/ए०जी०-पी०बी०/1

श्री विनोद सुल्तापुरी...जारी

सरकार लोक निर्माण विभाग को सीधे पैसा दे ताकि गांव की जिन सड़कों के लिए जे०सी०बी० नहीं भेजी जाती है वहां पर विभाग जे०सी०बी० भेज सके। अभी पंचायती राज संस्थान के चुनाव भी होने वाले हैं जिससे सरकार में एक अलग थॉट प्रोसैस शुरू होता है। यदि सरकार इसका संज्ञान लेकर स्वयं इन सड़कों को खोलेगी तो लोगों को बहुत फायदा होगा।

सभापति महोदय, मेरे ध्यान में एक और इशू आया है। प्रदेश में चल रही रिहेबिलिटेशन में पाया गया है कि सरकारी विद्यालयों की छतें लीक कर रही हैं जिसके लिए हिमाचल के कंस्ट्रक्शन विंग को कार्य करने की आवश्यकता है। आज हमारे कई विद्यालयों के छत टूट रहे हैं जिससे वहां पढ़ रहे छात्रों पर खतरा बना रहता है। यदि

विद्यालयों में टिन रूफिंग होगी तो छत पर पानी इकट्ठा नहीं होगा। मैंने देखा है कि शिक्षा विभाग में अध्यापकगण स्कूलों को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं लेकिन उन्हें इस कार्य का ज्ञान नहीं होता है। इसके लिए सही तरीका यह है कि स्कूलों का कंस्ट्रक्शन या तो लोक निर्माण विभाग करे या फिर किसी अन्य एजेंसी से करवाया जाए। हमारे कोटबेजा में एक स्कूल है जिसे स्कूल तक रोड बनाने के लिए 10 लाख रुपये दिए गए। वहां के अध्यापकों ने नदी के समीप ही रोड बना दिया और बरसातों में वह रोड पूरा क्षतिग्रस्त हो गया जिससे वह 10 लाख रुपये बर्बाद हो गए इसलिए इन कार्यों के लिए वैज्ञानिक सोच होना आवश्यक है। अध्यापकों को केवल पढ़ाने का कार्य करना चाहिए और कर्मचारियों को उनके विभाग के अनुसार ही काम करना चाहिए जिससे हमारे प्रदेश का पैसा बर्बाद न हो।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलन का मौका दिया आपका धन्यवाद, जय हिन्द।

02.12.2025/1615/ए0जी0-पी0बी0/2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री अनिल शर्मा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री अनिल शर्मा : सभापति महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा कर रहे हैं जो प्रदेश में लगातार बढ़ रही है। यह सभी के लिए चिंता का विषय है। सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस विषय पर अपने सुझाव दिए हैं। प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए नेता प्रतिपक्ष जी और माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने विपक्ष के माध्यम से कुछ अच्छे सुझाव भी दिए हैं। यदि हम नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी की बात करें तो मैंने सिराज़ का जिक्र पिछली बार चर्चा में भाग लेते वक्त भी किया था और सदन में इस पर बहुत चर्चा भी हो चुकी है। इस चर्चा में हमने पाया है कि व्यक्ति अपने सपनों के महल को बहुत मेहनत से बनाता है और उन्होंने भी बहुत मेहनत से सिराज़ का विकास किया था। मैंने सिराज़ को पहले भी देखा था और जब मैंने त्रासदी उपरांत वर्षों के बाद फिर से सिराज़ को देखा तो सचमुच में वह दृश्य पीड़ादायक था। आप कुछ भी कह लीजिए, श्री जय राम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष तो है ही लेकिन वे सिराज़ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक भी हैं। वे उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से छः बार विधायक बने

और मुख्य मंत्री पद तक पहुंचे हैं इसलिए वे वहां की जनता का कर्ज चुका रहे हैं। जनता का कर्ज चुकाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है इसलिए एक विधायक का फर्ज बनता है कि वह उस क्षेत्र का हर संभव विकास करे। इस वर्ष जो त्रासदी हुई है वह पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गई है। इसी प्रकार की आपदा वर्ष 2023 में भी आई थी जिससे प्रदेश में काफी नुकसान हुआ था। मैंने जिसका जिक्र पहले भी किया है। आज लोक निर्माण मंत्री जी सदन में बैठे हैं और मैं इनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि आपने मेरे विधान सभा क्षेत्र के कून का तर पुल की नींव रखी और कहा कि मैं मार्च तक इसका उद्घाटन कर दूंगा लेकिन आज दो वर्ष का समय हो गया है और अभी तक उसकी bridge abutment का भी काम शुरू नहीं हो पाया है। यह पुल शीघ्र बन पाएगा हमें उसकी उम्मीद नहीं है। हम मण्डी से जोगिंदरनगर का सफ़र वहीं से करते हैं। एक मंत्री जब कुछ कहता है तो लोगों को उस

02.12.2025/1615/ए0जी0-पी0बी0/3

कार्य के होने की उम्मीद बन जाती है और यह आशा भी होती है कि अधिकारी उस कार्य को गम्भीरता से लेंगे। परंतु लोक निर्माण मंत्री जी ने कौन से मार्च महीने की बात की है? मुझे स्वयं भी याद नहीं आ रहा है कि आपने वर्ष 2025 या वर्ष 2026 के कौन से मार्च महीने की बात की है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

2.12.2025/1620/A.S./A.P/01

श्री अनिल शर्मा जारी....

परंतु इस बात के लिए मैं यह जरूर कहूंगा कि आप इस बात का संज्ञान ले क्योंकि यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पी0डी0एन0ए0 के अंतर्गत भी इसके लिए पैसा आबंटित हो चुका है। पी0डी0एन0ए0 के अंतर्गत धनराशि अगर आ गई है तो उस पुल पर युद्धस्तर पर काम होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त मैं पंडोह पुल की बात भी इस सदन में रखना चाहूंगा। यह पुल भी पुराने पुलों में से एक था और भारी वर्षा के कारण यह पुल भी बह गया है। मैं दूसरी बात यह भी

कहूंगा कि पंडोह में जो पुल था वह भी बहुत पुराना पुल था वह भी आपदा के दौरान बह गया। उसके लिए भी पैसा आया है इसलिए इस पुल का काम भी शीघ्र होना चाहिए। मैंने एक सुझाव माननीय मंत्री जी को पहले भी दिया था और मैं फिर एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हमें इस त्रासदी से सीखना पड़ेगा कि हमें अब भविष्य में क्या करना है? मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो इस वर्ष 30 जून के बाद क्लाउड ब्रस्ट हुआ है उसके बारे में हमने नहीं सोचा। हमारी सोच थी कि यह डिजास्टर थोड़े समय के लिए होगा। इस डिजास्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मंडी हुआ है। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो सभी जिलों से मंडी जिले में डिजास्टर के कारण सबसे ज्यादा मौते हुई हैं। आपदा से अभी तक इस वर्ष लगभग 4,079 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस नुकसान का आकलन अभी और भी बढ़ सकता है। परंतु पिछले 5 सालों के आंकड़े, जो मैं देख रहा था, उसमें लगभग 46,000 करोड़ रुपये सिर्फ त्रासदी के लिए ही खर्च हो गया। इसका मतलब यह है कि हमने सिर्फ विकास पर ही जोर दिया विकास किस ढंग से हो रहा है उसकी ओर हमने ध्यान नहीं दिया। प्रदेश में जो आपदा गत वर्षों में आई है शायद धन की उपलब्धता न होने के कारण सरकार सही ढंग से इस आपदा से निपट नहीं पाई, परंतु उम्मीद तो सरकार से ही की जा सकती है।

यहां पर यह भी बात कही गई कि मंडी के विधायक सरकार के एक कार्यक्रम में गये और उन्होंने सरकार के विरुद्ध बोला। मैं एक विधायक हूँ और मुझे उस कार्यक्रम में वहां के एस0डी0एम0 द्वारा बुलाया गया था तो उस कार्यक्रम में जाना मेरा फर्ज बनता है। मैं इस संदर्भ में राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस

2.12,2025/1620/A.S./A.P/02

सदन के भीतर कुछ चर्चाएं राजनीतिक दृष्टि से होनी चाहिए और कुछ चर्चाएं राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर भी होनी चाहिए। हमें मिलकर यह भी चर्चा करनी चाहिए कि अगर इस प्रदेश के अंदर त्रासदी आई है तो भविष्य में इस त्रासदी से कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं? यह बात ठीक है कि सरकार के द्वारा राहत कार्य के लिए राशि आबंटित की गई। आपने हमारी पार्टी के ऊपर टिप्पणी की- विपक्ष के नेता के ऊपर भी आपने टिप्पणी की। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न हम सब के सामने यही है कि प्रदेश में

आई आपदा के बाद हमने क्या सीखा? मंडी शहर के लिए एक पीने के पानी की स्कीम थी आपदा के कारण यह स्कीम टूट जाने के कारण लगभग तीन महीने तक मंडी शहर को पानी की आपूर्ति नहीं हो पाई। मैंने इस संदर्भ में जल शक्ति विभाग और नगर निगम मंडी के अधिकारियों के साथ चर्चा की कि अगर बरसात के कारण हमारी पानी की कोई भी स्कीम टूट जाती है तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। बातचीत के उपरांत हमने पाया कि शहर से दो किलोमीटर दूर एक प्राकृतिक नाला है, क्योंकि जो पानी की स्कीम आपदा के कारण टूट गई है उस स्कीम में 32 किलोमीटर दूर से पानी की स्पलाई की जा रही थी। इससे हमें एक सीख मिली कि यदि हम दो किलोमीटर दूर, जो प्राकृतिक पानी का स्रोत है, अगर हम वहां से पाइप को जोड़ देते हैं तो शहर को लाभ होगा और हमने ऐसा ही किया। मुख्य मंत्री कह रहे थे कि आपदा के समय हमारे मंत्री और विधायक जगह-जगह गये। गये तो यह हमारा फर्ज बनता है हमें जाना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी इस सदन में आपदा में चर्चा के दौरान कहा था कि मेरे घर के पास सड़क टूट जाने के कारण मैं नहीं निकल पाया। मेरे विधान सभा के लोग भी मुझे फोन करके पूछ रहे थे कि आप कहां हैं। उस समय घर से न निकल पाना मेरी मजबूरी थी। लेकिन मैं अधिकारियों के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग अनसंग हिरोज होते हैं। हमारे प्रशासन के लोग आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कैसे-कैसे पहुंचे, मैंने यह सब सोशल मीडिया के अंदर देखा है। हमारे कर्मचारी पानी की स्कीम को ठीक करने के लिए किस प्रकार कार्य करते रहे। वे अपनी जिंदगी को दाव पर लगाकर अपनी जिम्मेवारी को निभाते रहे। हम विपक्ष में हैं और हम यह जरूर कहेंगे कि आपदा में लोगों को राहत पहुंचाना और उनके लिए आवश्यक चीजों को उपलब्ध करवाना सरकार का काम है। लेकिन उन कर्मचारियों के बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह न

2.12,2025/1620/A.S./A.P/03

करते हुए अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन किया। आज हम त्रासदी के ऊपर बात करते हैं- हम डिजास्टर की बात करते हैं। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि प्रदेश में मैन पावर की कितनी कमी है। अगर फिर से ऐसी त्रासदी प्रदेश में आ जाए तो उस समय सरकार क्या कर सकती है? जब पानी की स्कीम टूट गई और ठेकेदारों को बोला गया कि इन्हें ठीक करो तो उन्होंने कहा कि हमारी पिछली पेमेंट नहीं हुई है इसलिए हम इन कामों को

हाथ भी नहीं लगाएंगे। एक तरफ तो प्रदेश में डिजास्टर आया हुआ है और ठेकेदारों ने काम करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि वे कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है सरकार ने दो-दो साल से हमारी पेमेंट नहीं की है। इसलिए क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम कोई ऐसी नीति लाएं।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी...

02.12.2025/1625/AT/AS/01

श्री अनिल शर्मा जारी...

और ऐसे ठेकेदार लाएं जो त्रासदी के समय ज़िम्मेदारी तय हो, चाहे वह बिजली विभाग में हो। बिजली विभाग में जहां हमारे पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं थे। जब बिजली चली गई, लोग फोन करते थे कि लाइट नहीं आ रही, लेकिन उस वक्त भी सीमित साधनों से कर्मचारी काम कर रहे थे। परंतु फिर भी सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से ऐसी त्रासदी में हम आपदाओं से निपट सकें। मैंने भी इन आपदाओं से निपटने की कोशिश की। मंडी शहर एक अजीब सा शहर है। मैं मण्डी को अजीब शहर इसलिए बोल रहा हूं कि लोग पहाड़ों में बसते हैं, और मेरा शहर एक बाउल की तरह है बिल्कुल नीचे और हमारे ऊपर ऐसे पहाड़ हैं कि यदि कल को कोई क्लाउड-बर्स्ट होता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, यह मैंने पहले भी कहा था। इसके लिए मैंने प्रयास किए आई0आई0टी0 और ड्रोन के माध्यम से पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। जो मुझे मालूम हुआ वह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है। हम त्रासदी और क्लाउड-बर्स्ट की बात कर रहे हैं, परंतु असली चिंता यह है कि पहाड़ों के ऊपर के हिस्से फटे हुए हैं। आई0आई0टी0 के एक्सपर्ट्स ने मुझे यह बताया जिस बारे में मैं माननीय राजस्व मंत्री से भी कहा था कि आज हमारी भूख इतनी बढ़ गई है, मैं भूख कह सकता हूं क्योंकि हमारे शहरों के अंदर लोग नालों में और नदियों के किनारे तक बस गए हैं। सरकार ने जो मापदंड बनाए वह सरकारी भवनों पर तो लागू होते हैं, पर प्राइवेट भवनों पर हम उसे लागू नहीं कर सकते। यह बात सरकारों को मिलकर देखनी होगी। मैंने पी0पी0आर0 बनवाने की कोशिश की मैं मंडी के कमिश्नर रोहित जी का आभारी हूं कि उन्होंने इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की और पी0पी0आर0 रिपोर्ट सबमिट की। हम चाहते हैं कि सरकार के माध्यम से, यदि कोई बहुत

बड़ी त्रासदी कल को हो जाए, तो उससे पहले हम ऐसे काम कर लें, जिससे नुकसान कम हो सके। चंद्र शेखर जी ने ठीक कहा कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी लगी, उस सड़क बनने से बरसात में हमने जो जलालत महसूस की, सड़क बनने से हमें फायदा होना चाहिए था, परंतु वह हमारे लिए विपदा बन गई। इसी तरह हमने मंडी शहर के लिए लगभग पाँच पी0पी0आर0 बनाई हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इस बात को गंभीरता से लेकर चलें कि भविष्य में यदि कोई आपदा मंडी शहर में आए तो हजारों लोगों को नुकसान हो सकता है। यह आप आज ही नोट कर लें। इस त्रासदी में तीन मौतें हुईं और मैं कुदरत का आभारी हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी कोई सरकारी भवन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, और

02.12.2025/1625/AT/AS/02

प्राइवेट घरों में भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कुछ घरों को छोड़कर। मैं एक बात सदन के सामने रखना चाहता हूँ जब मैं किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखता हूँ, तो उसे लागू करने की कोशिश करता हूँ। एक बार सदन में वानरों की स्टर्लाइजेशन पर चर्चा हो रही थी, और इस बहुत पैसा खर्च किया जाता था। मैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ था उन्होंने कहा था कि 15-20 साल पहले हमने एक उदाहरण के तौर पर एक करेट फेंसिंग का काम किया था और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फेंसिंग काम काम मैंने 20 साल पहले किया था। आज हम स्टर्लाइजेशन की बात क्यों नहीं करते हैं क्योंकि हमारा ध्यान दूसरी तरफ चला गया। जबकि असली उपाय यह है कि हम अपने एरिया को प्रोटेक्ट करें, तभी फसलों को बचाया जा सकता है। वैसी ही चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरह त्रासदियों से हमें सीखना पड़ेगा इन त्रासदियों के माध्यम से हम आगे कैसे बढ़ना है, इस पर हमें कोशिश करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात मैंने कही थी कि हमारे पास मैनपावर की कमी है। दूसरी बात प्रदेश के अंदर टूरिज्म तथा हॉटिकल्चर सेक्टर के बारे में, मंत्री जी से

एम0डी0द्वारा जारी.....

02-12-2025/1630/DC/MD/1

श्री अनिल शर्मा---जारी

मण्डी की बात की थी तो उन्होंने इस बात को कहा कि हमने तो सारा सेब खरीद लिया। मैंने उनको कहा कि आपने वह सेब खरीदा जोकि आपके पास पहुंच गया, जो सेब आपके पास पहुंचा ही नहीं तो उसे आप कैसे खरीद सकते हैं? इन्होंने कहा कि आपने क्या बात कर दी, मैं अपने अनुभव से कहना चाहता हूं कि मेरे अपने बगीचे में लाखों रुपये का सेब बगीचों में ही सड़ गया, उसे निकालने की हमने पूरी कोशिश की। माननीय मंत्री, अभी भी ज्वालापुर और रुहाड़ी की सड़क केवल जीप के लिए खुली है। हमने बहुत कोशिश की कि कैसे यह सेब निकाले जाए। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो या टूरिज्म हो, टूरिज्म के लिए माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सुल्तानपुरी जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा टूरिज्म सेक्टर तभी सफल होगा जब हमारे पास ऐसी त्रासदी में वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हों। मनाली का उदाहरण आपके सामने है जब मनाली में एक सड़क टूटती है तो पूरा टूरिज्म वहीं फंस जाता है। जब तक प्रदेश के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे तो ये हालात नहीं सुधरेंगे। चाहे टूरिज्म हो, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो या चाहे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो, जब तक बेहतर सड़कों के निर्माण नहीं करेंगे तब तक त्रासदी में इसी प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी।

आज लारजी प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए फंसा पड़ा है कि बाहर फोर-लेन बनी और वह फोर-लेन कुछ दिनों में टूट गई। उसके चलते आज तक पावर जेनरेशन शुरू नहीं हो पाई है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ने आंकड़ों के आधार पर कुछ बातें कही हैं और वह विपक्ष का अधिकार भी है। यह विपक्ष का काम है, इसको चाहे आप किसी भी तरीके से लें। आंकड़ों के आधार पर प्रश्न पूछना विपक्ष का काम है और उसी के आधार पर प्रश्न पूछे हैं। मेरा मानना है कि हिमाचल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह विपक्ष का विधायक है या यह हमारा अपनी पार्टी के विधायक है। हम सभी अपने-अपने क्षेत्रों से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि प्रदेश के हित में किस प्रकार बेहतर कार्य किया जाए। हमें किस तरीके से काम लेना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो भी समय हमें मिला है उसे मिल-जुलकर सरकार के माध्यम से कैसे व्यतीत करें। सरकार की आय बढ़े, हमें इसके लिए भी काम करने चाहिए। यदि हम त्रासदी की तरफ देखते रह जाएंगे क्योंकि त्रासदी के विषय में भी आपने कहा कि हम राहत और पुनर्वास के लिए पैसा दे रहे हैं। उसके लिए भी काफी

02-12-2025/1630/DC/MD/2

चर्चा हुई कि हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है और जो माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने बात कही, वह भी ठीक है। बहुत से विभागों के पास जमीन है। इसमें कितना दे सकते हैं, इस पर तो सरकार सोचे। अब मैं एक मैन-मेड की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी, आप यहां बैठे हैं तो मैं पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क की बात करना चाहता हूं। मैं सर्दियों में एक सड़क का निरीक्षण करने गया। वहां सड़क की कटिंग हो रही थी जहां उन्होंने ड्रेन को ही बंद कर दिया। उस ड्रेन को बंद करने के कारण पूरा पानी सड़क से होकर बगीचे में चला गया और पूरा बगीचा खत्म हो गया। ऐसे मैन-मेड काम भी हो रहे हैं। यह तो शुक्र है कि सर्दियों में हुआ। यदि यह बरसात के मौसम में होता तो नुकसान कई गुना अधिक होता। जब तक हम सड़क और बगीचों के निर्माण में उचित ड्रेनेज सिस्टम नहीं अपनाएंगे, तब तक यह नुकसान हर वर्ष बढ़ता रहेगा। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मण्डी जिले के जिन प्राथमिक प्रोजेक्टों को हमने विभाग के पास भेजा है, उन पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए। माननीय मंत्री, यहां मौजूद हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि भविष्य में कहीं और बड़े नुकसान न हो जाए, सरकार इस पर चिंता करे। आज इस सदन में जो चर्चा लाई गई है, इस चर्चा में बहुत से सदस्यों ने भाग लिया।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

02-12-2025/1630/DC/MD/3

सभापति : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : सभापति महोदय, मैं दिनांक 27-11-2025 को माननीय सदस्य श्री केवल सिंह पठानिया द्वारा नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों की स्थिति और सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सदन विचार करे, के संबंध में उठाई गई चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में लगातार भारी वर्षा के कारण सड़कों, पुलों, बिजली ट्रांसफार्मर्ज, पेयजल योजनाओं, सिंचाई और लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों, सरकारी संपत्तियों,

श्रीमती के०एस० द्वारा जारी---

02.12.2025/1635/केएस/डीसी/1

श्री किशोरी लाल जारी ---

स्कूल भवन, निजी मकान, गौशालाएं और किसानों के खेत, बागवानों के बगीचों तथा साढ़े पांच सौ के लगभग जानी नुकसान हुआ, चार हजार से ज्यादा लोग घायल हो गए तथा और भी कई तरह के नुकसान प्रदेश में हुए। प्रदेश सरकार, मुख्य मंत्री महोदय, उप-मुख्य मंत्री महोदय, मंत्रीगण तथा सभी विधायक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए आगे आए। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हर प्रभावित परिवार से मिलकर उनको राहत देने का काम किया और जिन लोगों को घर टूटे थे उन्हें सरकारी भवनों, स्कूलों या फिर टेंट लगा कर उनमें ठहराने का काम किया। उनको राशन दिया ताकि वे भूखे न रहें। इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। प्रत्येक परिवार को जो 1.30 लाख रुपये राहत राशि मिलती थी उसे बढ़ाकर पहले 7.00 लाख और अब 8.00 लाख रुपये किया गया। उसमें काफी लोगों को एक किश्त में 4.00 लाख रुपये मिल भी गए हैं और कइयों को दूसरी किश्त भी मिल गई है। मेरे चुनाव क्षेत्र में जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी सभी की भरपाई हुई है और उन्होंने पुनः अपने मकान बनाए हैं। सरकार ने एक बहुत बड़ा काम यह भी किया कि जिनके मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, उनके लिए 1.00 लाख रुपये की सहायता राशि मुहैया करवाई है। वर्ष 2024 में कुछ कम नुकसान हुआ लेकिन वर्ष 2025 में लगातार तीन महीने से ज्यादा बरसात हुई और बरसात का 100 दिन का आंकड़ा दर्ज किया गया। इस भारी बरसात से प्रदेश के जिला मण्डी में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्यास नदी से सटे हुए इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यह नुकसान

बार-बार क्यों हो रहा है, हमें इस बारे में सोचने की भी जरूरत है। सबसे ज्यादा नुकसान पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के गृह क्षेत्र में हुआ है। वहां भी लोगों की जानें गईं, जमीनें बर्हीं और बगीचे नष्ट हो गए, पशुधन बह गया। लोग जब अपना घर बनाते हैं तो वे अपनी पूरी उम्र की कमाई उसमें लगा देते हैं लेकिन वह अगर इस तरह से टूट जाए तो उनके रहने के भी लाले पड़ जाते हैं। यह बड़ा संवेदनशील मामला है। इसलिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई के लिए मुख्य मंत्री जी ने मण्डी में चैक वितरण समारोह का आयोजन किया। जिन लोगों का नुकसान हुआ उन्हें 4-4 लाख रुपये की राशि मुहैया करवाई गई। स्कूलों, सरकारी बिल्डिंगों, सड़कों व पुलों तथा प्राइवेट तौर पर जो लोगों का नुकसान हुआ है, सभी की भरपाई

02.12.2025/1635/केएस/डीसी/2

के लिए सरकार ने काम किया।

सभापति महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र का बड़ा भंगाल क्षेत्र सड़क मार्ग से अवरुद्ध हो गया। इसी तरह से छोटा भंगाल का क्षेत्र जहां 7 पंचायतें हैं, वहां भी बरसात से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सरकार ने बड़ा भंगाल के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से अनाज भेजा, दवाइयां भेजीं ताकि वहां लोगों को कोई परेशानी न हो। लोगों ने राहत महसूस की और जब हेलीकॉप्टर वापिस आया तो जो बीमार लोग थे उन्हें हेलीकॉप्टर द्वारा टांडा अस्पताल तक पहुंचाया गया जो कि सरकार का बहुत ही सराहनीय कार्य है। छोटे भंगाल की 7 पंचायतें हैं जहां लोग बहुत ज्यादा सब्जी का उत्पादन करते हैं। सड़कें टूटने की वजह से उनकी कुछ सब्जियां खराब हो गईं लेकिन फिर भी सरकारी मशीनरी ने काम करके वहां की सड़कों को बहाल किया जिससे लोगों को राहत मिली, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

02.12.2025/1640/av/HK/1

श्री किशोरी लाल----- जारी

यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कई प्रकार के दोषारोपण किए हैं जोकि नहीं होने चाहिए। हमें तो यह सोचना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की आपदा को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाएं। यह सबके द्वारा मिल-जुलकर करने वाला कार्य है, न कि इस तरह से एक-दूसरे पर दोषारोपण करने का कार्य होना चाहिए। अगर मैं दोषारोपण की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल की बात बताना चाहता हूं। माह अप्रैल-मई में गेहूं की फसल तैयार थी। मैं अपने बैजनाथ विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। वहां पर खीरे की फसल तथा दूसरे फलदार पौधे भी लगे हुए थे। उस दौरान ओलावृष्टि के कारण खीरे और गेहूं की फसल पूरी-की-पूरी तबाह हो गई। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर केवल पटवारियों से गिरदावरी करवाई तथा प्रभावित परिवारों को फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। प्रदेश में ऐसी सरकार भी रहकर गई है। यह कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ पिछले तीन वर्ष पुरानी बात है। आज ये लोग हमारी सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया जबकि हमारी सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है। हमारी सरकार उनको मुआवजा भी दे रही है तथा उनके पुनर्वास के लिए भी हर वक्त खड़ी है। यहां पर यह कहना गलत है कि 45 करोड़ रुपये का पैकेज कहा गया, किसको मिला? यहां पर तरह-तरह के आंकड़े पेश किए जाते हैं परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को 7-7 लाख रुपये की राशि मिली है, क्या वह पर्याप्त राशि नहीं है? वह राशि भी उसी में से गई है, यहां पर जिस पैकेज की बात की जा रही है।

सभापति महोदय, इस आपदा को सरकार लेकर नहीं आई है, यह एक प्राकृतिक आपदा है। आज वर्षा से आई, कल को आसमानी बिजली, भूकम्प इत्यादि कई प्रकार से आ सकती है। आज हम भारी-भारी मशीनरीज से पहाड़ों को जर्जर कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य को रोका जाए और मैनुअल कटिंग होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि विशेषज्ञों की राय लेकर निर्माण कार्य होने चाहिए। मैं एक निर्माण कार्य का उदाहरण देना चाहता हूं। पठानकोट से जोगिन्द्रनगर 164 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन है। इस रेल लाइन में कच्चे

डंगे लगे हुए हैं, वे क्यों नहीं टूटते? आज आप फोर लेन को देखिए। आज डंगा लग रहा है और कुछ दिन बाद वह टूट जाता है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए कम्पनियों

02.12.2025/1640/av/HK/2

को जिम्मेवार ठहराया जाए। ...(व्यवधान) दोनों तरफ से जिम्मेवार हैं। ...(व्यवधान) रणधीर शर्मा जी, आप इस बात को भूल जाइए। ये फोर लेन रातों-रात थोड़ी बन गई। आप खुद देखते होंगे, आज डंगे लगते हैं और कुछ दिन बाद वे टूट जाते हैं। यह एक गम्भीर मामला है और इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। इसमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है और न ही ये डंगे रातों-रात लगे हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हैवी मशीनरीज से पहाड़ों को छलनी न किया जाए क्योंकि बरसात के दिनों में पहाड़ों से जो पानी बरसता है उसी की वजह से ये सारा लैण्डस्लाइड हो रहा है। फोर लेन और टू लेन पर जो आज जे0सी0बीज0 से कटिंग की जा रही है, उसे बेतरतीब ढंग से कहीं न फेंका जाए। उसके लिए कोई डम्पिंग साइट चिन्हित की जाए तथा वेस्ट मटीरियल को जहां पर जरूरत है, वहां पर ले जाया जाए ताकि आने वाले समय में ऐसी आपदा न आए और इस प्रकार की आपदा से बचा जा सके।

सभापति महोदय, यह बार-बार देखने में आता है और मौत का कुंआ हमारे सामने है। वर्तमान में नदी-नालों के किनारे बड़े-बड़े होटल, मकान तथा बिजनैस के उद्देश्य से कई प्रकार के निर्माण कार्य हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करके इन्सान मौत को खुद बुलावा दे रहा है। जब बरसात में पानी बढ़ेगा तो बाढ़ तो आएगी ही, इसलिए इस प्रकार की आपदा से बचने के लिए नदी-नालों के किनारे निर्माण कार्य पर पाबंदी लगाई जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार का नुकसान न हो।

सभापति महोदय, आज प्रदेश के समक्ष आपदा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है। इस प्रकार के नुकसान से बचने के लिए हमें इस बारे में सोच-विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी आपदाएं न आए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

स्पष्टीकरण

सभापति : अब माननीय लोक निर्माण मंत्री स्पष्टीकरण देंगे।

टी सी द्वारा जारी

02.12.2025/1645/टी0सी0वी0/एच0के0/-1

लोक निर्माण मंत्री : सभापति महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत महत्वपूर्ण है और प्रदेश में आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसके संदर्भ में सभी माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं। मैं इसमें बहुत ही लिमिटेड बात कहना चाहता हूँ। जो बात हमारे बुजुर्ग बड़े भाई आदरणीय श्री अनिल शर्मा जी ने उठाई थी, उसके बारे में अधिकारियों से बात की है। वैसे तो आपने बहुत-सी बातें पी0एम0जे0एस0वाई0 की क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल और नाबार्ड के कार्यों के बारे में की हैं मगर मैं अभी केवल आपके कूनकातर ब्रिज के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने कहा है कि आपने इसके लिए प्रयास किए हैं, वैसे ही मैंने भी पर्सनली एफ़ोर्ट्स किए हैं। इसके लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपये का बजट डलवाया गया है। इसका procurement of material पूर्ण रूप से हो चुका है और सारा मटेरियल मंडी पहुंच चुका है। अभी इसका एबटमेंट का कार्य चला हुआ है। मैं मानता हूँ कि इसके निर्माण कार्य में विलंब हुआ है मगर माननीय सदन के माध्यम से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 3 महीने में यानी मार्च, 2026 तक इसकी लॉन्चिंग हंड्रेड परसेंट करवाई दी जाएगी, यह मैं रिकॉर्ड पर कह रहा हूँ। चूंकि यह ब्रिज जोगिन्दरनगर से आपके क्षेत्र को जोड़ता है इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि एबटमेंट के लिए अतिरिक्त बजट दिया गया है other than two and half crore rupees which is only for the procurement of the material और यदि इसमें और भी पैसों की कमी होगी तो उसे भी से पूरा किया जाएगा, धन्यवाद।

श्री अनिल शर्मा : सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया। मंत्री जी अधिकारियों ने आपको जो सूचना दी है उसके अनुसार 2 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री जी ने जरूर दिए थे लेकिन अब पी0डी0एन0ए0 में 5.50 करोड़ रुपये आ चुके हैं इसलिए पैसे की कोई समस्या नहीं है लेकिन एबटमेंट में सरकार की ओर से देरी हो रही है। यही बात मैंने कही थी परंतु आपने मार्च, 2026 तक का टाइम दिया है तो मैं इसका स्वागत करता हूँ।

02.12.2025/1645/टी0सी0वी0/एच0के0/-2

श्री बलबीर सिंह वर्मा : सभापति महोदय, नियम 130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाया गया है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो हर बरसात और बर्फ के सीजन में हिमाचल प्रदेश में नुकसान होता है और यह हर साल होता है मगर वर्ष 2019, 2023 और वर्ष 2025 में जो आपदा आई उससे काफी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश में आपदा के कारण वर्ष 2023 व 2025 तक मृत व्यक्तियों की संख्या 468 है और 1,817 मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हुए तथा 823 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगभग 7858 गौशालाएं और दुकानें व 518 ढाबे तथा 107 घराट भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। सभापति महोदय, राजस्व मंत्री महोदय यहां मौजूद नहीं हैं। इस बार सरकार ने जो नोटिफिकेशन की है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान शिमला जिला के चौपाल में हुआ है। चौपाल में भी मकान, जमीन, सड़क, पानी और बिजली सभी का नुकसान हुआ है। चौपाल में 66 के0वी0 लाइन गिर गई थी जिससे बिजली पूरी तरह से बंद हो गई थी। कई क्षेत्रों में इतने स्लाइड आए कि बारिश के कारण पूरा चौपाल सड़क, बिजली और पानी तीनों से कट गया। जहां पर 66 के0वी0 का टावर था, वहां पूरा ही पहाड़ गिर गया था। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस नोटिफिकेशन में चौपाल में गिरे हुए मकान शामिल नहीं हैं।

एन0 एस0 द्वारा जारी ...

02-12-2025/1650/NS-YK/1

श्री बलबीर सिंह वर्मा----जारी

इसमें कहा गया है कि अभी कुल्लू, मण्डी, चम्बा और कुछ पोर्शन अन्य जिलों के और भी शामिल हैं लेकिन चौपाल का पोर्शन इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में भी बहुत सारे गरीब लोगों के मकान गिरे हैं। एक गांव ऐसा है जो पूरा ही स्लैश हुआ है। मेरे चौपाल विधान सभा क्षेत्र को भी इस स्कीम में शामिल किया जाए। अभी हमें मकान बनाने के लिए 1.30 लाख रुपये मिल रहे हैं। अगर मेरे क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा तो 8 लाख रुपये घर बनाने के लिए मिलेंगे। मेरी आपसे विनती है कि मेरे क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाए। सभापति महोदय, मैं लोक निर्माण मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बरसात में पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें कच्ची थीं और नाले का पानी अपना रास्ता स्वयं बनाता था। अब मेरे क्षेत्र में सड़कें बहुत बन गई हैं। वहां पर पंचायत व लोक निर्माण विभाग की सड़कें बनी हुई हैं। उसमें नुकसान का सबसे बड़ा कारण स्लैब कल्वर्ट है। सिम्पल कल्वर्ट एक गांव व किसान के लिए वैसे है जैसे मृत्यु के लिए फांसी का फंदा होता है। ये कल्वर्ट जून में ही बंद हो जाते हैं। जुलाई तक कोई भी कल्वर्ट खुला नहीं रहता है। उसका फ्रंट हिस्सा बहुत कम चौड़ा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में पानी 2 से 3 किलोमीटर ऊपर से नाले में आता है और उसमें पत्थर, पेड़ व लकड़ी भी आती है। ये कल्वर्ट सिस्टम शहर की गलियों के पानी के लिए है। पहाड़ी क्षेत्र में कल्वर्ट सक्सैसफुल नहीं है। अगर आप इसके लिए नीति बनाएं कि हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों में कल्वर्ट कहीं पर भी नहीं लगेगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि गांव सुरक्षित हो जाएंगे और जमीनें सुरक्षित हो जाएंगी। पहाड़ी क्षेत्र का जो पोर्शन बह कर प्लेन एरियाज में जा रहा है उससे भी नुकसान हो रहा है। आप इसके लिए मेन्डेटरी करें कि जो भी सड़क बने उसमें स्लैब, कल्वर्ट और ड्रेन नहीं बनेगी तो हिमाचल प्रदेश में आने वाली आपदा काफी हद तक रुक जाएगी। यह सभी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए करना बहुत जरूरी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सैंज-देहा-चौपाल-नेरवा-फिड़जपुर सड़क है। अभी तक मेन रोड से कुछ स्लिप वर्ष 2023 के भी नहीं उठे थे। अभी इस बरसात में जो स्लिप्स आए हैं वे भी वैसे ही पड़े हैं। अगर आप देहा से चौपाल

02-12-2025/1650/NS-YK/2

जाएंगे तो आज भी उस सड़क में ट्रेफिक जाम लगता है। अगर बारात की 20 गाड़ियां आ गई तो पूरा ट्रेफिक जाम हो जाता है। इसका यही कारण है कि वहां से अभी तक स्लिप्स रिमूव नहीं किए गए हैं। मेरे क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में एक्सिअन, एस0डी0ओ0 नहीं है। वहां पर 16 जे0ईज0 में से 4 जे0ईज0 ही मौजूद हैं। वहां पर स्टाफ ही नहीं है। वहां पर ठियोग का एक्सिअन महीने में दो-तीन बार ही जाता है। हमारा सारा सिस्टम ही ठप हो गया है। यह बात ठीक है कि जिला शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल व स्पिति में विपक्ष का विधायक मैं ही हूं। यह कसूर मेरा है, जनता का कसूर नहीं है। जनता को इतनी पीड़ा हो रही है और वहां पर हर दिन ट्रेफिक जाम हो रहा है क्योंकि अभी तक स्लिप्स रिमूव नहीं हुए हैं जिसकी वजह से बहुत मुसीबत है। दूसरा, नेरवा से देहा-कुपवी-हरिपुर धार जो सड़क है तो वहां पर भी स्लिप्स रिमूव नहीं हुए हैं। इनके अभी तक टेंडर भी नहीं लगे हैं। मैंने अभी दो दिन पहले इसकी जानकारी ली तो पता चला कि वहां पर एक्सिअन और स्टाफ ही नहीं है तो टेंडर की प्रक्रिया कैसे होगी। यह सारा सिस्टम ठप हो गया है। मेरी आपसे विनती है कि आप वहां पर स्टाफ भेजें और इस कार्य को जरूर करवाएं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व केंद्रीय मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमने उनसे जो आग्रह किया और उन्होंने चौपाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 22 सड़कें हमें दी हैं और इसके लिए लगभग 215 करोड़ रुपये मिले हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतिहास में एक ही सैंक्शन में कभी इतना पैसा नहीं मिला होगा। मैं इस माननीय सदन में सभी का धन्यवाद करता हूं कि दूरदराज के क्षेत्र में जहां बहुत ही जरूरत है और उसके आधार पर सबसे ज्यादा सड़कें हमारी पास हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में एन0एच0ए0आई----

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

02.12.2025/1655/RKS/Yk-1

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

हिमाचल प्रदेश में NHA और CRIF में बहुत राशि स्वीकृत हुई है जिससे हमारे प्रदेश में काफी विकास हो रहा है। हम सबको श्री नरेन्द्र मोदी, श्री नितिन गडकरी और श्री शिव राज चौहान का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहिए कि वे हिमाचल प्रदेश को

इतना खुला पैसा दे रहे हैं।...(व्यवधान) इसमें असलियत यह है कि जब भी हमारे माननीय मंत्री महोदय को मौका मिलता है तो वे हमेशा जय श्री राम के नारे लगाते हैं और मोदी जी जय श्री राम के नारे लगाने वालों से खुश रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह भी है। श्री जय राम ठाकुर जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए 100 करोड़ रुपये से ऊपर की लागत का 66 के0वी0 सब-स्टेशन दिया है। जब चौपाल में बरसात और बर्फ का समय होता है तो उस समय वहां दो महीने तक बिजली नहीं होती। मैं श्री जय राम ठाकुर का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यह सब-स्टेशन दिया लेकिन इस बार डिजास्टर में वह पूरी पहाड़ी दरक गई थी। मैं ट्रांसमिशन लाइन के अधिकारियों का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैंने पहली बार अपने जीवन में चीफ इंजीनियर, एस0ई0 और एक्सिअन को रात को तार खिंचते हुए देखा। उन्होंने शिफ्ट में लगातार 24 घंटे काम किया। मैं वहां खुद भी खड़ा रहा। चौपाल की जनता भी मेरे साथ थी। हमने एक सप्ताह के भीतर उस टावर को टेम्परेरी खड़ा कर दिया। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि जो हमारा टावर स्लाइड हुआ है वह हमारे लिए बहुत मुसीबत का काम है। मेरा आग्रह है कि उस टावर को नई लोकेशन में स्थापित किया जाए। इस टावर को खड़ा करने और तारों को जोड़ने के लिए लोगों ने अपने बहुत सारे सेब के पेड़ काटने दिए जिसके लिए मैं चौपाल की जनता का धन्यवाद करता हूं। मेरा आग्रह है कि इस टावर के लिए जल्द फंड का प्रावधान किया जाए। मेरे चुनाव क्षेत्र में कुछ बिजली के ट्रांसफार्मर भी बंद पड़े हैं। अभी हमारे माननीय विधायक बैठे नहीं हैं। सेंज में मेरे और इनके चुनाव क्षेत्र का ट्रांसफार्मर एक ही है लेकिन सेंज में इलेक्ट्रिसिटी का एस0डी0ओ0 ही नहीं है। वहां जे0ईज0 की भी बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं।...(व्यवधान) मैं डिजास्टर की ही बात कर रहा हूं। जब हमारे पास टेक्निकल स्टाफ होगा तो वही एस्टीमेट बनाकर उसे अप्रूव करवाएंगे।

श्री बी0एस0 द्वारा जारी

02.12.2025/1700/बी.एस./ए.जी.

श्री बलबीर सिंह वर्मा जारी...

लेकिन जब स्टाफ ही टेक्निकल नहीं होगा तो कैसे डिजास्टर खत्म होगा। मैं जल शक्ति विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि जल शक्ति विभाग में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही

है। जल जीवन मिशन में मेरे चुनाव क्षेत्र में 1.50 करोड़ रुपये के काम हुए हैं। परंतु कुछ स्कीमें इस तरह से डिजाइन की गई कि उसकी डी0पी0आर0 ऐसी बनाई कि उन्हें नदी-नालों के बीच में बनाया गया। वे स्कीमें भी बहुत प्रभावित हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि एक सौ करोड़ रुपये का नुकसान मेरे चुनाव क्षेत्र में हुआ है। यदि जल्दी मरमत के लिए पैसा नहीं मिला तो स्थिति नहीं सुधर सकती है। इसमें हमारे बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे हैं और जो पंप हाउस बने हैं वे भी रिपेयर होने हैं। इसके लिए हमें जरूर पैसा मिलना चाहिए। नाबार्ड से भी हमारी जल शक्ति विभाग में बहुत सारी स्कीमें चली है उसमें भी नुकसान हुआ है। पंचायती राज मंत्री अभी यहां नहीं हैं। चौपाल में हमारी 600 के करीब सड़के हैं। उनके लिए कोई पैसा नहीं दिया गया। वर्ष 2023 में बी0डी0ओ0 और एस0डी0एम0 को पंचायतों की सड़कों को खोलने के लिए पैसा मिला था परंतु इस बार एक भी पैसा नहीं मिला और सारी पंचायतों की सड़के बंद हैं। मैं कहना चाहता हूं कि गांव में बहुत सी पानी की स्कीमें ऐसी हैं जो पंचायतें चला रही हैं। रास्ते ऐसे हैं जिन्हें पंचायतें बनाती हैं। पंचायतों में भी डिजास्टर का पैसा पहुंचना चाहिए, यह मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर घोड़ना है वहां भी पूरा पहाड़ ऊपर से आ गया है और वह बिल्डिंग और आगे का सारा एरिया चला गया है। मेरी आपसे विनती है कि घोड़ना मतियाना के अंडर पड़ता है उसके लिए भी आप जरूर पैसे का इंतजाम करें। यह पी0एच0सी0 बदली हुई है और एक कमरे में सारा स्टाफ है।

सभापति : माननीय सदस्य, आप कल इससे आगे चर्चा जारी रखेंगे।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार 03 दिसम्बर, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

धर्मशाला-176215

दिनांक: 2 दिसम्बर, 2025

(यशपाल शर्मा)

सचिव।